

RNA : Real News Analysis

MONTHLY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

MONTH

नवम्बर, 2024

हिन्दी
EDITION

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index



हिन्दी
EDITION



By Ankit Avasthi Sir

सीओपी-16 में जैव विविधता पर 16वीं बैठक / 16th meeting on Biodiversity at COP-16

सीओपी-16 में जैव विविधता पर 16वीं बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष और प्रतिबद्धताएँ सामने आईं। केली, कोलंबिया में आयोजित इस सम्मेलन में लगभग 190 देशों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य फोकस 2022 के मॉन्ट्रियल सम्मेलन में तय किए गए *कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे (केएमजीबीएफ)* को आगे बढ़ाने और 2030 तक के जैव विविधता लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर था।

सीओपी-16 के मुख्य निष्कर्ष:

- 30-बाई-30 समझौता:** इसका उद्देश्य 2030 तक विश्व की 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को संरक्षित करना है। वर्तमान में, केवल 17% भूमि और 10% समुद्री क्षेत्र संरक्षित हैं।
- जैव विविधता संरक्षण के 23 कार्य-उन्मुख लक्ष्य:**
 - आक्रामक प्रजातियों का नियंत्रण:** 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रसार को आधा करना और उनके प्रभावों को न्यूनतम करना।
 - प्रदूषण में कमी:** 2030 तक सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को सहनीय स्तर तक लाना।
 - लाभ-साझाकरण तंत्र:** आनुवंशिक संसाधनों और डिजिटल अनुक्रम जानकारी (DSI) के उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिए एक प्रणाली का निर्माण करना।
 - विकास नीतियों में जैव विविधता का समावेश:** यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता संबंधी दृष्टिकोण राष्ट्रीय नीतियों, नियामक ढाँचों, और विकास योजनाओं में शामिल हों।
- वित्तीय प्रतिबद्धता:** इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगभग \$200 बिलियन की वार्षिक वित्तीय आवश्यकता है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों ने इस राशि का एक छोटा हिस्सा ही देने का वादा किया है, जिससे लक्ष्यों को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्रमुख निर्णय और चर्चाएँ:

- स्वदेशी समुदायों का समावेशन:** स्वदेशी समूहों के द्वितीय ज्ञान और भूमिका को मान्यता देते हुए, एक सहायक निकाय की स्थापना की गई ताकि जैव विविधता संरक्षण में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रयासों में स्थानीय और स्वदेशी समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना है।
- डिजिटल अनुक्रम सूचना (डीएसआई) समझौता:** डीएसआई से उत्पन्न उत्पादों से लाभ-साझाकरण की एक प्रणाली विकसित करने पर चर्चा हुई। इसके तहत आनुवंशिक सामग्री से विकसित उत्पादों जैसे दवाओं से होने वाले लाभों को न्यायसंगत रूप से वितरित करने पर जोर दिया गया। इस पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन इसमें बहुपक्षीय समाधान की दिशा में प्रगति हुई है।
- अपनाए गए समझौते:** जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंधों को मजबूत करना, जैव विविधता को मुख्यधारा में लाना, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन, तथा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ढांचे (केएमजीबीएफ) के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता जैसे मुद्दों पर समझौते किए गए।



भारत का योगदान:

भारत ने सीओपी-16 में सक्रिय रूप से भाग लिया और पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के नेतृत्व में जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। भारत के योगदान के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

- बजट प्रतिबद्धता:** भारत ने 2025 से 2030 तक जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के लिए लगभग ₹81,664 करोड़ का बजट आवंटित करने की योजना बनाई है। 2018 से 2022 तक, भारत ने केंद्र सरकार के वित्तपोषण के माध्यम से 32,207 करोड़ रुपये संरक्षण प्रयासों पर खर्च किए।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्त हेतु आह्वान:** भारत ने वैश्विक वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि केएमजीबीएफ के लक्ष्य 19 के अंतर्गत प्रतिवर्ष \$200 बिलियन जुटाने में सहायता मिल सके। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण के माध्यम से \$30 बिलियन का योगदान भी शामिल है।
- जैव विविधता पहल:**
 - भारत ने वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में अपने योगदान को रेखांकित किया, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बिल्ली गठबंधन की स्थापना, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ होने के संकेतक के रूप में कार्य करता है।
 - इसके अलावा, भारत ने अपने रामसर स्थलों की संख्या को 2014 में 26 से बढ़ाकर 85 कर दिया है और इसे 100 तक बढ़ाने की योजना है।

वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 / Global TB Report 2024

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि भारत ने 2015 से टीबी के छूटे हुए मामलों के अंतर को कम करने में जबरदस्त प्रगति की है।



क्षय रोग (टीबी) क्या है?

- क्षय रोग या टीबी (ट्यूबरकुलोसिस) एक संक्रामक बीमारी है जो *माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस* नामक बैक्टीरिया के कारण होती है।
- यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन शरीर के अन्य अंगों में भी फैल सकता है।
- टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तब फैलता है जब टीबी से संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या थूकता है, जिससे बैक्टीरिया युक्त सूक्ष्म बूंदें हवा में फैल जाती हैं। अन्य व्यक्ति इन दूषित बूंदों के संपर्क में आने पर संक्रमित हो सकते हैं।
- टीबी का उपचार संभव है, और इसके लिए एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके प्रभावी उपचार के लिए लंबी अवधि की चिकित्सा आवश्यक होती है। इसके रोकथाम के लिए टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान और उनका उचित उपचार आवश्यक है।

टीबी के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु:

- **प्रसार:** टीबी संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींक से फैलता है।
- **लक्षण:** लंबे समय तक खांसी, बुखार, वजन में कमी, और रात को पसीना आना।
- **रोकथाम और उपचार:** टीबी की रोकथाम के लिए नियमित जांच और बीसीजी टीका मददगार हो सकता है। इसका उपचार एंटीबायोटिक्स से किया जाता है।
- **प्रभाव:** अनुमान है कि दुनिया की एक चौथाई आबादी टीबी बैक्टीरिया से संक्रमित है, लेकिन उनमें से सभी लोग सक्रिय टीबी से प्रभावित नहीं होते।

निष्कर्ष: विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट में भारत द्वारा टीबी की रोकथाम और उपचार में की गई प्रगति को सराहा गया है। हालाँकि, यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीबी का वैश्विक बोझ अभी भी काफी अधिक है और इसे कम करने के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, आर्थिक संसाधनों, और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता है।

वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के मुख्य बिंदु:

- **नए टीबी मामलों में वृद्धि:** 2023 में 8.2 मिलियन नए टीबी मामलों का निदान हुआ, जो कि 1995 के बाद से सबसे अधिक है। 2022 में यह संख्या 7.5 मिलियन थी।
- **मृत्यु दर में गिरावट:** 2023 में टीबी से होने वाली मौतों की संख्या 1.25 मिलियन आंकी गई, जो कि 2022 की तुलना में कम है और कोविड-19 महामारी के चरम से भी कम है।
- **टीबी बोझ का वितरण:** 87% टीबी बोझ 30 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में केंद्रित है, जिसमें प्रमुख पांच देश - भारत, इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, और पाकिस्तान - 56% योगदान देते हैं।
- **भारत में प्रगति:**
 - भारत में 2015 के बाद से टीबी के छूटे हुए मामलों को पहचानने में सुधार हुआ है। 2023 में, भारत का उपचार कवरेज 89% तक पहुँच गया, जो 2015 में 72% था।
 - 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर टीबी मामलों की संख्या घटकर 195 रह गई, जो 2015 में 237 थी, इस प्रकार 17.7% की कमी आई है।
- **जोखिम कारक:** टीबी के नए मामलों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं कुपोषण, एचआईवी संक्रमण, शराब सेवन विकार, धूम्रपान और मधुमेह।

ट्रांसपोंडर क्या हैं? / What are transponders?

भारत सरकार ने समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इस योजना के तहत, एक लाख मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर स्वदेशी रूप से विकसित ट्रांसपोंडर लगाने का निर्णय लिया गया है। यह पहल दो-तरफ़ा संचार और सहायता प्रणाली को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है।

ट्रांसपोंडर की परिभाषा:

ट्रांसपोंडर एक वायरलेस संचार, निगरानी, या नियंत्रण उपकरण है, जो आने वाले सिग्नल को ग्रहण करता है और स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देता है। इस शब्द का निर्माण ट्रांसमीटर और रिस्पॉन्डर के संयोजन से हुआ है। ट्रांसपोंडरों का उपयोग वस्तुओं के पता लगाने, पहचानने, और स्थान निर्धारण के लिए किया जाता है, और यह विभिन्न तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि संचार संकेतों को रिले करने में उपग्रहों का।

ट्रांसपोंडर का कार्यप्रणाली:

- ट्रांसपोंडर रेडियो आवृत्तियों का उपयोग करके कार्य करते हैं। जब एक सिग्नल भेजा जाता है—जिसे पूछताछकर्ता कहा जाता है—तो ट्रांसपोंडर एक पहचान संकेत लौटाकर प्रतिक्रिया करता है।
- इस प्रतिक्रिया में शामिल जानकारी, जैसे स्थान और पहचान कोड, ट्रांसपोंडर के प्रकार के अनुसार भिन्न होती है। ट्रांसपोंडर स्वचालित रूप से पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर रेडियो सिग्नल भेजते हैं।
- उदाहरण के लिए, एक हवाई यातायात नियंत्रक एक पूछताछ संकेत भेज सकता है और एक विमान से पहचान संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिससे नियंत्रण टॉवर को आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों को ट्रैक करने में मदद मिलती है।

ट्रांसपोंडर के अनुप्रयोग: ट्रांसपोंडर का उपयोग कई तकनीकों में किया जाता है, जैसे:

- विमान पहचान
- संचार उपग्रह
- वाहन की चाबियाँ
- ऑप्टिकल संचार
- सोनार
- इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली
- मोटर स्पोर्ट्स के लिए लैप टाइमिंग और टायर पहचान
- क्रेडिट कार्ड पर चुंबकीय लेबल



सोनार: गहराई में वस्तुओं का पता लगाने की तकनीक

सोनार (साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग) एक ऐसी तकनीक है, जिसका उपयोग पानी में और समुद्र तल के भीतर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं: निष्क्रिय और सक्रिय।

निष्क्रिय और सक्रिय सोनार

- निष्क्रिय सोनार:** यह पानी के नीचे की आवाज़ों को सुनता है।
- सक्रिय सोनार:** यह ध्वनि उत्सर्जित करता है और प्रतिध्वनि का उपयोग कर पर्यावरण में वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए कार्य करता है। उदाहरण के लिए, सक्रिय सोनार का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु पनडुब्बी, चट्टान, मछलियों का झुंड, या ढेल है।

हालांकि, सक्रिय सोनार सिस्टम के समुद्री जानवरों पर प्रभाव को लेकर चिंताएँ भी हैं, जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है।

भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC) / Indian Green Building Council (IGBC)

हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि **दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान** को **भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC)** से प्रमाणन प्राप्त होगा, जिससे यह टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए प्रमाणन पाने वाला **भारत का पहला चिड़ियाघर** बन जाएगा। यह पहल **पर्यावरणीय स्थिरता** को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय हरित भवन परिषद (IGBC) के बारे में:

भारतीय हरित भवन परिषद का गठन वर्ष **2001** में **भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)** के हिस्से के रूप में किया गया था। यह परिषद भारत की अग्रणी **प्रमाणन संस्था** है, जो टिकाऊ भवनों के विकास के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। इसकी प्रमुख सेवाओं में शामिल हैं:

- **हरित भवन रेटिंग कार्यक्रम:** नए हरित भवनों के लिए मानकों का निर्माण।
- **प्रमाणन सेवाएं:** पर्यावरण अनुकूलता के मानकों के अनुसार प्रमाणन जारी करना।
- **हरित भवन प्रशिक्षण:** हरित भवनों के निर्माण और रखरखाव के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

परिषद का **मुख्यालय हैदराबाद** में स्थित है और यह हर साल **ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस** नामक कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें हरित भवनों और टिकाऊ निर्माण के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है। IGBC उन पांच देशों में से एक है, जो **विश्व ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल** के बोर्ड में शामिल हैं और **सीओपी** जैसे वैश्विक मंचों पर पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

IGBC रेटिंग की पर्यावरणीय श्रेणियाँ:

IGBC द्वारा प्रदान की जाने वाली **रेटिंग** प्रणाली छह प्रमुख श्रेणियों पर आधारित है:

1. **टिकाऊ स्टेशन सुविधा**
2. **स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई**
3. **ऊर्जा दक्षता**
4. **जल दक्षता**
5. **स्मार्ट और हरित पहल**
6. **नवाचार और विकास**

ये श्रेणियाँ भवनों की **पर्यावरणीय स्थिरता** और **सामाजिक लाभ** को बढ़ावा देती हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII): एक परिचय

भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) एक **गैर-सरकारी** और **गैर-लाभकारी** संगठन है, जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के **लगभग 9,000 सदस्यों** का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें **एसएमई** और **एमएनसी** शामिल हैं। यह विभिन्न सलाहकार और परामर्श प्रक्रियाओं के माध्यम से **उद्योग, सरकार और नागरिक समाज** के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाता और बनाए रखता है।



Indian Green Building Council
Greening India since 2001

दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान: पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का आदर्श:

- **स्थान:** यह प्राणी उद्यान **हिमाचल प्रदेश** के **कांगड़ा** जिले के **देहरा** विधानसभा क्षेत्र में **बनरवंडी** में स्थित है।
- **केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA)** ने पार्क में **34 बाड़ों** को मंजूरी दी है, जहाँ **73 पशु प्रजातियाँ** रखी जाएंगी, जैसे:
 - **एशियाई शेर**
 - **हॉग डियर**
 - **मगरमच्छ**
 - **मॉनिटर छिपकली**
 - **घड़ियाल**
 - **विभिन्न पक्षी प्रजातियाँ**
- यह परियोजना राज्य सरकार के **इको-पर्यटन** और **सतत विकास** को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अनुरूप है। कांगड़ा क्षेत्र को "पर्यटन राजधानी" के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से, इस प्राणी उद्यान को हरित भवन प्रमाणन देना, पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी / Female Labour Force Participation in India

भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की हालिया रिपोर्ट के बाद। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय महिलाओं पर देखभाल संबंधी अत्यधिक जिम्मेदारियां उनकी श्रम बल भागीदारी को बाधित कर रही हैं।

महिला श्रम बल भागीदारी की स्थिति:

- श्रम बल से बाहर महिलाएं:** भारत में 53% महिलाएं कार्यबल से बाहर हैं, जबकि पुरुषों में यह दर मात्र 1.1% है। इस अंतर का मुख्य कारण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य हैं।
- अवैतनिक घरेलू कार्य:** भारत के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार, 36.7% महिलाएं और 19.4% पुरुष अवैतनिक घरेलू कार्य में संलग्न हैं।
- घरेलू कार्यों में लैंगिक असमानताएं:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के समय उपयोग सर्वेक्षण 2019 के अनुसार, 81% भारतीय महिलाएं प्रतिदिन पांच घंटे से अधिक समय घरेलू गतिविधियों में बिताती हैं, जबकि पुरुषों की तुलना में यह आंकड़ा काफी अधिक है।
- देखभाल कार्यों में असमानता:** देखभाल कार्यों में, 26.2% महिलाएं प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय देखभाल में बिताती हैं, जबकि केवल 12.4% पुरुष ऐसा करते हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखभाल जिम्मेदारियों का प्रभाव:

- वैश्विक श्रम बल से बाहर महिलाएं:** 2023 में वैश्विक स्तर पर 748 मिलियन लोग देखभाल कर्तव्यों के कारण श्रम बल से बाहर हैं, जिनमें से 708 मिलियन महिलाएं हैं।
- क्षेत्रीय अंतर:** उत्तरी अफ्रीका, अरब राज्यों, और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में देखभाल जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। ईरान, मिस्र, जॉर्डन और भारत में भी देखभाल जिम्मेदारियों से बंधी महिलाओं की संख्या अधिक है।
- प्रेरक मॉडल:** बेलारूस, बुल्गारिया, और स्वीडन जैसे देश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) में निवेश करते हैं, जिससे महिला श्रम भागीदारी दर में वृद्धि होती है। इन देशों में महिलाओं के कार्यबल से बाहर होने की दर 10% से भी कम है।

आगे का रास्ता:

- देखभाल अर्थव्यवस्था में निवेश:** आईएलओ की सिफारिशों के अनुसार, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) में निवेश से महिलाओं की देखभाल जिम्मेदारियों में कमी आएगी। इससे महिलाएं कार्यबल में समय और ऊर्जा दे पाएंगी, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
- महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास:** महिलाओं को विशेष रूप से रोजगार योग्य बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में निवेश जरूरी है। इसके लिए महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल कौशल में सक्षम बनाना आवश्यक है।
- सुरक्षित कार्यस्थल और आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास:** महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित वातावरण और बच्चा देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। इससे महिलाओं को अपने पेशेवर जीवन को प्राथमिकता देने में सहाय्य होगी।



प्रमुख बाधाएं:

- शैक्षणिक योग्यता में कमी:** महिलाओं की शिक्षा के स्तर में अंतर उनकी रोजगार संभावनाओं को सीमित करता है। शिक्षा तक सीमित पहुंच, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, महिलाओं को कुशल श्रम बल में शामिल होने से रोकती है।
- सीमित रोजगार के अवसर:** महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक भूमिका की अपेक्षा अधिक होती है। कई उद्योगों और क्षेत्रों में महिलाओं के लिए काम का अभाव उनकी श्रम भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है।
- बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता:** महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, परिवहन सुविधाओं की कमी, और कार्यस्थलों पर बच्चा देखभाल सुविधाओं का अभाव भी महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को सीमित करता है।
- सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड:** सांस्कृतिक रूप से महिलाओं पर देखभाल और घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जिससे उन्हें श्रम बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने में बाधा आती है।

भारत में आर्थिक विकास के बीच ग्रामीण मजदूरी की स्थिरता / Rural wages stagnate amid economic growth in India

भारत में आर्थिक विकास के बीच ग्रामीण मजदूरी की स्थिरता एक महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जो कि देश में समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि के लक्ष्यों को चुनौती देता है। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की प्रभावशाली वृद्धि दर के बावजूद, ग्रामीण मजदूरी विशेष रूप से वास्तविक रूप में स्थिर बनी हुई है। इसके कई कारण हैं और सरकार ने इसे कम करने के लिए कई प्रयास किए हैं, फिर भी दीर्घकालिक समाधान हेतु अतिरिक्त नीतिगत कदमों की आवश्यकता है।

ग्रामीण मजदूरी बनाम आर्थिक विकास: अवलोकन

- **आर्थिक विकास दर:** भारत की जीडीपी 2019-20 से 2023-24 तक औसतन 4.6% और पिछले तीन वर्षों में 7.8% की दर से बढ़ी है। कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर भी 3.6% और 4.2% के बीच रही है।
- **मजदूरी वृद्धि डेटा:** श्रम ब्यूरो के अनुसार, 2019 से 2024 तक ग्रामीण मजदूरी में नाममात्र वृद्धि 5.2% सालाना रही, लेकिन मुद्रास्फीति समायोजन के बाद यह वास्तविक वृद्धि -0.4% रही।

ग्रामीण मजदूरी में स्थिरता के कारण:

1. **महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि:**
 - **कार्यबल में अधिक महिलाओं की भागीदारी:** महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में 24.5% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है, और ग्रामीण महिला श्रम भागीदारी 47.6% हो गई है।
 - **आपूर्ति में बढ़ोतरी से मजदूरी पर दबाव:** महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ी है, जिससे मांग और आपूर्ति के असंतुलन ने मजदूरी दर पर दबाव बनाया है।
2. **श्रम मांग में बदलाव:**
 - **औद्योगिक क्षेत्र की सीमित मांग:** भारत में आर्थिक विकास अधिकतर पूंजी-प्रधान क्षेत्रों की ओर झुका है, जिनमें श्रम की आवश्यकता कम होती है। इसका प्रभाव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
 - **कृषि क्षेत्र पर निर्भरता:** अधिकतर ग्रामीण श्रमिक कृषि कार्य में संलग्न हैं, जहाँ उत्पादकता पहले से ही कम है। इससे अधिक श्रम आपूर्ति के कारण ग्रामीण मजदूरी वृद्धि सीमित हो जाती है।
3. **मुद्रास्फीति का प्रभाव:** नाममात्र मजदूरी दरों में वृद्धि होने के बावजूद मुद्रास्फीति समायोजन के बाद वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी न के बराबर रही है।

निष्कर्ष: भारत के आर्थिक विकास के लाभ ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि के रूप में नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय असमानता और गहरी होती जा रही है। सरकार की योजनाओं से अल्पकालिक राहत तो मिल रही है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार के लिए श्रम मांग के असंतुलन को हल करने, ग्रामीण श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने, और कौशल विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।



समाधान के लिए उठाए गए कदम:

1. **आय हस्तांतरण योजनाएं:**
 - **राज्य सरकार की पहलें:** महाराष्ट्र की लड़की बहिन योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को लक्षित करते हुए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जो कि उनकी आय में सहायता करती हैं।
 - **केंद्र सरकार की पहलें:** केंद्र सरकार ने किसान परिवारों को पीएम-किसान योजना के तहत वार्षिक ₹6,000 की सहायता और पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं से सहायता प्रदान की है।
2. **कौशल विकास एवं रोजगार सृजन:**
 - **कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा:** ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों को औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है।
 - **उद्यमिता को बढ़ावा देना:** ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और MSME सेक्टर के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
3. **कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण:** कृषि को अधिक उत्पादक बनाने से ग्रामीण मजदूरी वृद्धि में सुधार हो सकता है, जिससे कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नमो ड्रोन दीदी योजना / Namu Drone Didi Scheme

हाल ही में सरकार ने **नमो ड्रोन दीदी योजना** के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह योजना केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा संचालित होगी।

नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में:

- **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है और **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** का हिस्सा है।
- **उद्देश्य:** कृषि में किराये पर ड्रोन उपलब्ध कराकर **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना। इसका लक्ष्य 2024-2026 तक देशभर में 14,500 SHGs को सहायता प्रदान करना है।
- **मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

प्रमुख विशेषताएं:

- **वित्तीय सहायता:** ड्रोन खरीदने के लिए SHGs को 80% सब्सिडी (8 लाख रुपये तक) दी जाएगी।
- **अतिरिक्त वित्तपोषण:** **कृषि अवसंरचना वित्तपोषण सुविधा (AIF)** के माध्यम से 3% ब्याज अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध है।
- **ड्रोन पैकेज:** प्रत्येक पैकेज में स्प्रे असेंबली, बैटरी, कैमरा, चार्जर, माप उपकरण, अतिरिक्त बैटरियां और प्रोपेलर शामिल हैं, जिससे प्रति दिन 20 एकड़ तक कवरेज संभव होगा।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** प्रत्येक SHG एक ड्रोन पायलट को नामित करेगी, जिसे 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पोषक तत्वों और कीटनाशकों के छिड़काव जैसे कृषि कार्यों पर ध्यान केंद्रित होगा।
- **कार्यान्वयन और निगरानी:** प्रमुख उर्वरक कंपनियों राज्य विभागों, ड्रोन निर्माताओं, और SHG संघों के साथ मिलकर योजना का कार्यान्वयन करेंगी।
- **IT-आधारित ड्रोन पोर्टल:** एक IT-आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पोर्टल, जो ड्रोन उपयोग, निधि संवितरण, और वास्तविक समय पर ट्रैकिंग को सुगम बनाएगा।

योजना का महत्व:

1. **महिलाओं को सशक्त बनाना:** कृषि ड्रोन सेवाओं के माध्यम से आय सृजन के अवसर प्रदान करके महिला SHGs को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
2. **कृषि का आधुनिकीकरण:** उर्वरक और कीटनाशकों के कुशल उपयोग से फसल की पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि।
3. **किसानों की लागत में कमी:** ड्रोन से समय और श्रम की बचत होती है, जिससे उन्नत कृषि पद्धतियाँ अधिक किफायती बनती हैं।
4. **ग्रामीण कौशल विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देते हुए SHG सदस्यों को ड्रोन संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण।
5. **सरकारी पहलों का समर्थन:** DAY-NRLM और किसान ड्रोन जैसी पहलों के साथ तालमेल बनाकर ग्रामीण सशक्तीकरण और टिकाऊ कृषि के लक्ष्यों को बढ़ावा देना।



चुनौतियाँ और चिंताएँ:

1. **वित्तीय बोझ:** योजना का 80% कवर होने के बावजूद SHGs को शेष 20% को ऋण के माध्यम से सुरक्षित करना होगा, जो कमजोर समूहों के लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है।
2. **तकनीकी जटिलता:** 15-दिवसीय प्रशिक्षण जटिल कृषि कार्यों को संभालने के लिए अपर्याप्त हो सकता है।
3. **नौकरशाही बाधाएँ:** प्रमुख उर्वरक कंपनियों पर निर्भरता से योजना का कार्यान्वयन धीमा हो सकता है।
4. **पर्यावरण और स्वास्थ्य जोखिम:** जैव विविधता पर हवाई छिड़काव से प्रभाव को लेकर चिंताएँ हैं, खासकर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

सिफारिशें:

- **वित्तीय सहायता में वृद्धि:** SHGs पर वित्तीय दबाव को कम करने के लिए शेष 20% के लिए अनुदान या सब्सिडी पर विचार।
- **विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रम:** तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और विस्तारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान।
- **पर्यावरणीय सुरक्षा दिशा-निर्देश:** जैव विविधता और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हवाई कीटनाशक अनुप्रयोग हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश।

समर्पित माल गलियारा (DFC) / Dedicated Freight Corridor (DFC)

न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में बताया गया कि समर्पित माल गलियारों (Dedicated Freight Corridors, DFCs) का भारतीय सकल घरेलू उत्पाद पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अध्ययन के अनुसार, DFC ने माल ढुलाई लागत में कमी की है, विशेषकर पश्चिमी क्षेत्रों और कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाले राज्यों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है। 2018-19 और 2022-23 के बीच DFC ने भारतीय रेलवे के राजस्व में 2.94% की वृद्धि की, और माल ढुलाई की लागत में कमी के कारण वस्तुओं की कीमतों में 0.5% की कमी आई है।

समर्पित माल गलियारे (DFC) क्या हैं?

DFC ऐसे मार्ग हैं जो विशेष रूप से माल परिवहन के लिए समर्पित हैं। ये गलियारे उच्च क्षमता और तीव्र गति वाले परिवहन को सुगम बनाते हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में सुधार होता है और निर्यात-आयात गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। DFC पहल की घोषणा वित्त वर्ष 2005-06 के रेल बजट में की गई थी, और इसके लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में 2006 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) की स्थापना की गई।

नवीनतम घटनाक्रम:

2006 में रेल मंत्रालय ने दो प्रमुख DFC की घोषणा की:

- **पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (EDFC):** यह सोननगर, बिहार से साहनेवाल, पंजाब तक 1,337 किमी तक फैला है और पूर्ण हो चुका है।
- **पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (WDFC):** यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई से दादरी, उत्तर प्रदेश तक 1,506 किमी लंबा है, जिसमें 93% हिस्से का संचालन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इनके अलावा, चार और DFC प्रस्तावित हैं:

1. पूर्व-पश्चिम DFC: कोलकाता से मुंबई
2. उत्तर-दक्षिण DFC: दिल्ली से चेन्नई
3. पूर्वी तट DFC: खड़गपुर से विजयवाड़ा
4. दक्षिणी DFC: चेन्नई से गोवा

DFC की आवश्यकता:

1. **भीड़भाड़ कम करना:** भारतीय रेलवे का स्वर्णिम चतुर्भुज (दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हावड़ा को जोड़ता है) पर अत्यधिक दबाव है। DFC की मदद से इस भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है।
2. **माल ढुलाई दक्षता में सुधार:** समर्पित ट्रैक के माध्यम से माल की तीव्र और निर्बाध आवाजाही संभव होती है, जिससे यात्रा समय कम होता है।
3. **आर्थिक प्रभाव:** DFC का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, उद्योगों को लाभ और रेलवे के लिए राजस्व में वृद्धि करना है।
4. **माल ढुलाई लागत और वस्तुओं की कीमतों में कमी:** DFC से कार्यकुशलता में सुधार, परिवहन लागत में कमी, और वस्तुओं की कीमतों में कमी आती है।



डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL):

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है। इसे विशेष रूप से देश में माल परिवहन को तेज और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से समर्पित फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के विकास और संचालन के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है।

उद्देश्य: DFCCIL का मुख्य उद्देश्य 3,306 किलोमीटर लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) की योजना बनाना और उसे पूरा करना है। इसमें मुख्य रूप से दो कॉरिडोर शामिल हैं:

मुख्य कार्य:

- **योजना और विकास:** फ्रेट कॉरिडोर के लिए योजना बनाना और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करना।
- **मौद्रिक संसाधनों की तैनाती:** वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित करना।
- **निर्माण और रखरखाव:** फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण करना और इसके संरचनात्मक रखरखाव की जिम्मेदारी निभाना।
- **संचालन:** इस कॉरिडोर पर निर्बाध माल परिवहन सुनिश्चित करना।

बाघ अभयारण्यों के लिए गांवों के स्थानांतरण पर बहस / Debate on relocation of villages for tiger reserves

बाघ अभयारण्यों से गांवों के स्थानांतरण का मुद्दा जनजातीय अधिकारों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती को उजागर करता है।

प्रमुख बिंदु:**1. बाघ संरक्षण और स्थानांतरण की आवश्यकता:**

- बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एनटीसीए ने सुझाव दिया है कि बाघ अभयारण्यों के कोर क्षेत्रों से गांवों को स्थानांतरित किया जाए, ताकि बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जा सके।
- अब तक, 251 गांवों के 25,007 परिवारों को स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित किया जा चुका है।

2. कानूनी और प्रक्रियागत आवश्यकताएँ:

- स्थानांतरण वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के तहत ग्राम सभा की सहमति पर आधारित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन न हो, यह स्थानांतरण स्वैच्छिक और उनकी सहमति से किया जाना चाहिए।
- एनटीसीए के स्वैच्छिक ग्राम पुनर्वास कार्यक्रम (वीवीआरपी) के तहत, स्थानांतरण से पहले राज्य सरकार को यह प्रमाणित करना होगा कि ग्रामीणों की उपस्थिति बाघों और उनके आवास को नुकसान पहुंचा रही है, और सह-अस्तित्व का कोई अन्य विकल्प नहीं है।

3. मुआवजे और पुनर्वास पैकेज:

- 2021 में मुआवजे की राशि बढ़ाकर ₹15 लाख प्रति परिवार कर दी गई है। पुनर्वास पैकेज में भूमि, आवास, वित्तीय सहायता और बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
- एनसीएसटी ने यह भी सिफारिश की है कि मुआवजा पैकेज 2013 के भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम के अनुसार होना चाहिए, ताकि मुआवजा जनजातीय अधिकारों के अनुकूल और पर्याप्त हो।

जनजातीय अधिकारों का दृष्टिकोण:

- एनटीसीए की स्थानांतरण संबंधी सलाह पर आदिवासी अधिकार समूहों का विरोध है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि स्थानांतरण कानूनी प्रक्रिया और जनजातीय सहमति के आधार पर होना चाहिए।
- आदिवासी समूहों का मानना है कि एनटीसीए का दृष्टिकोण वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें स्वैच्छिक स्थानांतरण की आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया गया है।

एनसीएसटी का हस्तक्षेप और संतुलन की आवश्यकता:

- एनसीएसटी ने एनटीसीए से पुनर्वास संबंधी अद्यतन जानकारी मांगी है और मुआवजे पर अपनी 2018 की सिफारिशों का पालन करने की मांग की है।
- एनसीएसटी का उद्देश्य एक ऐसा पुनर्वास ढांचा तैयार करना है जो न केवल बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करता है बल्कि जनजातीय समुदायों के अधिकारों का भी सम्मान करता है।

**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST):**

NCST का गठन 2004 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन कर और 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद 338ए जोड़कर किया गया था। इससे पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों के लिए एक ही संस्था थी। इस संशोधन ने इसे दो अलग-अलग आयोगों में विभाजित कर दिया:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएसटी)
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

इस प्रकार, NCST एक संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

उद्देश्य:

- अनुच्छेद 338ए के तहत, NCST को अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की देखरेख और उनके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है। यह अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा निर्धारित या सरकार द्वारा लागू कानूनों और आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र / Marine Protected Areas - MPAs

हाल के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि उचित प्रबंधन और प्रशासन से एमपीए जैव विविधता को संरक्षित करने और पोषण सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas - MPAs) जैव विविधता के संरक्षण और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

अध्ययन की मुख्य बातें:

- वैश्विक पकड़ में योगदान:** एमपीए वैश्विक मछली पकड़ने की कुल पकड़ का 13.6%, मत्स्य राजस्व का 14% और पोषक आपूर्ति का 13.7% योगदान करते हैं।
- अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) से पकड़:** वैश्विक पकड़ का 7% इन क्षेत्रों से आता है, जो समुद्री संसाधनों की सुरक्षा में सहायक है।
- पोषण की दृष्टि से कमजोर तटीय समुदायों पर प्रभाव:** एमपीए का विकास तटीय समुदायों में मानव स्वास्थ्य और पोषण में सुधार कर सकता है, जिससे उन्हें पोषण सुरक्षा मिल सकती है।

एमपीए का महत्व:

- प्राकृतिक पुनरुद्धार:** एमपीए प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के प्राकृतिक पुनरुद्धार में सहायक होते हैं और आनुवंशिक सामग्री का भंडार बने रहते हैं।
- समुद्री प्रजातियों के लिए शरणस्थल:** ये क्षेत्र अत्यधिक मछली पकड़ने, आवास विनाश, और प्रदूषण से समुद्री प्रजातियों को सुरक्षित रखते हैं।
- वैज्ञानिक अनुसंधान:** एमपीए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए आधार रेखा के रूप में कार्य करते हैं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी की बेहतर समझ विकसित होती है।
- मनोरंजन और पर्यटन:** एमपीए प्रकृति-आधारित पर्यटन और मनोरंजन का भी केंद्र होते हैं, जो आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
- जलवायु परिवर्तन में योगदान:** एमपीए जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में सहायक होते हैं, जिससे महासागरों की जलवायु स्थिरता बनी रहती है।

एमपीए के संरक्षण में चुनौतियाँ:

- विनियमों का पालन:** एमपीए में कड़े नियमों का पालन कराना कठिन होता है।
- संसाधनों की आवश्यकता:** पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधनों की कमी से इन क्षेत्रों की सुरक्षा प्रभावित होती है।
- स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका:** एमपीए में सख्त नियमों के कारण स्थानीय मछुआरों की आजीविका पर असर पड़ता है।

निष्कर्ष: एमपीए समुद्री पारिस्थितिकी और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों का उचित प्रबंधन समुद्री जीवन को संरक्षित रखने, पोषण सुरक्षा में सुधार करने और स्थानीय समुदायों की आजीविका को संतुलित करने में सहायक हो सकता है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एमपीए के संरक्षण को बढ़ावा देकर हम महासागरों के स्वास्थ्य और वैश्विक जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं।



वैश्विक पहल:

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा:** इसका लक्ष्य 2030 तक वैश्विक महासागरों और भूमि के 30% हिस्से को संरक्षित करना है।
- उच्च सागर संधि:** राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के समुद्री क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यह समझौता किया गया है।

भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र:

भारत में भी कई एमपीए स्थापित किए गए हैं जो समुद्री जैव विविधता को संरक्षित करने में सहायक हैं, जैसे:

- मन्नार की खाड़ी समुद्री पार्क** (तमिलनाडु)
- लोथियन द्वीप** (पश्चिम बंगाल)
- गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य** (ओडिशा)

जी-20 की DRRWG मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 / G-20 DRRWG Ministerial Meeting 2024

भारत ने ब्राजील में आयोजित जी-20 के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें जी-20 देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण घोषणापत्र को अपनाया। इस घोषणापत्र में सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अधिक कार्यवाही की आवश्यकता पर बल दिया गया।

जी-20 के DRRWG के बारे में:

भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत 2023 में स्थापित DRRWG का उद्देश्य जी-20 कार्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना है। इसके पाँच प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

1. **पूर्व चेतावनी प्रणाली:** आपदाओं की पूर्व सूचना प्रदान करना।
2. **आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना:** आपदाओं का सामना कर सकने वाली संरचनाओं का निर्माण।
3. **डीआरआर वित्तपोषण:** आपदा न्यूनीकरण के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना।
4. **आपदा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण:** आपदा के बाद के राहत कार्यों को मजबूत करना।
5. **प्रकृति-आधारित समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण:** प्राकृतिक समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करके जोखिम न्यूनीकरण करना।

सेंडाइ फ्रेमवर्क (2015-30) के बारे में:

सेंडाइ फ्रेमवर्क 2015 में जापान के सेंडाइ में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। यह एक 15-वर्षीय गैर-बाध्यकारी समझौता है जो 7 मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित है और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (2005-15) का उन्नत संस्करण है। इसका उद्देश्य आपदा जोखिम और उससे होने वाले जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य तथा भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय परिसंपत्तियों को होने वाले नुकसान को कम करना है।

सेंडाइ फ्रेमवर्क की प्राथमिकताएं:

1. **आपदा जोखिम को समझना:** जोखिमों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाना।
2. **आपदा जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना:** आपदा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना।
3. **लचीलेपन के लिए डीआरआर में निवेश:** आपदा से निपटने की क्षमता को बढ़ाना।
4. **प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी:** आपदाओं के प्रभावी नियंत्रण के लिए तैयारी करना।
5. **पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण में "बेहतर पुनर्निर्माण":** आपदा के बाद स्थायी और सुरक्षित पुनर्निर्माण।

जी-20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (DRRWG) के बारे में:

वर्ष 2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत स्थापित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (Disaster Risk Reduction Working Group) का उद्देश्य जी-20 के कार्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना और विकासशील देशों को आपदा प्रबंधन में सहायता प्रदान करना है। यह समूह आपदा जोखिम को कम करने और लचीलापन बढ़ाने के लिए अच्छे तरीकों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान के साथ-साथ मार्गदर्शन दस्तावेजों और सामान्य दृष्टिकोणों का विकास करता है। इस प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा दिया जाता है।



कार्य समूह की प्राथमिकता वाले क्षेत्र:

यह कार्य समूह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:

1. **असमानताओं का मुकाबला और कमजोरियों को कम करना** - सामाजिक असमानताओं और विभिन्न कमजोरियों को कम करके आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना।
2. **सार्वभौमिक कवरेज हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली** - सभी के लिए पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली का निर्माण, ताकि संभावित आपदाओं से नागरिकों को समय रहते सुरक्षित किया जा सके।
3. **आपदा एवं जलवायु अनुकूल अवसंरचना** - ऐसी अवसंरचना का निर्माण करना जो आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सह सके और अधिक लचीली हो।
4. **आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तपोषण रूपरेखा** - आपदा जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय स्रोतों और योजनाओं का विकास।
5. **आपदा पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण** - आपदाओं के बाद पुनर्प्राप्ति, पुनर्वास, और पुनर्निर्माण के प्रयासों को प्रभावी बनाने पर केंद्रित गतिविधियाँ।
6. **प्राकृतिक समाधान और पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण** - पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण।

भारत में थोरियम और 1 GeV कण त्वरक/ Thorium and 1 GeV particle accelerators in India

परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने 1 GeV कण त्वरक विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जो भारत के विशाल थोरियम भंडार का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कण त्वरक का उद्देश्य थोरियम को ऐसे परमाणु ईंधन में बदलना है जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक हो सके।

कण त्वरक क्या है?

कण त्वरक एक ऐसा उन्नत यंत्र है जो उप-परमाणु कणों (जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन) को उच्च गति पर ले जाकर थोरियम को यूरेनियम-233 में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संभव बनाता है। यूरेनियम-233 एक विखंडनीय पदार्थ है, जिसका परमाणु रिएक्टरों में उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

वर्तमान में भारत में कई कण त्वरक (जैसे साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन) हैं, लेकिन ये सभी 30 मेगा इलेक्ट्रॉन-वोल्ट (MeV) श्रेणी में आते हैं। 1 GeV त्वरक की स्थापना भारत में उच्च ऊर्जा न्यूट्रॉन उत्पादन के लिए आवश्यक कदम है।

थोरियम के लाभ और भारत का दृष्टिकोण:

थोरियम भंडार का उपयोग करते हुए भारत अपने ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को और मजबूत कर सकता है।

1. यूरेनियम-233 का प्रजनन: थोरियम को विकिरणित करने से यूरेनियम-233 उत्पन्न होता है, जो त्रि-स्तरीय परमाणु रणनीति के अनुरूप है। यह परमाणु ऊर्जा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण विखंडनीय सामग्री का स्रोत बनेगा।

2. उच्च बर्न-अप कॉन्फ़िगरेशन: थोरियम को यूरेनियम के साथ रिएक्टरों में जोड़कर अतिरिक्त ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है।

3. उच्च ऊर्जा प्रोटॉन त्वरक: 1 GeV त्वरक के माध्यम से न्यूट्रॉन का उत्पादन कर यूरेनियम-233 को प्रजनित करना संभव होगा। इस तकनीक का उपयोग त्वरक-चालित सबक्रिटिकल रिएक्टर प्रणाली (ADSS) के माध्यम से कुशल ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।

दूसरे नियोजित त्वरक: अनुसंधान के लिए एक नई दिशा

- वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 1 GeV त्वरक:** न्यूट्रॉन उत्पादन कर स्पैलेशन न्यूट्रॉन स्रोत का अध्ययन करना।
- सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत:** एक्स-रे या यूवी प्रकाश उत्पन्न करना, जो कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए लाभकारी है।

वैश्विक स्तर पर महत्व:

1 GeV कण त्वरक की स्थापना से भारत उन्नत कण त्वरक प्रौद्योगिकी में दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। यह भारत की वैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देगा।

ANEEL ईंधन: थोरियम के प्रभावी उपयोग की दिशा में

ANEEL (एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच लाइफ), शिकागो स्थित क्लीन कोर थोरियम एनर्जी कंपनी द्वारा विकसित एक नया ईंधन मिश्रण है। यह विशेष HALEU (हाई एसे लो एनरिच यूरेनियम) ईंधन थोरियम और यूरेनियम का संयोजन है।



थोरियम-आधारित ऊर्जा का लाभ:

- परमाणु अपशिष्ट में कमी:** ANEEL ईंधन के उपयोग से परमाणु कचरे में कमी आती है।
- अधिक समय तक कार्यक्षमता:** ANEEL ईंधन अधिक समय तक चलता है और कुशलता से जलता है।
- हथियारों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त:** ANEEL का व्यय किया गया ईंधन हथियार बनाने में उपयोगी नहीं होता।

बुनियादी ढांचागत चुनौतियाँ और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता:

HALEU ईंधन का उत्पादन अभी वैश्विक स्तर पर सीमित है। इसके वाणिज्यिक उत्पादन में रूस और चीन का प्रभुत्व है। भारत को अपने थोरियम भंडार का लाभ उठाने के लिए HALEU उत्पादन के बुनियादी ढांचे को विकसित करना होगा।

भारत के थोरियम भंडार: ऊर्जा का असीम स्रोत:

भारत के पास थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.07 मिलियन टन है। यह भंडार भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को एक सदी से अधिक समय तक पूरा कर सकता है। केरल के समुद्र तटों पर पाई जाने वाली मोनाज़ाइट रेत थोरियम का प्रमुख स्रोत है।

एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024/ Asian Buddhist Summit 2024

भारत ने पहली बार एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जो भारत की सांस्कृतिक और कूटनीतिक सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद (IBC) के सहयोग से किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के माध्यम से एशिया को एकजुट करना और समृद्ध बनाना है।


एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- **विषय:** शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय "एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका" था।
- **प्रमुख चर्चाएँ:**
 - बौद्ध कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत।
 - बौद्ध धर्म के प्रसार और बुद्ध चारिका का महत्व।
 - समाज में पवित्र बौद्ध अवशेषों की भूमिका।
 - वैज्ञानिक अनुसंधान में बौद्ध धर्म का योगदान।
 - 21वीं सदी में बौद्ध साहित्य और दर्शन की प्रासंगिकता।


यह आयोजन भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** को भी समर्थन देता है, जो एशियाई देशों के साथ समावेशी और आध्यात्मिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का उद्देश्य रखती है।

बौद्ध धर्म का वैश्विक महत्व:

बौद्ध धर्म, जो **सिद्धार्थ गौतम (बुद्ध)** की शिक्षाओं पर आधारित है, दुख और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के मार्ग पर चलता है। इसके प्रमुख सिद्धांत जैसे **माइंडफुलनेस, शांति, क्षमा और भौतिकवाद से परे जीवन** आज की दुनिया में प्रासंगिक हैं।



निष्कर्ष: बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत एशियाई देशों के साथ **सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंधों** का उपयोग कर आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। **बौद्ध पर्यटन** के प्रचार-प्रसार और **नालंदा विश्वविद्यालय** के पुनरुद्धार जैसी पहलों के माध्यम से भारत वैश्विक मंच पर शिक्षा, सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक नेतृत्व को प्रोत्साहित कर रहा है।



भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म का उपयोग भारत की **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी** को मजबूत करने में किया जा रहा है। इसमें शामिल हैं:

- **दक्षिण एशियाई देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करना:** थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव।
- **शांतिपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान:** भारत का प्रयास है कि वह साझा मूल्यों के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता का प्रतीक बने।
- **बौद्ध धर्म की ऐतिहासिक जड़ें:** भारत बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल है, जहाँ बोधगया जैसे महत्वपूर्ण स्थल हैं।
- **दलाई लामा और वैश्विक प्रभाव:** दलाई लामा का भारत में निर्वासन से भारत को बौद्ध दर्शन का वैश्विक समर्थन मिला है।
- **नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार:** नए नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बौद्ध अध्ययन में वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनने की दिशा में भारत अग्रसर है।
- **बौद्ध कला और विरासत:** अजंता-एलोरा की गुफाएं, सांची और सारनाथ जैसे स्थल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं।
- **बौद्ध पर्यटन:** भारत में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल हैं, और पर्यटन मंत्रालय बौद्ध सर्किट के विकास को बढ़ावा दे रहा है।

हर निजी संपत्ति सामुदायिक संसाधन नहीं है: सुप्रीम कोर्ट / Every private property is not a community resource: Supreme Court

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि राज्य केवल 'सामान्य हित' के आधार पर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। यह निर्णय विशेष रूप से महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले एक मामले पर दिया गया, जिसमें राज्य को निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के प्रावधान थे।

पृष्ठभूमि:

- इस मामले की शुरुआत मुंबई के संपत्ति मालिक संघ ने की थी। या
- चिकाकर्ताओं ने कानून की उस धारा को चुनौती दी थी, जो सरकार को मासिक किराए के सौ गुना मुआवजे के साथ संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार देती है।
- इस मामले की सुनवाई 1992 में शुरू हुई थी और 2002 में इसे नौ सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा गया था, जिसका फैसला 2024 में आया।

निजी संपत्ति का अधिकार:

- संविधान के अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल रूप से 'संपत्ति का अधिकार' मौलिक अधिकार था।
- 1978 में 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे अनुच्छेद 300 ए के तहत केवल एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, जिससे सरकार को केवल उचित प्रक्रिया और पर्याप्त मुआवजे के साथ संपत्ति अधिग्रहण का अधिकार मिला।


सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता। अदालत ने 1978 के उस फैसले को पलट दिया जिसमें अनुच्छेद 39(बी) की व्यापक व्याख्या करते हुए सभी निजी संपत्तियों को सामुदायिक संसाधन मानने का सुझाव दिया गया था।
- अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 39(बी) के तहत संसाधनों को पुनर्वितरित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वे सामान्य भलाई के लिए कार्य कर सकें, लेकिन सभी निजी संपत्तियों पर इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

असहमति के स्वर:

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने आंशिक असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि 'भौतिक संसाधनों' को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - राज्य के स्वामित्व वाले और निजी स्वामित्व वाले। उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों और समुदाय की आवश्यकताओं के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया।

निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भारत में निजी संपत्ति अधिकारों को लेकर एक अहम मोड़ है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य केवल उचित प्रक्रिया और पर्याप्त मुआवजे के माध्यम से ही संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। यह फैसला न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों और सामान्य हित के बीच संतुलन स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

**'समुदाय के भौतिक संसाधनों' के लिए मानदंड:**

निर्णय के अनुसार, किसी संसाधन को सामुदायिक संसाधन मानने के लिए विभिन्न कारकों का आकलन जरूरी है:

1. संसाधन की प्रकृति और विशेषताएं
2. सार्वजनिक कल्याण पर प्रभाव
3. संसाधन का स्वामित्व (राज्य या निजी)
4. उसकी उपलब्धता और कमी
5. निजी स्वामित्व के प्रभाव

फैसले के निहितार्थ:

✦ इस निर्णय से राज्य द्वारा मनमाने संपत्ति अधिग्रहण पर रोक लगेगी और एक संतुलित दृष्टिकोण को बल मिलेगा। यह भारत में संपत्ति अधिकारों को सुरक्षित करते हुए आर्थिक नीति में बाजार-उन्मुख बदलाव का संकेत भी देता है, जो समाजवादी विचारधारा से हटकर अधिक उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है।

विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला / World Solar Report Series

विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का तीसरा संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की 7वीं सभा में जारी किया गया। इस श्रृंखला में चार मुख्य रिपोर्टें शामिल हैं, जो टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में वैश्विक बदलाव में महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालती हैं।

चार मुख्य रिपोर्टें:

1. विश्व सौर बाजार रिपोर्ट:

- **सौर क्षमता में वृद्धि:** वैश्विक सौर क्षमता 2000 में 1.22 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 1,418.97 गीगावाट हो गई है, जो लगभग 40% वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है।
- **सौर उद्योग में रोजगार:** सौर उद्योग में 16.2 मिलियन नौकरियां हैं, जिसमें सौर ऊर्जा क्षेत्र 7.1 मिलियन रोजगार के साथ अग्रणी है।

2. विश्व निवेश रिपोर्ट:

- **ऊर्जा निवेश:** वैश्विक ऊर्जा निवेश 2018 में 2.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 3.1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जो 5% की वार्षिक वृद्धि दर दिखाता है।
- **एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अग्रणी भूमिका:** एशिया-प्रशांत क्षेत्र 2023 तक सौर ऊर्जा में 223 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने में अग्रणी है।


3. **विश्व प्रौद्योगिकी रिपोर्ट:** सौर पी.वी. मॉड्यूलों में 24.9% दक्षता, सिलिकॉन के उपयोग में 88% की कमी, और सौर पी.वी. की लागत में 90% की कमी शामिल है, जो ऊर्जा उत्पादन को अधिक लचीला और सस्ता बनाता है।

4. **अफ्रीकी देशों में ग्रीन हाइड्रोजन की तैयारी का आकलन:** हरित हाइड्रोजन कोयला, तेल, और गैस के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अफ्रीका के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):

- **स्थापना:** 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद द्वारा।
- **मुख्यालय:** भारत में स्थित, यह पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है।
- **लक्ष्य:** 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना और प्रौद्योगिकी एवं वित्तपोषण लागत को कम करना।

इस रिपोर्ट श्रृंखला से यह स्पष्ट होता है कि सौर ऊर्जा में वृद्धि और निवेश विश्व स्तर पर टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।



भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता:

- **कुल क्षमता:** भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 452.69 गीगावाट है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा योगदान:** 2024 तक, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन क्षमता 201.45 गीगावाट है, जो कुल स्थापित क्षमता का 46.3% है। इसमें सौर ऊर्जा 90.76 गीगावाट, पवन ऊर्जा 47.36 गीगावाट, और जलविद्युत 46.92 गीगावाट शामिल हैं।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य:

- **शुद्ध शून्य उत्सर्जन:** भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।
- **अल्पकालिक लक्ष्य:**
 - 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना।
 - ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना।
 - संचयी उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी लाना।
 - जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% तक कम करना।

बायोपाइरेसी/ Biopiracy

बायोपाइरेसी का अर्थ है जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति के शोषण, जिसमें कम्पनियों, शोधकर्ताओं या देशों द्वारा इन संसाधनों का वाणिज्यिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, बिना स्रोत समुदाय या देश को मुआवजा दिए। इस अवधारणा के अंतर्गत स्वदेशी पौधों, जानवरों, या पारंपरिक ज्ञान पर पेटेंट का दावा करना शामिल है।

बायोपाइरेसी के प्रकार:

सामान्य बायोपाइरेसी:

- पारंपरिक औषधीय पौधों पर बिना अनुमति के पेटेंट हासिल करना।
- जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों से आनुवंशिक संसाधनों का अनधिकृत संग्रह करना।

डिजिटल बायोपाइरेसी: डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके आनुवंशिक डेटा और जैविक जानकारी को बिना अनुमति के संग्रह करना और उसका उपयोग करना। इसमें आनुवंशिक अनुक्रमों के डेटाबेस से जानकारी लेकर उसे व्यावसायिक रूप से उपयोग करना भी शामिल है, जिससे भौतिक संसाधनों की आवश्यकता को दरकिनारा किया जा सकता है।

भारत में बायोपाइरेसी से सुरक्षा के उपाय:

भारत में जैविक विविधता और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं:

- **जैविक विविधता अधिनियम, 2002:** इस कानून के तहत विदेशी संस्थाओं को भारतीय जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए अनुमति लेनी होती है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक लाभों का स्थानीय समुदायों के साथ साझा करना अनिवार्य है।
- **पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पीपीवीएफआर):** यह अधिनियम किसानों और पारंपरिक पौध किस्मों के अधिकारों की रक्षा करता है और कम्पनियों को पारंपरिक फसल किस्मों पर पेटेंट का दावा करने से रोकता है।
- **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल):** यह पारंपरिक ज्ञान का एक डिजिटल संग्रह है, जो विशेष रूप से भारतीय औषधीय ज्ञान को पेटेंट से बचाने में मदद करता है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून और समझौते:

- **जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी), 1992:** यह संधि जैव विविधता का संरक्षण, इसके सतत उपयोग और लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करती है।
- **नागोया प्रोटोकॉल, 2010:** यह सीबीडी का अनुपूरक है और यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का समान रूप से बंटवारा किया जाए।
- **ट्रिप्स समझौता (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलू), 1995:** यह समझौता पेटेंट के मानकों को निर्धारित करता है, लेकिन बायोपाइरेसी के मुद्दों को पूरी तरह से कवर नहीं करता।
- **खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (आईटीपीजीआरएफए), 2001:** इसे बीज संधि भी कहा जाता है, जो पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों को साझा करने की दिशा में कार्य करता है।

बायोपाइरेसी

Biopiracy



चुनौतियाँ:

- **कानून का प्रवर्तन:** विश्व स्तर पर बायोपाइरेसी कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन कठिन है।
- **लाभ-साझाकरण:** स्वदेशी समुदायों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण है।
- **डिजिटल बायोपाइरेसी का विनियमन:** डिजिटल बायोपाइरेसी से निपटने के लिए वर्तमान ढांचे पर्याप्त नहीं हैं।

पेटेंट क्या है?

पेटेंट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जो किसी नए और उपयोगी आविष्कार के लिये सरकार द्वारा दिए गए विशेषाधिकार को दर्शाता है। पेटेंट का उद्देश्य आविष्कारक को अपने आविष्कार के बदले एक निश्चित समयावधि के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करना होता है, जिससे वह अपने आविष्कार का अनन्य उपयोग, निर्माण, बिक्री और वितरण कर सके। पेटेंट धारक की अनुमति के बिना कोई भी अन्य व्यक्ति उस आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकता है।

भारत में पेटेंट प्रणाली:

- भारत में पेटेंट प्रणाली **पेटेंट अधिनियम, 1970** के तहत शासित होती है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2003 और वर्ष 2005 में, और हाल ही में **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** के अनुसार इसे अद्यतन किया गया है।
- यह अधिनियम भारत में पेटेंट अधिकारों की प्रक्रिया, पेटेंट के दायरे, और आविष्कारकों के अधिकारों का संरक्षण करता है।

संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2024 / Protected Planet Report 2024

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र (यूएनईपी-डब्ल्यूसीएमसी) और आईयूसीएन ने संरक्षित ग्रह रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट *कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF)* के लक्ष्य 3 के तहत संरक्षित और संरक्षित क्षेत्रों (PCA) की स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से पहली बार प्रस्तुत की गई है।

लक्ष्य 3 का उद्देश्य:

लक्ष्य 3 के तहत, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर संरक्षित क्षेत्रों को 30% तक विस्तारित करने की योजना है। इस उद्देश्य में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLC) के अधिकारों का सम्मान करते हुए पीसीए का एक न्यायसंगत नेटवर्क बनाना शामिल है।

- **संरक्षित क्षेत्र:** विशिष्ट संरक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र।
- **संरक्षित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र:** ऐसे क्षेत्र जिनका जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और स्थानीय मूल्यों के संरक्षण हेतु प्रबंधन किया जाता है।

प्रमुख निष्कर्ष:

1. **पीसीए की वैश्विक कवरेज:** वर्तमान में स्थलीय और अंतर्देशीय जल का 17.6% और समुद्री एवं तटीय क्षेत्रों का 8.4% पीसीए के तहत आच्छादित है।
2. **जैवविविधता संरक्षण:** प्रमुख जैवविविधता वाले दो-तिहाई से अधिक क्षेत्र आंशिक या पूर्ण रूप से पीसीए द्वारा संरक्षित हैं, जबकि 32% क्षेत्र अब भी असुरक्षित बने हुए हैं।
3. **भौगोलिक संरक्षण सीमाएं:** केवल 8.5% संरक्षित भूमि ही सड़क से जुड़ी हुई है, जो पहुंच और प्रभावशीलता को सीमित करती है।
4. **आईपीएलसी की भागीदारी:** केवल 4% संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन स्वदेशी लोगों द्वारा किया जा रहा है।

क्षेत्रीय निष्कर्ष: पश्चिमी गोलार्ध

- **स्वदेशी और पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षण में सम्मिलित करना:** ये क्षेत्र वैश्विक भूमि का 13.6% हिस्सा बनाते हैं और इन्हें संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाना आवश्यक है।
- **वित्तीय सहयोग:** जीबीएफ के तहत, विकसित देशों ने विकासशील देशों को संरक्षण विस्तार हेतु वित्तीय सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें जैव विविधता में निवेश को बढ़ाकर 2030 तक कम से कम 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की योजना है।

संरक्षण और संरक्षण क्षेत्रों को बढ़ावा देने वाली पहलें:

1. **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** इसके तहत भारत में अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षण रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व, और बाघ रिजर्व जैसी संरक्षित क्षेत्रों की पांच श्रेणियाँ हैं।
2. **BBNJ समझौता:** यह समझौता समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए है, जिसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं।
3. **जलवायु अनुकूलन और संरक्षित क्षेत्र (CAPA) पहल:** इस पहल का उद्देश्य जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा देने और संरक्षित क्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों का उपयोग करना है।



संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के बारे में:

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) एक अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है जो पर्यावरण से संबंधित विषयों पर कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य देशों और लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रेरित, सूचित और सक्षम बनाना है, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

यूएनईपी के मुख्य कार्य:

पिछले 50 वर्षों में, यूएनईपी ने गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान के लिए सरकारों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के साथ सहयोग किया है।

- **ओजोन परत की रक्षा:** ओजोन परत को पुनः बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास।
- **समुद्रों की सुरक्षा:** समुद्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण।
- **हरित और समावेशी अर्थव्यवस्था:** पर्यावरणीय रूप से अनुकूल और समावेशी अर्थव्यवस्था का विकास करना।

यूएनईपी की प्राथमिकताएँ:

1. **जलवायु परिवर्तन:** इससे निपटने के लिए राष्ट्रों को कम-कार्बन और संसाधन-कुशल अर्थव्यवस्थाओं की ओर बढ़ने में सहायता करना।
2. **प्रकृति और जैव विविधता की हानि:** जैव विविधता की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में योगदान।
3. **प्रदूषण:** प्रदूषण को कम करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़े, कानून और नीतियों को मजबूत करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का एकीकरण: चौथा चरण/ Integration of Regional Rural Banks (RRBs): Fourth Phase

वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) के चौथे चरण के एकीकरण का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत RRB की संख्या 43 से घटाकर 28 करने का सुझाव दिया गया है। इस एकीकरण का उद्देश्य इन्हें अधिक कुशल बनाना है और एक राज्य-एक RRB के सिद्धांत के तहत RRB का समेकन करना है।

RRB का समेकन:

RRB के समेकन की प्रक्रिया वर्ष 2004-05 में डॉ. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के आधार पर शुरू हुई। इस प्रक्रिया के तीन चरणों के माध्यम से, 196 RRB को 2020-21 तक घटाकर 43 कर दिया गया। समेकन से जुड़े मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

- **व्यय में कमी:** ऊपरी व्यय को कम कर वित्तीय संसाधनों की बचत।
- **प्रौद्योगिकी का समावेश:** RRB के लिए नवीनतम बैंकिंग तकनीक का उपयोग संभव बनाना।
- **पूंजी आधार में वृद्धि:** बड़े बैंक बनने से पूंजी और कार्यक्षेत्र का विस्तार।
- **जोखिम प्रबंधन:** बेहतर संसाधनों और निगरानी के साथ जोखिम को नियंत्रित करना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का परिचय:

उत्पत्ति: RRB की स्थापना 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों के अनुसार हुई थी। इसे बाद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत स्थापित किया गया।

उद्देश्य: RRB का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, छोटे उद्यमियों आदि को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

शेयरधारिता:

- भारत सरकार: 50%
- राज्य सरकार: 15%
- प्रायोजक बैंक: 35%

RRB को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। हालांकि इनका मुख्य कार्यक्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन इनकी शाखाएँ शहरी क्षेत्रों में भी हो सकती हैं।

RRB के सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य कदम:

1. **पुनर्पूँजीकरण:** वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान भारत सरकार ने ₹10,890 करोड़ की पूंजी RRB में डालने का निर्णय लिया ताकि उनकी पूंजी संरचना मजबूत हो सके।
2. **सतत व्यवहार्यता योजना:** इस योजना का उद्देश्य ऋण वितरण बढ़ाना, व्यापार विविधता, एनपीए में कमी, लागत में कमी और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करना है।
3. **त्वरित सुधारात्मक कार्यवाई (पीसीए):** यह पर्यवेक्षी ढांचा RRB की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए है।

निष्कर्ष: RRB के एकीकरण का चौथा चरण न केवल बैंकों की कार्यक्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाएगा।

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) :**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) भारत सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। इनकी स्थापना 26 सितंबर 1975 को जारी अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत की गई थी।

RRB की विशेषताएं:

- **सहकारी बैंक** की तरह ये ग्रामीण समस्याओं को समझने और उनसे निपटने में सक्षम होते हैं।
- **वाणिज्यिक बैंक** की तरह ये वित्तीय संसाधन जुटाने और व्यावसायिकता में सक्षम होते हैं।

RRB के कार्य:

1. **बचत को सुरक्षित करना:** ग्राहकों की बचत की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2. **ऋण सृजन:** ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाना।
3. **जनता का विश्वास बढ़ाना:** बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से लोगों में वित्तीय प्रणाली में विश्वास बढ़ाना।
4. **संगठित बचत:** जनता की बचत को व्यवस्थित करना और उसका उपयोग ग्रामीण विकास में करना।
5. **नेटवर्क विस्तार:** ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाना ताकि समाज के हर वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुँच सकें।
6. **वित्तीय समावेशन:** समाज के हर वर्ग को उनकी आय के स्तर की परवाह किए बिना वित्तीय सेवाएं प्रदान करना।
7. **सामाजिक समानता:** समाज में वित्तीय सेवाओं की समानता लाकर सामाजिक समानता में योगदान देना।

अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रम्प के कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंध/ India-US relations during Trump's tenure as US President

डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक वोट प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे में, ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान भारत-अमेरिका संबंधों का विश्लेषण और ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल का संभावित प्रभाव समझना महत्वपूर्ण है।

ट्रम्प का पहला कार्यकाल - भारत-अमेरिका सामरिक संबंधों को मजबूत करना:**अवलोकन:**

2017-2021 के दौरान, ट्रम्प प्रशासन ने भारत और अमेरिका को रणनीतिक साझेदार से बढ़ाकर महत्वपूर्ण सहयोगी बना दिया। इस दौरान रक्षा, आतंकवाद-निरोध, और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आईं, विशेष रूप से व्यापार और आतंजन में।

प्रमुख क्षेत्र - सहयोग में वृद्धि:

- उच्च स्तरीय कूटनीतिक संबंध:** 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्हाइट हाउस यात्रा और 2020 में ट्रम्प की भारत यात्रा ने दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूत किया।
- आतंकवाद विरोधी समर्थन:** अमेरिका ने भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया, जिसमें मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना और पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची में शामिल करना शामिल है।
- रक्षा सहयोग:** ट्रम्प के कार्यकाल में, भारत ने अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर तक का रक्षा आयात किया, जिससे सैन्य क्षमताएं बढ़ीं और उन्नत अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिली।
- सामरिक ऊर्जा साझेदारी:** 2018 में सामरिक ऊर्जा साझेदारी के तहत अमेरिका से भारत ने कच्चे तेल और LNG का आयात बढ़ाया, जिससे वह भारत का हाइड्रोकार्बन आयात का छठा सबसे बड़ा स्रोत बन गया।
- चीन का सामना करना:** ट्रम्प की नीतियों ने चीन को पारस्परिक खतरे के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे क्वाड गठबंधन और इंडो-पैसिफिक रणनीति को पुनर्जीवित किया गया।

प्रमुख क्षेत्र - चुनौतियाँ:

- ऊर्जा प्रतिबंध:** ट्रम्प ने भारत पर ईरान से तेल आयात रोकने का दबाव बनाया, जिससे भारत को अपनी ऊर्जा स्रोत नीति में बदलाव करना पड़ा।
- व्यापार और टैरिफ विवाद:** ट्रम्प ने कुछ भारतीय उत्पादों पर कम टैरिफ की मांग की, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी।
- आतंजन नीति:** एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध ने अमेरिका में कुशल भारतीय प्रवासियों के लिए समस्याएँ खड़ी कीं।
- कश्मीर पर मध्यस्थता विवाद:** ट्रम्प ने कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की, जिसे भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया के साथ खारिज कर दिया।

निष्कर्ष: ट्रम्प का पहला कार्यकाल भारत-अमेरिका संबंधों में सहयोग और मतभेदों दोनों को प्रदर्शित करता है। ट्रम्प 2.0 में नई दिल्ली को सावधानीपूर्वक रणनीति अपनानी होगी ताकि दोनों देशों के बीच संतुलित और उत्पादक साझेदारी बनी रहे।

**ट्रम्प की वापसी और संभावित प्रभाव:**

ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल में भारत को लाभ और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

संभावित लाभ:

- व्यापार और रक्षा सौदों को पुनर्जीवित करना:** ट्रम्प के लौटने से रक्षा और ऊर्जा सहयोग में निरंतरता की उम्मीद है।
- ऊर्जा स्वतंत्रता:** डिफ्टबुड LNG समझौते से ऊर्जा सहयोग बढ़ सकता है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा।
- घरेलू मुद्दों पर कम दबाव:** बाइडन प्रशासन की तुलना में, ट्रम्प के तहत प्रेस की स्वतंत्रता और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर भारत पर कम दबाव हो सकता है।
- पाकिस्तान पर सख्त रुख:** ट्रम्प की पिछली नीतियों के अनुरूप, पाकिस्तान पर दी जाने वाली सहायता में कमी जारी रह सकती है।

संभावित चुनौतियाँ:

- व्यापार टैरिफ:** ट्रम्प की टैरिफ नीति से भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों पर दबाव बढ़ सकता है।
- कूटनीतिक गलतियाँ:** कश्मीर पर मध्यस्थता जैसी त्रुटियाँ भारत में असंतोष पैदा कर सकती हैं।
- ऊर्जा प्रतिबंध:** ईरान और वेनेजुएला से तेल आयात पर प्रतिबंध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024: प्रमुख मुद्दे और रणनीतियाँ / Counter-Terrorism Conference 2024: Key Issues and Strategies

केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा किया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भविष्य की आतंकवाद विरोधी नीतियों और रणनीतियों को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आतंकवाद के वित्तपोषण में संगठित अपराध की भूमिका, एन्क्रिप्टेड ऐप्स का उपयोग, आपराधिक गिरोहों और आतंकवाद के बीच संबंध, तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

प्रमुख मुद्दे और चिंताएँ:

1. संगठित अपराध और आतंकवाद का सहजीवी संबंध:

- संगठित अपराध का तंत्र आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बदले में उन्हें सुरक्षा और संसाधन प्राप्त होते हैं।
- मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी, और अवैध खनन जैसी गतिविधियाँ आतंकवाद के लिए वित्तपोषण का स्रोत बनती हैं।

2. पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद का वित्तपोषण:

- विशेषकर मणिपुर, नागालैंड, और असम जैसे राज्यों में उग्रवादी समूहों का संगठित अपराध के साथ गहरा संबंध है। उदाहरणस्वरूप, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) जबरन वसूली और तस्करी में शामिल रहे हैं।
- भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी भी एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है।

3. आतंकवाद में तकनीकी चुनौतियाँ:

- आतंकवादी समूहों द्वारा सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशनों का उपयोग बढ़ रहा है, जिससे उनकी गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो गया है। वीपीएन और वर्चुअल नंबरों का प्रयोग जांच में और बाधा डालता है।
- मादक पदार्थों की तस्करी का राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव है, जिसमें ड्रोन का उपयोग बढ़ते हुए खतरे का संकेत देता है।

4. आतंकवाद-विरोधी समन्वय और रणनीति:

- स्थानीय पुलिस और जिला स्तर पर आतंकवाद रोधी दस्तों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है ताकि आतंकवादी नेटवर्क पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके।
- वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने और उनकी पारिस्थितिकी को समाप्त करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है।

5. राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी डेटाबेस: एनआईए द्वारा राष्ट्रीय स्तर के आतंकवाद डेटाबेस के उपयोग से आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयों में तेजी और सटीकता लाने का प्रयास किया जाएगा।

आशाएँ और निष्कर्ष: इस सम्मेलन के माध्यम से भारत में आतंकवाद विरोधी ढाँचे को मजबूत करने की दिशा में व्यापक रूप से प्रभावी नीतियाँ और कदम उठाने की योजना बनाई गई है। विभिन्न खुफिया एजेंसी प्रमुखों और राज्य आतंकवाद निरोधी दस्तों के साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श से देश की सुरक्षा और आतंकवाद-विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण सुधार आने की संभावना है।



राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) के बारे में:

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) भारत की प्रमुख आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों की जाँच और उनके नियंत्रण में सहायता करना है। NIA उन अपराधों की जाँच करती है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं:

- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराध।
- परमाणु और नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रकार की साजिश।
- हथियारों, ड्रग्स, और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार घुसपैठ।
- संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों तथा प्रस्तावों का उल्लंघन।

NIA का गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत हुआ था। इसे गृह मंत्रालय से लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच का अधिकार है।

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत

पश्चिमी घाट में पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) / Eco-sensitive Areas (ESA) in the Western Ghats

पश्चिमी घाट को एक पारिस्थितिकीय धरोहर के रूप में संरक्षित करने हेतु भारत सरकार ने छठी मसौदा अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकीय-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने का प्रस्ताव है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इस क्षेत्र को खनन, निर्माण जैसी गतिविधियों से बचाकर जैव विविधता की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) का महत्व:

ईएसजेड घोषित करने का उद्देश्य संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्रों को संरक्षित करना है। यह क्षेत्र अक्सर दुर्लभ या संकटग्रस्त प्रजातियों और प्राकृतिक संसाधनों का निवास स्थान होते हैं। 2002 में निर्णय लिया गया था कि संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में "शॉक ए जॉर्बर" के रूप में ईएसजेड को अधिसूचित किया जाए ताकि जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके।



पश्चिमी घाट का पर्यावरणीय महत्व:

- भू-स्खलन प्रवणता:** पश्चिमी घाट, हिमालय के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र है।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट:** यह जैव विविधता के आठ वैश्विक हॉटस्पॉट्स में से एक है। यहां कई स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरि तहर और शेर-पूछ वाला मैकाक।
- जल संसाधन:** पश्चिमी घाट भारत के कई नदियों का स्रोत है, जिनसे लगभग 245 मिलियन लोगों को जल आपूर्ति होती है।

संरक्षण की आवश्यकता:

खनन और निर्माण कार्यों ने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक संतुलन को प्रभावित किया है, जिसके चलते मिट्टी का क्षरण और पहाड़ी स्थिरता का हास हुआ है। 2012 में, पश्चिमी घाट को उसकी जैव विविधता और पारिस्थितिकी महत्व के कारण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

समितियों की सिफारिशें:

- गाडगिल रिपोर्ट (2011):**
 - सम्पूर्ण पश्चिमी घाट को ईएसए घोषित करने की सिफारिश।
 - त्रिस्तरीय वर्गीकरण के आधार पर क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया।
 - संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का सुझाव।
- कस्तूरींगन रिपोर्ट (2013):**
 - केवल 37% क्षेत्र को ईएसए घोषित करने की सिफारिश।
 - संवेदनशील क्षेत्रों में विनियमित विकास पर जोर दिया।
 - आर्थिक गतिविधियों और टिकाऊ आजीविका को संतुलित करने का प्रयास।

राज्य की प्रतिक्रिया:

अधिसूचना पर विभिन्न राज्यों ने आपत्तियां उठाई हैं। महाराष्ट्र और गोवा ने ईएसए की सीमा कम करने की मांग की है। कर्नाटक ने इस अधिसूचना को वापस लेने का अनुरोध किया है, क्योंकि इससे आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के बारे में:

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Areas - ESA) वे क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास होते हैं। इन क्षेत्रों को जैव विविधता पर मानवीय गतिविधियों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करने के लिए बफर जोन (Buffer Zones) के रूप में नामित किया गया है। ये क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील होते हैं।

कानूनी ढांचा:

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों का प्रबंधन भारत के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किया जाता है। इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) में इन क्षेत्रों का उल्लिखित किया गया है। यह योजना जैव विविधता की रक्षा और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक रणनीतियों का पालन करती है।

मूल (Origin):

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संरक्षित क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों) के आसपास के क्षेत्रों में बफर जोन प्रदान करना था, ताकि इन संरक्षित क्षेत्रों की जैविक विविधता पर मानवीय गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव कम किया जा सके।
- पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण के लिए, गाडगिल समिति (Ecology Expert Panel) और कस्तूरींगन समिति ने इन क्षेत्रों को "पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र" के रूप में नामित करने की सिफारिश की थी, विशेष रूप से पश्चिमी घाट जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्रों में। इन समितियों ने जैव विविधता संरक्षण के दृष्टिकोण से इन क्षेत्रों के नामकरण की आवश्यकता को महसूस किया।

RNA संपादन / RNA Editing

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी कंपनी वेव लाइफ साइंसेज ने अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी वाले रोगियों में आरएनए संपादन का पहला नैदानिक उपयोग सफलतापूर्वक किया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो विभिन्न विकारों के इलाज में नई संभावनाएं खोलती है, जहां डीएनए संपादन संभव नहीं हो पाता।

आरएनए संपादन क्या है?

आरएनए संपादन एक तकनीक है जिसमें वैज्ञानिक मैसेंजर आरएनए (mRNA) में मौजूद त्रुटियों को सुधारते हैं। जब कोशिका डीएनए से mRNA का संश्लेषण करती है और फिर प्रोटीन बनाती है, तब कभी-कभी mRNA में त्रुटियाँ हो सकती हैं, जिससे दोषपूर्ण प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए संपादन इस प्रक्रिया में mRNA में होने वाली गलतियों को ठीक करता है, जिससे दोषपूर्ण प्रोटीन बनने से रोका जा सकता है और संभावित विकारों को भी रोका जा सकता है।

एडीएआर (ADAR) एंजाइम का उपयोग:

आरएनए संपादन में मुख्य भूमिका 'एडेनोसिन डीअमाइनेज' (ADAR) नामक एंजाइम निभाता है। यह एंजाइम mRNA में एडेनोसिन अणु को इनोसिन में बदल देता है, जो ग्वानोसिन जैसा कार्य करता है। इस प्रक्रिया के लिए गाइड RNA (gRNA) का प्रयोग किया जाता है, जो ADAR को mRNA के ठीक उस हिस्से तक ले जाता है जिसे सुधार की आवश्यकता होती है।

α -1 एंटीट्रिप्सिन की कमी (AATD):


AATD एक आनुवंशिक विकार है जिसमें α -1 एंटीट्रिप्सिन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे यकृत और फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से पीड़ित लोगों को नियमित चिकित्सा की आवश्यकता होती है, और जिनके यकृत प्रभावित होते हैं, उनके लिए यकृत प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प होता है।

आरएनए बनाम डीएनए संपादन:

- **सुरक्षा और लचीलापन:** डीएनए संपादन स्थायी होता है और इसमें गलतियों के जोखिम अधिक होते हैं। दूसरी ओर, आरएनए संपादन का प्रभाव अस्थायी होता है, जो समय के साथ घट जाता है।
- **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का जोखिम:** डीएनए संपादन में बाहरी बैक्टीरियल प्रोटीन (जैसे CRISPR-Cas9) का उपयोग होता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। आरएनए संपादन में ADAR एंजाइम का प्रयोग होता है, जो पहले से ही मानव शरीर में मौजूद होता है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं का जोखिम कम करता है।

आरएनए संपादन की चुनौतियाँ:

- **विशिष्टता की कमी:** ADAR एंजाइम कभी-कभी mRNA के लक्षित हिस्सों के साथ गैर-लक्षित हिस्सों को भी संपादित कर सकते हैं, जिससे गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
- **क्षणिक प्रभाव:** आरएनए संपादन के अस्थायी परिणाम होते हैं, जिसके कारण रोगियों को नियमित उपचार की आवश्यकता हो सकती है।
- **प्रसार क्षमता की सीमाएँ:** gRNA-ADAR कॉम्प्लेक्स को कोशिकाओं तक पहुंचाने में लिपिड नैनोकणों का उपयोग होता है, जो बड़े अणुओं को प्रभावी ढंग से परिवहन नहीं कर पाते।



राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) के बारे में:

परिचय: राइबोन्यूक्लिक एसिड (आरएनए) सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण न्यूक्लिक एसिड है, जो अक्सर एकल-रज्जु (single-stranded) होता है। यह राइबोज शर्करा, नाइट्रोजनस बेस, और फॉस्फेट समूहों वाले न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। आरएनए मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और कुछ वायरस (जैसे इन्फ्लुएंजा और कोरोनावायरस) के लिए प्राथमिक आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है।

आरएनए के प्रकार:

1. **मैसेंजर आरएनए (mRNA):** यह डीएनए से अनुवांशिक सूचना को कोशिका के राइबोसोम तक ले जाता है, जहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है।
2. **राइबोसोमल आरएनए (rRNA):** यह राइबोसोम का मुख्य घटक है और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।
3. **ट्रांसफर आरएनए (tRNA):** यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाने में मदद करता है और प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक सही अनुक्रम में उन्हें जोड़ता है।

प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना / PM Vidya Lakshmi Scheme

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम विद्यालक्ष्मी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि आर्थिक बाधाओं के बिना वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है और सार्वजनिक तथा निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) में योग्य छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है।



योजना के उद्देश्य:

- शिक्षा में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना:** मेधावी विद्यार्थियों को बिना वित्तीय बाधाओं के उच्च शिक्षा में मदद करना।
- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों को समर्थन देना:** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के अनुसार उच्च रैंक वाले संस्थानों पर ही लागू।
- पारदर्शी और डिजिटल पहुंच:** ऋण प्रबंधन के लिए डिजिटल और पारदर्शी प्लेटफॉर्म का उपयोग।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- ऋण उपलब्धता:**
 - पात्रता:** गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश पाने वाले सभी छात्र पात्र होंगे।
 - ऋण शर्तें:** संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, जो ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों को कवर करेगा।
 - संस्थागत कवरेज:** एनआईआरएफ की शीर्ष 100 संस्थानों, 101-200 रैंक वाले राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों और केन्द्रीय सरकारी संस्थानों पर लागू।
- ऋण गारंटी सहायता:** 7.5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे बैंकों को अधिक शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन मिलेगा।
- ब्याज सब्सिडी:**
 - पात्रता:** वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये तक हो और अन्य सरकारी छात्रवृत्ति न प्राप्त कर रहे हों।
 - सब्सिडी की शर्तें:** स्थगन अवधि के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी।
- बजट और पहुंच:** 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का आवंटन, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 लाख और योजना अवधि में 7 लाख छात्रों को ब्याज अनुदान का लाभ देने का लक्ष्य है।
- एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म:**
 - "पीएम विद्यालक्ष्मी" पोर्टल के माध्यम से शिक्षा ऋण और ब्याज अनुदान के लिए आवेदन प्रक्रिया को सुदृढस्थित किया जाएगा।
 - भुगतान ई-वाउचर और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से किया जाएगा।

अनुपूरक सरकारी योजनाएँ: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के साथ दो प्रमुख योजनाएँ शामिल हैं:

- केन्द्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस):** 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले छात्रों को 10 लाख रुपये तक के ऋण पर स्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
- शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल):** गारंटी निधि के साथ शिक्षा ऋण का समर्थन करती है।

पीएम विद्यालक्ष्मी और पीएम-यूएसपी योजनाएँ विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 को प्रतिस्थापित करती है। इसे डॉ. के. कस्तूरिंगन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा तैयार किया गया। एनईपी 2020 का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करना है, जिससे यह 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके।

एनईपी 2020 के 5 मूलभूत स्तंभ:

- पहुंच (Access):** सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- इक्विटी (Equity):** समाज के सभी वर्गों के छात्रों को समान अवसर प्रदान करना।
- गुणवत्ता (Quality):** शिक्षा में उच्च स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- सामर्थ्य (Affordability):** शिक्षा को सभी के लिए किफायती बनाना।
- जवाबदेही (Accountability):** शिक्षा प्रणाली में उत्तरदायित्व बढ़ाना।

एनईपी 2020 के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य:

- समग्र और लचीली शिक्षा प्रणाली:** स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और बहुविषयक बनाना, ताकि छात्रों के समग्र विकास में सहायक हो सके।
- वैश्विक ज्ञान महाशक्ति का निर्माण:** भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना।
- छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं का विकास:** प्रत्येक छात्र की विशेष क्षमताओं और रुचियों को समझते हुए उनका विकास करना।
- सतत विकास के 2030 एजेंडा के अनुरूप:** नीति को 2030 के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप ढाला गया है, ताकि समाज में समृद्धि, समावेशन और सतत विकास का संचार हो सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) का एकीकरण: चौथा चरण/ Integration of Regional Rural Banks (RRBs): Fourth Phase

हाल ही में यूएन-हैबिटेट की "विश्व शहर रिपोर्ट 2024: शहर और जलवायु कार्रवाई" रिपोर्ट में शहरी क्षेत्रों के जलवायु संकट से प्रभावित होने और उनके द्वारा उत्पन्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

**मुख्य निष्कर्ष:**

- जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता:** अनुमान है कि 2040 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 2 बिलियन से अधिक लोग 0.5°C तक की अतिरिक्त तापमान वृद्धि के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं।
- वित्त पोषण की कमी:** जलवायु-अनुकूल प्रणालियों के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्रों को प्रति वर्ष 4.5-5.4 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में केवल 831 बिलियन डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध है।
- सिकुड़ता हरित क्षेत्र:** 1990 में शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र का हिस्सा 20% था, जो 2020 में घटकर 14% रह गया है।
- कमजोर समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव:** कुछ जलवायु हस्तक्षेप, जैसे "हरित सभ्यता" (ग्रीन जैट्टीफिकेशन), अनजाने में कमजोर समुदायों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे विस्थापन और संपत्ति मूल्यों में वृद्धि।

अनुशंसाएँ:

- राजस्व जुटाने के साधन:** ऋण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) और अन्य साधनों के माध्यम से जलवायु वित्त जुटाना।
- शहरी नियोजन में जलवायु कार्रवाई का एकीकरण:** स्थानीय स्तर पर संचालित प्रयासों को समर्थन देकर और शहरी योजनाओं में जलवायु कार्रवाई को सम्मिलित कर शहरी लचीलापन बढ़ाना।
- सामाजिक संरक्षण और प्रकृति-आधारित समाधान:** कमजोर समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना और जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान अपनाना।

यूएन-हैबिटेट के बारे में:

- स्थापना:** 1978 में, हैबिटेट। सम्मेलन में यूएन-हैबिटेट की नींव रखी गई।
- मुख्यालय:** नैरोबी, केन्या।
- उद्देश्य:** सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कस्बों और शहरों को बढ़ावा देना।
- साझेदार:** विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना।
- महत्वपूर्ण दस्तावेज:** "वैकूवर घोषणा" (हैबिटेट I) और "इस्तांबुल घोषणा" (हैबिटेट II)।

ग्रीनहाउस गैस के बारे में:

ग्रीनहाउस गैसों (Greenhouse Gases, GHGs) वे गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से मौजूद होती हैं, लेकिन कई मानव-जनित गतिविधियों के कारण उनकी मात्रा में वृद्धि हो गई है। ये गैसें सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में प्रवेश करने देती हैं और उससे उत्पन्न गर्मी को अवशोषित कर उसे पुनः उत्सर्जित करती हैं। ग्रीनहाउस गैसों वायुमंडल में एक प्रकार के "थर्मल कंबल" के रूप में काम करती हैं, जो पृथ्वी की सतह से बाहर जाने वाली गर्मी को कुछ हद तक रोककर तापमान को स्थिर बनाए रखती हैं।

प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों:

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂):** यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस) के जलने, वनों की कटाई और कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। यह सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मानव-जनित ग्रीनहाउस गैस है।
- मीथेन (CH₄):** यह गैस कृषि (विशेषकर पशुपालन), अपशिष्ट प्रबंधन और तेल व गैस के उत्पादन से उत्सर्जित होती है। इसकी ग्रीनहाउस प्रभाव बढ़ाने की क्षमता CO₂ से कई गुना अधिक होती है।
- नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O):** मुख्य रूप से कृषि, उर्वरकों के प्रयोग और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। यह भी अत्यधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है, जो जलवायु परिवर्तन में बड़ा योगदान देती है।
- जल वाष्प:** यह सबसे अधिक मात्रा में मौजूद प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस है। हालांकि यह मानवीय गतिविधियों से सीधे उत्पन्न नहीं होती, लेकिन अन्य ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि से वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

ऑस्ट्रेलिया बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा / Australia to ban social media for children

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े संभावित हानिकारक प्रभावों से बचाना है।

सोशल मीडिया के बच्चों पर हानिकारक प्रभाव:

- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं:** चिंता, अवसाद, और साइबर बुलिंग का खतरा।
- **नींद की समस्या:** नींद की गुणवत्ता में कमी और स्क्रीन की लत।
- **शैक्षणिक प्रभाव:** ध्यान कम होना और ग्रेड में कमी।
- **सामाजिक कौशल में गिरावट:** आमने-सामने बातचीत में कमी से सामाजिक कौशल पर प्रभाव।
- **शारीरिक छवि संबंधी समस्याएं:** आत्म-सम्मान में कमी और शरीर के प्रति असंतोष।
- **गोपनीयता जोखिम:** अनुचित सामग्री के संपर्क में आना और डेटा गोपनीयता का खतरा।
- **भौतिकवाद:** अवास्तविक जीवन शैली और आत्म-संदेह को बढ़ावा देने वाली प्रभावशाली संस्कृति।

भारत में सोशल मीडिया विनियमन:

भारत में सोशल मीडिया का नियमन सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 के तहत होता है।


- **आईटी नियम 2021:** इसमें तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली, सामग्री के मूल स्रोत का खुलासा, मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, और खातों के लिए स्वैच्छिक सत्यापन की आवश्यकता शामिल है।
- **DPDPA 2023:** धारा 9 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के डेटा के लिए माता-पिता की सहमति, बाल कल्याण प्राथमिकता, और लक्षित विज्ञापन पर रोक जैसे प्रावधान शामिल हैं।

अन्य देशों में बच्चों के लिए सोशल मीडिया विनियमन:

- **चीन:** नाबालिगों के इंटरनेट उपयोग पर समय और रात्रि प्रतिबंध।
- **यूरोपीय संघ:** 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक।
- **दक्षिण कोरिया:** इंटरनेट की लत रोकने के लिए ऑनलाइन गेम पर समय-सीमा कानून (हालांकि इसे 2021 में हटाया गया)।
- **फ्रांस:** 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग के लिए माता-पिता की अनुमति अनिवार्य।

बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंधों से जुड़ी चुनौतियाँ:

1. **प्रवर्तन की कठिनाई:** डिजिटल प्रतिबंधों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है, बच्चे अक्सर इनसे बचने के तरीके खोज लेते हैं।
2. **माता-पिता पर बोझ:** आयु-संबंधी प्रतिबंध माता-पिता पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, खासकर कम डिजिटल साक्षरता वाले क्षेत्रों में।
3. **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** प्रतिबंध बच्चों के विचारों की स्वतंत्रता और जानकारी तक पहुंच को सीमित कर सकते हैं।
4. **सोशल मीडिया के लाभ:** यह बच्चों के लिए सामुदायिक समर्थन, ज्ञान बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों की जानकारी प्रदान करता है।



समाधान के संभावित उपाय:

- **उन्नत आयु-सत्यापन प्रौद्योगिकी:** सुरक्षित और विश्वसनीय आयु-सत्यापन उपकरणों का उपयोग।
- **माता-पिता की भागीदारी और डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम:** माता-पिता को बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार।
- **कड़ी डेटा गोपनीयता नीतियाँ:** बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए गोपनीयता और सामग्री मॉडरेशन में सुधार।
- **स्कूलों में डिजिटल साक्षरता शिक्षा:** बच्चों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग का प्रशिक्षण।
- **मानसिक स्वास्थ्य समर्थन:** सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव को संबोधित करने के लिए समर्थन प्रणाली विकसित करना।

कृषि में CSR का योगदान / Contribution of CSR in Agriculture

भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण में सुधार का एक प्रभावी साधन माना गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में कई संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। कृषि में सीएसआर योगदान से किसानों की आजीविका में सुधार लाया जा सकता है, जलवायु अनुकूलता बढ़ाई जा सकती है और सतत कृषि प्रथाओं को अपनाने के प्रयासों को समर्थन दिया जा सकता है। राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पोर्टल के अनुसार, 2014 से 2023 तक ₹1.84 लाख करोड़ सीएसआर फंड वितरित किए गए।

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

राष्ट्रीय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) डेटा पोर्टल भारत में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य पंजीकृत कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सीएसआर डेटा को पारदर्शिता के साथ प्रसारित करना है। यह पोर्टल कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर प्रयासों की जानकारी साझा करता है, जिससे उनके कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी की जा सके।

कृषि क्षेत्र में सीएसआर योगदान का महत्व:

भारत में कृषि क्षेत्र न केवल रोजगार का प्रमुख स्रोत है, बल्कि आर्थिक विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। परंतु, यह क्षेत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, और किसानों की स्थिर आय। सीएसआर के माध्यम से कृषि में निवेश इन चुनौतियों का समाधान कर सकता है, जैसे:

- **जल संरक्षण:** सीएसआर निधियों का उपयोग तालाबों, झीलों, और नहरों के पुनरुद्धार में किया जा सकता है, जो किसानों को जल संकट से निपटने में सहायता करता है।
- **ऊर्जा-कुशल सिंचाई:** ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी ऊर्जा-कुशल सिंचाई तकनीकों में सीएसआर निवेश से किसानों के लिए पानी और ऊर्जा की खपत कम हो सकती है।
- **किसान प्रशिक्षण:** किसान स्कूलों और कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को बेहतर खेती के तरीकों, जैविक खेती, और नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग की जानकारी मिल सकती है।
- **जलवायु अनुकूलता:** सीएसआर निधियों से जलवायु-स्थिरता और अनुकूलता परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे अधिक सहनशील बीजों का वितरण और जलवायु-लचीली कृषि प्रथाओं का प्रशिक्षण।

कृषि में सीएसआर योगदान की मुख्य चुनौतियाँ:

हालाँकि, कृषि क्षेत्र में सीएसआर प्रयासों को लक्षित करने में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं:

1. **अस्पष्ट रिपोर्टिंग ढांचा:** वर्तमान में सीएसआर परियोजनाओं की रिपोर्टिंग में कृषि को एक अलग श्रेणी के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिससे कृषि पर लक्षित सीएसआर खर्च का सटीक विश्लेषण करना कठिन हो जाता है।
2. **संगठनों में जागरूकता की कमी:** कई कंपनियों में कृषि से जुड़े मुद्दों की पहचान और उनके लिए विशेष सीएसआर परियोजनाएँ विकसित करने की जागरूकता सीमित है।
3. **सीमित वर्गीकरण:** कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध 11 क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि स्थिरता से संबंधित सीएसआर गतिविधियाँ आ सकती हैं। परंतु, ये श्रेणियाँ व्यापक हैं, जो कृषि-विशिष्ट योगदान को ट्रैक करने में अवरोध उत्पन्न करती हैं।



कृषि में सीएसआर योगदान बढ़ाने की सिफारिशें:

- **विशेष रिपोर्टिंग ढांचा:** कृषि के लिए एक विशिष्ट सीएसआर रिपोर्टिंग ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। यह ढांचा सीएसआर योगदान को प्रभावी रूप से ट्रैक करने में मदद करेगा और इसे कृषि क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बनाएगा।
- **कृषि को अलग क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना:** कृषि के लिए सीएसआर योगदान को एक अलग श्रेणी के रूप में नामित करने से कंपनियाँ स्पष्ट रूप से लक्षित निवेश कर सकेंगी। इससे पारदर्शिता, मूल्यांकन, और प्रभावी प्रबंधन में सुधार आएगा।
- **सहयोग और साझेदारी:** सरकारी और निजी संगठनों के बीच साझेदारी स्थापित करना, जो कृषि क्षेत्र की जरूरतों के लिए अनुकूलित सीएसआर पहल का मार्गदर्शन कर सके, विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) / Consumer Price Index (CPI) and Index of Industrial Production (IIP)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़े जारी करने का समय बदलकर शाम 5:30 बजे से शाम 4 बजे कर दिया है। इस बदलाव का उद्देश्य इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अधिक समय देना और भारत के प्रमुख वित्तीय बाजारों के बंद होने के समय के साथ इसे संरेखित करना है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI):

- **परिभाषा:** CPI खुदरा मुद्रास्फीति का माप है जो देश की आबादी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के आधार पर तय होता है।
- **प्रकाशन:** इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है और इसमें अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण, शहरी, तथा संयुक्त (राष्ट्रीय) डेटा शामिल होता है।
- **आधार वर्ष:** वर्तमान में, 2012 को आधार वर्ष मानकर CPI की गणना की जाती है।
- **श्रेणियां:** CPI में विभिन्न श्रेणियां शामिल होती हैं जैसे खाद्य एवं पेय पदार्थ, वस्त्र, आवास, ईंधन एवं प्रकाश, और मनोरंजन। वर्तमान में CPI की गणना 299 मदों को ध्यान में रखकर की जाती है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP):

- **परिभाषा:** IIP एक आर्थिक संकेतक है जो किसी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन के स्तर को मापता है, जो चयनित औद्योगिक उत्पादों की उत्पादन मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तन को दर्शाता है।
- **प्रकाशन:** इसे MoSPI के तहत NSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- **आधार वर्ष:** IIP की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मानकर की जाती है।
- **घटक:** IIP के अंतर्गत तीन मुख्य क्षेत्र हैं - खनन, विनिर्माण, और बिजली। इसके अलावा, इसे उपयोग आधारित श्रेणियों में भी वर्गीकृत किया गया है जैसे बुनियादी सामान, पूंजीगत सामान, और उपभोक्ता टिकाऊ सामान।

CPI और IIP डेटा का महत्व:

- **CPI:** यह प्रमुख मुद्रास्फीति सूचक है जो परिवारों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करता है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए किया जाता है।
- **IIP:** यह औद्योगिक गतिविधि का माप है और अल्पकालिक औद्योगिक विकास के संकेतक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग नीति निर्धारण और अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आकलन में किया जाता है।

समय में बदलाव का उद्देश्य और चिंताएं:

2013 में डेटा लीक की घटनाओं के कारण डेटा रिलीज का समय शाम 5:30 बजे रखा गया था ताकि दिन के व्यापार को प्रभावित होने से बचाया जा सके। हालांकि, अब इसे शाम 4 बजे कर दिया गया है ताकि डेटा विश्लेषण के लिए अधिक समय मिल सके। हालांकि, इस नए समय के कारण सरकारी बांड और विदेशी मुद्रा बाजार पर संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव उनकी पारदर्शिता और सुगमता की प्रतिबद्धता के अनुरूप है और डेटा रिलीज के दिन बेहतर संरेखण सुनिश्चित करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI):

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) भारत सरकार का एक स्वतंत्र मंत्रालय है, जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों के लिए समर्पित है। इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद की गई थी। मंत्रालय के दो मुख्य स्कंध हैं:

1. **सांख्यिकी स्कंध:** इसे राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत:
 - **केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ):** यह देश की प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों और राष्ट्रीय लेखा के संकलन में कार्यरत है।
 - **संगणक केंद्र:** सांख्यिकी डेटा का प्रसंस्करण और विश्लेषण करता है।
 - **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ):** यह सर्वेक्षणों के माध्यम से नमूना डेटा संग्रह करता है और उसे विश्लेषण के लिए प्रस्तुत करता है।
2. **कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध:** इसके अंतर्गत तीन मुख्य प्रभाग हैं:
 - **बीस सूत्री कार्यक्रम:** राष्ट्रीय विकास और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत है।
 - **आधारभूत संरचना प्रबोधन और परियोजना प्रबोधन:** विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करता है।
 - **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS):** सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सर्वोच्च न्यायालय / Supreme Court on minority status of Aligarh Muslim University (AMU)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के अल्पसंख्यक दर्जे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारतीय शैक्षणिक परिदृश्य में ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों में से एक है। इस फैसले में यह तय किया जाएगा कि एएमयू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है या नहीं, जिससे उसे अपने प्रवेश और प्रशासनिक संरचना पर स्वायत्तता मिल सके।

एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जे का विवाद:

- इस विवाद का मुख्य आधार 1967 का अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ का मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था।
- इसके पीछे तर्क यह था कि एएमयू की स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा नहीं बल्कि संसद के एक अधिनियम (1920 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम) द्वारा हुई थी।
- इस फैसले के बाद सरकार ने 1981 में अधिनियम में संशोधन कर यह कहा कि एएमयू मुस्लिम समुदाय द्वारा सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी।
- हालांकि, 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संशोधन और एएमयू के 50% मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया, जिससे फिर से यह मुद्दा विवाद का कारण बना।

अनुच्छेद 30 का महत्व:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है।
- यह अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है और अल्पसंख्यक समुदायों को अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक उद्देश्यों को सुरक्षित रखने की स्वायत्तता देता है।

निष्कर्ष: इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एएमयू के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, जो यह तय करेगा कि क्या वह एक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में कार्य कर सकता है। साथ ही, यह निर्णय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों, संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या, और सामाजिक समानता के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करेगा।



अनुच्छेद 30 का महत्व:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है और अल्पसंख्यक समुदायों को अपने सांस्कृतिक और शैक्षणिक उद्देश्यों को सुरक्षित रखने की स्वायत्तता देता है।

वर्तमान स्थिति और संभावित परिणाम:

यदि सर्वोच्च न्यायालय एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देता है, तो:

- एएमयू को एससी/एसटी/ओबीसी /ईडब्ल्यूएस आरक्षण से छूट मिल सकती है।
- मुस्लिम छात्रों के लिए विशेष आरक्षण लागू किया जा सकता है।
- विश्वविद्यालय की प्रशासनिक संरचना में बदलाव होगा, और यह अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के समान अपनी प्रवेश प्रक्रिया और प्रशासनिक नीतियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सकता है।

अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 / Adaptation Gap Report 2024

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की हैं। यह रिपोर्ट अनुकूलन योजना, क्रियान्वयन और वित्त में वार्षिक प्रगति का मूल्यांकन प्रदान करती है। रिपोर्ट में *अनुकूलन अंतराल* को वास्तविक क्रियान्वित अनुकूलन और सामाजिक लक्ष्यों के बीच का अंतर बताया गया है, जिसमें संसाधनों की सीमाओं और प्राथमिकताओं का प्रभाव दिखाया गया है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **अनुकूलन अंतराल:** प्रति वर्ष \$187-359 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
- **अनुकूलन प्रगति:** विकासशील देशों में अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त 2022 में बढ़कर \$27.5 बिलियन हो गया। यह *ग्लासगो जलवायु समझौते* के तहत 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने की दिशा में प्रगति का संकेत है।
- **अनुकूलन का महत्व:** महत्वाकांक्षी अनुकूलन से वैश्विक जलवायु जोखिम आधा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कृषि में \$16 बिलियन के वार्षिक निवेश से 78 मिलियन लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित भुखमरी से बच सकते हैं।



अनुकूलन अंतराल को पाटने के लिए सिफारिशें:

1. **COP29** में जलवायु वित्त के लिए एक महत्वाकांक्षी, नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को अपनाना।
2. **सक्षम कारकों** को मजबूत करना, नए वित्तीय साधनों को अपनाना, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान देना।
3. अनुकूलन वित्त को परियोजना-आधारित वित्तपोषण से बदलकर अधिक **पूर्वानुमानित, रणनीतिक, और परिवर्तनकारी अनुकूलन** में स्थानांतरित करने की जरूरत।

अनुकूलन के लिए प्रमुख पहलें:

वैश्विक स्तर पर:

- **पेरिस समझौता:** इसका उद्देश्य वैश्विक अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना है।
- **यूईई का वैश्विक जलवायु लचीलापन फ्रेमवर्क:** 11 वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य शामिल।
- **अनुकूलन कोष:** क्योटो प्रोटोकॉल के तहत विकासशील देशों की अनुकूलन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण।

भारत में:

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC):** आठ राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना।
- **राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC):** संवेदनशील राज्यों में अनुकूलन को बढ़ावा देना।
- **मिथी और अमृत धरोहर जैसी क्षेत्रीय योजनाएं:** जलवायु सहनशीलता बढ़ाने में सहायक योजनाएं।

रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि अनुकूलन में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने से न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है बल्कि इसके कारण उत्पन्न संकटों का सामना करने के लिए आवश्यक तैयारी भी सुनिश्चित की जा सकती है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP):

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में पर्यावरण के लिए अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में देशों और लोगों को प्रेरित करना, सक्षम बनाना और भविष्य की पीढ़ियों के हित में उन्हें जानकारी प्रदान करना है। UNEP पर्यावरणीय मानकों को सुदृढ़ करने और जिम्मेदारियों को लागू करने में देशों को मदद करता है।

UNEP के एकग्रता के छह प्रमुख क्षेत्र:

12. **जलवायु परिवर्तन:** UNEP जलवायु अनुकूलन, शमन, प्रौद्योगिकी और वित्त में नेतृत्व प्रदान करके देशों की जलवायु प्रतिक्रियाओं को सुदृढ़ करता है।
13. **संघर्ष-पश्चात और आपदा प्रबंधन:** संकटग्रस्त देशों में पर्यावरण आकलन और प्रबंधन को सुधारने के लिए UNEP द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।
14. **पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन:** UNEP सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के संरक्षण और प्रबंधन पर काम करता है।
15. **पर्यावरणीय शासन:** UNEP पर्यावरणीय शासन के विकास में मदद करता है ताकि पर्यावरण को सतत विकास योजना में मुख्यधार में लाया जा
16. **हानिकारक पदार्थ:** UNEP मानव और पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करता है। यह पारे पर वैश्विक समझौते और सुरक्षित रसायन प्रबंधन जैसे पहलुओं पर भी ध्यान देता है।
17. **संसाधन दक्षता और टिकाऊ उपभोग एवं उत्पादन:** UNEP संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाने और टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

CSE द्वारा EPR पर रिपोर्ट Report on EPR by CSE

विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने अपनी रिपोर्ट में प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पर प्रकाश डाला है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2060 तक वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक कचरे की मात्रा तीन गुना हो जाएगी, जिसमें से केवल 20% का ही पुनर्चक्रण हो सकेगा। ऐसी स्थिति में, EPR एक प्रभावी नीति सिद्धांत के रूप में उभरकर प्लास्टिक संकट से निपटने का प्रयास कर रहा है।

प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए EPR:

- **उत्पत्ति:** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत EPR की शुरुआत की गई, और 2022 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसके विस्तारित दिशानिर्देश अधिसूचित किए गए।
- **कार्यकाल:** इसे वित्तीय वर्ष 2027-28 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
- **पीआईबीओ:** इसमें 'प्रदूषक' के रूप में उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक और निर्माता (पीआईबीओ) शामिल हैं। इन्हें बाजार में लाई गई 100% प्लास्टिक पैकेजिंग को एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- **EPR व्यवस्था:** पीआईबीओ को EPR प्रमाणपत्र खरीदने होंगे जो पुनर्चक्रण और निपटान के लिए प्रमाणित प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं।

प्लास्टिक के लिए वर्तमान EPR व्यवस्था में चुनौतियाँ:

1. **आयातकों की निगरानी की कमी:** बड़ी संख्या में आयातक बिना किसी निगरानी या विनियमन के कार्य कर रहे हैं।
2. **प्लास्टिक कचरे का वर्गीकरण:** पैकेजिंग और गैर-पैकेजिंग प्लास्टिक कचरे में अंतर कर पाना मुश्किल है।
3. **फर्जी प्रमाणपत्र:** कुछ पीडब्ल्यूपी (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता) फर्जी EPR प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं।

सिफारिशें:

- EPR के उचित मूल्य निर्धारण की स्थापना।
- फर्जी EPR प्रमाणपत्रों का अमान्यकरण।
- अनौपचारिक क्षेत्र को EPR दिशानिर्देशों में शामिल करना।



EPR के बारे में:

परिभाषा: EPR एक नीतिगत सिद्धांत है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए जवाबदेह बनाता है, विशेष रूप से वापस लेने, पुनर्चक्रण और अंतिम निपटान चरणों के दौरान।

EPR के प्रमुख तत्व:

- **प्रदूषक भुगतान सिद्धांत:** प्रदूषक को उनके द्वारा उत्पन्न कचरे के लिए उत्तरदायी ठहराता है।
- **अपशिष्ट न्यूनीकरण:** कचरे को कम करने पर बल देता है।
- **जीवनचक्र दृष्टिकोण:** उत्पाद के संपूर्ण जीवनचक्र का ध्यान रखता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसियाँ:** उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन (PRO) तीसरी पक्ष की एजेंसियाँ हैं, जो प्रदूषकों को EPR अनुपालन में सहायता करती हैं।

तमिलनाडु ने हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया Tamil Nadu declares heatwave as state-specific disaster

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने बढ़ते तापमान और हीटवेव की घटनाओं को देखते हुए हीटवेव को राज्य-विशिष्ट आपदा घोषित किया है। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों के लिए राहत उपाय प्रदान करना और हीटवेव से होने वाली मौतों के लिए मुआवजा देना है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से धन आवंटित करके गर्मी प्रबंधन के लिए त्वरित कदम भी उठाए जाएंगे।



भारत में गर्मी की लहरों का बढ़ता प्रभाव:

विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार, 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख कारण है, जिसे आईपीसीसी की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में भी रेखांकित किया गया है। भारत में गर्मी की लहरों की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे स्वास्थ्य पर गहरा असर हो रहा है। कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं:

- **1998:** दो सप्ताह तक चली भयंकर गर्मी, 50 वर्षों में सबसे खराब।
- **1999:** अप्रैल में अभूतपूर्व गर्मी, जब तापमान लगातार 14 दिनों से अधिक 40°C रहा।
- **2003:** आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण 3,000 से अधिक मौतें।
- **2010:** अहमदाबाद में भीषण गर्मी से 1,300 लोगों की मृत्यु।
- **2016, 2018, 2019, और 2023:** पूरे भारत में अत्यधिक गर्मी की घटनाएँ।

2024 में भी अत्यधिक गर्मी का पूर्वानुमान है, खासकर राजस्थान के चुरु में मई में तापमान 50.5°C तक पहुँचने की संभावना है।

हीटवेव का परिचय:

हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि को दर्शाती है, जो सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक होती है। भारत में हीटवेव आमतौर पर मार्च से जून तक होती है। मैदानों में 40°C या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में 30°C या अधिक तापमान को हीटवेव माना जाता है। अगर वास्तविक अधिकतम तापमान 45°C से ऊपर हो तो इसे गंभीर हीटवेव घोषित किया जाता है।

अत्यधिक गर्मी का स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- गर्मी में तेजी से वृद्धि शरीर के तापमान नियंत्रण को प्रभावित करती है।
- इसके परिणामस्वरूप तापजन्य ऐंठन, तापजन्य थकावट, तापघात, और अतिताप जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। लं
- बे समय तक अत्यधिक गर्मी का संपर्क गुर्दे, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ाता है।
- विशेष रूप से कमजोर समूहों जैसे कि बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएँ, और बाहर काम करने वाले लोग इस खतरे का सामना अधिक करते हैं।

तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP) तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (Coastal Zone Management Plan - CZMP) को मंजूरी दी है, जिसमें कासरगोड, कन्नूर, कोझीकोड, मलप्पुरम, त्रिशूर, और एर्नाकुलम जैसे जिले शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को सुनियोजित ढंग से प्रबंधित करना और उनकी पारिस्थितिकी को संरक्षित रखना है।

तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP) के प्रमुख घटक:

- ज़ोनिंग:** CZMP तटीय क्षेत्रों को विभिन्न ज़ोनों में विभाजित करता है, जैसे नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) और तटीय विनियमन ज़ोन (CRZ)।
- जन भागीदारी:** इसमें स्थानीय समुदायों की राय और चिंताओं का ध्यान रखा जाता है ताकि योजना को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना 2019:** इस अधिसूचना को लागू करने के लिए राज्यों को CZMP की मंजूरी अनिवार्य होती है, ताकि इसके तहत रियायती मानदंडों का लाभ उठाया जा सके।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के प्रकार:

CRZ क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- CRZ-I:** पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, जैसे मैंग्रोव, प्रवाल भित्तियाँ, रेत के टीले।
 - CRZ-IA:** संवेदनशील क्षेत्र (मैंग्रोव, नमक के टीले)।
 - CRZ-IB:** अंतरज्वारीय क्षेत्र, जो निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच स्थित है।
- CRZ-II:** शहरी क्षेत्रों में विकसित भूमि, जो तटरेखा के निकट या नगरपालिका सीमाओं के भीतर आती है।
- CRZ-III:** ग्रामीण क्षेत्र, जिन्हें आबादी घनत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
 - CRZ-III A:** 2161 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में HTL (High Tide Line) से 50 मीटर तक के क्षेत्र को NDZ के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
 - CRZ-III B:** 2161 से कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। इनमें HTL से 200 मीटर तक का क्षेत्र NDZ के रूप में निर्धारित होगा।
- CRZ-IV:** जल क्षेत्र, जिसमें समुद्री क्षेत्र शामिल हैं।
 - CRZ-IVA:** समुद्री जल क्षेत्र।
 - CRZ-IVB:** स्थानीय समुद्री जल क्षेत्र।

हाइड्रोजेल: दवा वितरण में नवाचार का स्मार्ट पदार्थ

Hydrogels: The smart material driving innovation in drug delivery


बोस इंस्टीट्यूट के रासायनिक विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोजा है, जिसमें **SARS-CoV-1 वायरस** के केवल पाँच अमीनो एसिड के छोटे प्रोटीन टुकड़ों का उपयोग कर **हाइड्रोजेल** बनाने में सफलता प्राप्त की है। यह हाइड्रोजेल प्रणाली **लक्षित दवा वितरण** को अधिक प्रभावी बनाने और **दुष्प्रभावों** को कम करने में सहायक हो सकती है।

हाइड्रोजेल क्या है?

हाइड्रोजेल एक त्रि-आयामी नेटवर्क है, जो जल-घुलनशील पॉलिमरों के क्रॉसलिंग द्वारा तैयार किया गया है। इस सामग्री में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं:

- यह बड़ी मात्रा में **पानी को अपने भीतर बनाए रख सकता** है, जिससे इसे लचीलापन और सूजन के गुण मिलते हैं।
- यह एक **"स्मार्ट" पदार्थ** है, जो अपने वातावरण के आधार पर अपनी संरचना को बदल सकता है। इसके बदलाव करने वाले कारकों में शामिल हैं:

- तापमान
- पीएच स्तर
- नमक की सांद्रता
- पानी की सांद्रता



इन गुणों के कारण, हाइड्रोजेल का उपयोग दवा वितरण, ऊतक इंजीनियरिंग और चिकित्सा अनुप्रयोगों में तेजी से बढ़ रहा है।

SARS क्या है?

गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम (SARS) एक वायरल श्वसन रोग है, जो **SARS-CoV-1 वायरस** के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित तरीकों से फैलता है:

- यह वायरस **लार की छोटी बूंदों** के माध्यम से वायुजनित होता है, जैसे सर्दी-जुकाम और इन्फ्लूएंजा।
- यह **संक्रमित सतहों** के संपर्क से भी अप्रत्यक्ष रूप से फैल सकता है।

SARS के लक्षण:

- तेज बुखार
- ठंड लगना
- सिरदर्द
- शरीर में दर्द

उपचार:

वर्तमान में **SARS के लिए कोई विशिष्ट उपचार** उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका उपचार लक्षणों के आधार पर किया जाता है और रोगियों की देखभाल में सावधानी बरती जाती है।



आयरन बीम Iron Beam

आयरन बीम इजरायल द्वारा विकसित एक उन्नत लेजर-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य तेज गति से आने वाले प्रक्षेपास्त्रों, रॉकेटों और ड्रोन को नष्ट करना है। इसे **राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स** द्वारा निर्मित किया गया है, और इसे **मैगनया लाइट शील्ड** के नाम से भी जाना जाता है। आयरन बीम एक **100 किलोवाट श्रेणी की उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली (HELWS)** है और वायु रक्षा में निर्देशित-ऊर्जा हथियार प्रणाली की पहली परिचालन प्रणाली बनने की दिशा में अग्रसर है।

आयरन बीम की विशेषताएँ:

- **परिचालन सीमा:** लगभग 7 किमी (4.3 मील)।
- **निर्देशित ऊर्जा प्रणाली:** लेजर किरण के माध्यम से लक्ष्य पर हमला करता है, जिससे तुरंत प्रतिक्रिया और सटीकता मिलती है।
- **निर्माण वर्ष:** आयरन बीम को पहली बार 2014 में प्रस्तुत किया गया था और एक वर्ष के भीतर इसे पूरी तरह से परिचालन में लाने की योजना है।

लाभ:

1. **असीमित गोला-बारुद:** लेजर तकनीक के कारण, इसे केवल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे गोला-बारुद की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और खर्च में बचत होती है।
2. **कम लागत:** पारंपरिक हथियारों की तुलना में, लेजर द्वारा हमले की लागत बहुत कम होती है।
3. **सहयोगी प्रणाली:** इसे इजरायल के *आयरन डोम* के पूरक के रूप में कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली का हिस्सा बन सकता है।

नुकसान:

1. **मौसम पर निर्भरता:** घने बादल, बारिश, और उच्च नमी जैसी स्थितियों में इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।
2. **सीधी दृष्टि की आवश्यकता:** यह प्रणाली तभी प्रभावी होती है जब सिस्टम और लक्ष्य के बीच कोई रुकावट न हो।
3. **समय की सीमा:** लक्ष्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करने में इसे लगभग पांच सेकंड का समय लगता है।

आयरन बीम इजरायल की रक्षा प्रणाली में एक नया और महत्वपूर्ण कदम है, जो तेजी से बदलते खतरों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज First in the World Challenge

ICMR की "फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज" योजना भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान में अभिनव विचारों और नई तकनीकों का प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य जैव-चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालने वाले नवाचारों को बढ़ावा देना है, जिसमें नए टीके, दवाएं, निदान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

योजना के प्रमुख बिंदु:

1. **वित्तपोषण के मानदंड:** केवल अद्वितीय, अभूतपूर्व अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के प्रस्तावों को ही इस योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। साधारण सुधार या प्रक्रियात्मक बदलाव वाले प्रस्तावों को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
2. **उच्च जोखिम, उच्च पुरस्कार दृष्टिकोण:** इस योजना में नवीन खोजों पर जोर दिया गया है, जिससे उच्च जोखिम लेने वाली परियोजनाओं को समर्थन मिलेगा, भले ही उनमें से कुछ सफल न हों।
3. **पात्रता:** प्रस्ताव व्यक्तिगत या टीम द्वारा किसी एकल या बहु-संस्थान से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
4. **चयन प्रक्रिया:** विशेषज्ञों, नवप्रवर्तकों, नीति निर्माताओं और जैवचिकित्सा वैज्ञानिकों का एक पैनल प्रस्तावों की समीक्षा करेगा।

स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अन्य महत्वपूर्ण पहलें:

- **राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर (एनएमआर):** यह एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जिसमें भारत के सभी लाइसेंस प्राप्त एलोपैथिक डॉक्टरों का डेटा होता है। हालांकि, आधार से सत्यापन और जानकारी में त्रुटियों के कारण डॉक्टरों को पंजीकरण में दिक्कत आ रही है, जिसके समाधान की आवश्यकता है।
- **आयुष्मान भारत योजना:** यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकार-समर्थित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य करोड़ों भारतीयों को किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है।
- **टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य:** भारत का टेलीमेडिसिन बाजार 31% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, और इसे 2025 तक 5.4 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ ही, *राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट* अगले 10 वर्षों में 200 बिलियन डॉलर से अधिक का आर्थिक मूल्य उत्पन्न कर सकता है।
- **मेडिकल वैल्यू ट्रेवल (एमवीटी):** भारत चिकित्सा पर्यटन में भी अग्रणी है और "हील इन इंडिया" पहल के तहत वैश्विक रोगियों को आकर्षित कर रहा है।

केंद्रीय जल आयोग Central Water Commission

केंद्रीय जल आयोग (CWC) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियल झीलों और अन्य जल निकायों का क्षेत्रफल 2011 से 2024 तक **10.81%** तक बढ़ गया है। यह वृद्धि एक गंभीर चुनौती है क्योंकि इससे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की बाढ़ से पहाड़ी क्षेत्रों में भारी विनाश हो सकता है, जिससे नीचे के इलाकों में रहने वाले लोगों की जान-माल को गंभीर खतरा है।



केंद्रीय जल आयोग (CWC) का परिचय:

केंद्रीय जल आयोग भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है, जो देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं को आरंभ, समन्वय और प्रगति प्रदान करने का कार्य करता है। यह वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

केंद्रीय जल आयोग के मुख्य कार्य:

केंद्रीय जल आयोग के कार्यों का दायरा अत्यधिक व्यापक है। इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:

- बाढ़ नियंत्रण:** देशभर में बाढ़ प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करना।
- सिंचाई और जल विद्युत:** जल संसाधनों का उपयोग कर सिंचाई और बिजली उत्पादन में वृद्धि करना।
- नौवहन एवं पेयजल आपूर्ति:** जलमार्ग परिवहन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- योजनाओं की निगरानी:** आवश्यकता अनुसार जल संसाधनों पर विभिन्न योजनाओं की जांच, निर्माण और क्रियान्वयन।

संगठनात्मक संरचना:

केंद्रीय जल आयोग का नेतृत्व एक अध्यक्ष करते हैं, जिन्हें भारत सरकार के पदेन सचिव का दर्जा प्राप्त है। यह आयोग तीन शाखाओं में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक शाखा एक पूर्णकालिक सदस्य के अधीन है, जिनका दर्जा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के समकक्ष है:

- डिजाइन और अनुसंधान (D&R) विंग
- नदी प्रबंधन (RM) विंग
- जल योजना और परियोजनाएं (WP&P) विंग

राष्ट्रीय जल अकादमी, जो पुणे में स्थित है, आयोग के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तर के इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह अकादमी सीधे आयोग के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करती है।

एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024 Asia-Pacific Climate Report 2024

हाल ही में एशियाई विकास बैंक (ADB) ने एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे गंभीर आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए "एशिया-प्रशांत जलवायु रिपोर्ट 2024" जारी की है।



मुख्य विशेषताएँ:

1. जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव:

- जीडीपी में संभावित गिरावट:** उच्च ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के तहत, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में वर्ष 2070 तक GDP में 17% तक की कमी देखी जा सकती है, और वर्ष 2100 तक यह गिरावट 41% तक हो सकती है।
- भारत में प्रभाव:** भारत में वर्ष 2070 तक GDP में 24.7% की गिरावट होने का अनुमान है। बांग्लादेश, वियतनाम, और इंडोनेशिया भी गंभीर आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं।

2. आर्थिक घाटे के प्रमुख कारण:

- समुद्र स्तर में वृद्धि:** वर्ष 2070 तक, समुद्र स्तर में वृद्धि से 300 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़ का खतरा होगा, और वार्षिक क्षति 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकती है।
- श्रम उत्पादकता में कमी:** श्रम उत्पादकता में गिरावट से क्षेत्र की GDP में 4.9% और भारत की GDP में 11.6% की हानि हो सकती है।
- शीतलन की मांग:** तापमान बढ़ने से क्षेत्रीय GDP में 3.3% की कमी हो सकती है, जबकि भारत में यह गिरावट 5.1% तक हो सकती है।

3. प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव:

- नदी बाढ़:** वर्ष 2070 तक वार्षिक नदी बाढ़ से APAC क्षेत्र में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत में आवासीय और वाणिज्यिक क्षति की लागत क्रमशः 400 और 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो सकती है।
- तूफान और वर्षा:** उष्णकटिबंधीय तूफानों और तीव्र वर्षा के कारण बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बिगड़ सकती है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में।

4. वनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव: वर्ष 2070 तक, उच्च उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत APAC क्षेत्र में वन उत्पादकता में 10-30% की गिरावट हो सकती है। भारत, वियतनाम और दक्षिण-पूर्व एशिया को 25% से अधिक नुकसान हो सकता है।

5. सुधार के लिए आवश्यक कदम:

- नेट-जीरो लक्ष्य और अंतराल:** APAC की 44 अर्थव्यवस्थाओं में से 36 ने नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन केवल चार देशों ने इसे कानूनी रूप दिया है। भारत और चीन ने क्रमशः 2070 और 2060 के नेट-जीरो लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
- जलवायु वित्त:** क्षेत्र को जलवायु अनुकूलन के लिए सालाना 102-431 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जबकि 2021-2022 में केवल 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए।
- नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन बाजार:** रिपोर्ट नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजारों को अपनाते पर बल देती है।



तुमैनी महोत्सव Tumaini Festival

तुमैनी महोत्सव, मलावी के द्जालेका शरणार्थी शिविर में आयोजित होने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन है, जो संगीत, कला और शिल्प के माध्यम से शरणार्थियों और स्थानीय समुदाय के बीच एकजुटता और आशा को बढ़ावा देता है।



- यह महोत्सव 2014 में शुरू हुआ था और दुनिया का एकमात्र ऐसा महोत्सव है जो शरणार्थी शिविर में आयोजित होता है।
- शरणार्थियों द्वारा आयोजित और प्रबंधित इस महोत्सव में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे संगीत, नृत्य, रंगमंच, और दृश्य कलाओं की प्रस्तुतियाँ होती हैं, जिसमें दुनिया भर से हजारों लोग और कलाकार भाग लेते हैं।
- 2024 में, इसे **कल्चर्स ऑफ रेजिस्टेंस अवार्ड** (सीओआर अवार्ड) से सम्मानित किया गया, जो इसके सांस्कृतिक योगदान और एकता की भावना को मान्यता देता है।

मलावी के बारे में:

- **स्थिति:** दक्षिण-पूर्वी अफ्रीका में एक स्थल-रुद्ध देश।
- **क्षेत्रफल:** 118,484 वर्ग किमी।
- **राजधानी:** लिलोंगे
- **भाषाएँ:** अंग्रेज़ी और चिचेवा
- **मुद्रा:** मलावी क्वाचा (MWK)
- **विशेषता:** ऊँचे मैदान और न्यासा झील (मलावी झील) जैसी प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध।
- **अर्थव्यवस्था:** मुख्यतः कृषि पर निर्भर, जो 80% से अधिक आबादी को रोजगार देती है।

द्जालेका शरणार्थी शिविर:

मलावी का यह एकमात्र स्थायी शरणार्थी शिविर 1994 में स्थापित किया गया था, जो बुर्कंडी, रवांडा, और डीआरसी से आए विस्थापित लोगों को आश्रय प्रदान करता है। यहाँ सोमालिया, इथियोपिया और अन्य देशों से भी शरणार्थी बसे हुए हैं।

गोविंद सागर झील Govind Sagar Lake

गोविंद सागर झील, हिमाचल प्रदेश के ऊना और बिलासपुर जिलों में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है, जिसका निर्माण सतलुज नदी पर बने भाखड़ा बांध से हुआ है।



- यह झील दसवें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में नामित की गई है।
- भाखड़ा बांध, जो अपनी नींव से 225.5 मीटर ऊँचा है, विश्व के सबसे ऊँचे गुरुत्व बांधों में से एक है और गोविंद सागर झील का मुख्य स्रोत है।

गोविंद सागर झील की विशेषताएँ:

- **लंबाई:** लगभग 90 किमी
- **क्षेत्रफल:** लगभग 170 वर्ग किमी
- **गहराई:** अधिकतम 163.07 मीटर और औसत 55 मीटर, जो इसे दुनिया की सबसे गहरी मानव निर्मित झीलों में से एक बनाती है।
- **सिंचाई और जल आपूर्ति:** यह झील हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करती है, जिससे क्षेत्रीय कृषि को बढ़ावा मिलता है।
- **प्राकृतिक सुंदरता:** यह झील हरी-भरी पहाड़ियों और हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरी हुई है।

वनस्पति और जीव-जंतु:

- 1962 में इसे 'जलपक्षी शरणस्थल' का दर्जा दिया गया।
- यहाँ पेंथर, भेड़िया, चौसिंगा, सांभर, लकड़बग्घा, भालू, नीलगाय, चिंकारा और जंगली सूअर जैसे अनेक जानवर मिलते हैं।
- इसके अलावा, यह मछलियों की पचास से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें महाशीर, गिड, सिंधारा, और मिरर कार्प शामिल हैं।

गुरुत्व बांध (Gravity Dam):

गुरुत्व बांध एक प्रकार का बांध है, जो अपने भार और द्रव्यमान पर निर्भर करते हुए पानी को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बांध पानी के क्षैतिज दबाव का प्रतिकार करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करता है। गुरुत्व बांध का उपयोग जल आपूर्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, और जलविद्युत उत्पादन के लिए होता है और ये दुनिया के सबसे पुराने और सामान्य बांधों में से एक हैं।

लिग्नोसैट Lignosat

लिग्नोसैट दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है, जिसे जापानी शोधकर्ताओं ने चंद्रमा और मंगल पर अन्वेषण के लिए लकड़ी के उपयोग के प्रारंभिक परीक्षण के रूप में अंतरिक्ष में भेजा है। इसका नाम लैटिन में "लकड़ी" को दर्शाने वाले शब्द "लिग्नो" और "सैटेलाइट" को मिलाकर रखा गया है। इसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के अनुसंधानकर्ताओं ने मिलकर विकसित किया है।



लिग्नोसैट की विशेषताएँ:

- **निर्माण सामग्री:** लिग्नोसैट का निर्माण विशेष रूप से चुनी गई मैग्नोलिया की लकड़ी से किया गया है, जो अपनी स्थायित्व और अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है।
- **प्रक्षेपण और परीक्षण:** इसे स्पेसएक्स रॉकेट के माध्यम से कैंनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) भेजा जाएगा। वहाँ जापानी प्रयोग मॉड्यूल से इसे अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, जहाँ इसकी स्थायित्व और शक्ति का परीक्षण किया जाएगा।
- **उद्देश्य:** लिग्नोसैट का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी की पर्यावरण-मित्रता और लागत-प्रभावशीलता का परीक्षण करना है, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष में रहने के दौरान नवीकरणीय सामग्री का उपयोग संभव हो सके।

लकड़ी के उपग्रह का महत्व:

- लकड़ी के उपग्रह पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं, क्योंकि वे वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान जल जाते हैं, जिससे धातु कणों का निर्माण नहीं होता और वायु प्रदूषण की संभावना कम होती है।
- यह लागत-प्रभावी होने के साथ-साथ पृथ्वी पर भी कम पर्यावरणीय प्रभाव डालता है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक टिकाऊ बना सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS):

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) इतिहास की सबसे जटिल और विशाल अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है, जो मानवता द्वारा बाह्य अंतरिक्ष में स्थापित की गई सबसे बड़ी संरचना है। यह एक उन्नत प्रयोगशाला, उच्च उपग्रहीय उड़ान के लिए एक परीक्षण केंद्र, और स्वगोलीय, पर्यावरणीय, और भूवैज्ञानिक अनुसंधान का मंच है। ISS को भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मील का पत्थर भी माना जाता है, जो बाह्य अंतरिक्ष में स्थायी स्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।

यानादी जनजाति Yanadi Tribe



यानादी आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, जिसे भारत के सबसे कमजोर आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है। इस समुदाय के लोग गरीबी और सामाजिक बहिष्कार जैसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। यानादी समुदाय की बड़ी संख्या पूर्वी तटीय राज्य आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मैदानी इलाकों में पाई जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **भाषा:** यानादी की मातृभाषा तेलुगु है।
- **पारंपरिक जीविका:** यानादी लोग शिकार, संग्रहण और कृषि में संलग्न रहते आए हैं। भूमि और उसके संसाधनों का गहरा ज्ञान उनके पारंपरिक जीवन का हिस्सा है।
- **पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान:** यानादी समुदाय के पास औषधीय पौधों का समृद्ध ज्ञान है, जिसका उपयोग वे रोजमर्रा की स्वास्थ्य समस्याओं और विशिष्ट बीमारियों के उपचार में करते हैं, जैसे जठरांत्र, श्वसन, त्वचा संबंधी और प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएँ। उनके पास सांप के काटने का इलाज करने का भी विशेष ज्ञान है।
- **धार्मिक मान्यताएँ और त्योहार:** वनस्पतियों से जुड़ी उनकी कई धार्मिक मान्यताएँ और उत्सव हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं।
- **धीम्सा नृत्य:** यह एक पारंपरिक नृत्य है जो यानादी समुदाय द्वारा त्योहारों और विशेष अवसरों पर किया जाता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ:

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) और अनुच्छेद 342 के तहत कुछ जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।
- ये जनजातियाँ विशेष अधिकारों और संरक्षणों की पात्र हैं।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, जिससे वे विशेष सरकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

The Uttar Pradesh Madrasa Education Board Act, 2004

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंजुम कादरी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मार्च 2024 में मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14, 21, 21-ए के उल्लंघन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 22 के विपरीत माना था।

निर्णय की मुख्य बातें:

- उच्च न्यायालय के आदेश को पलटना:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी कानून को रद्द करने का आधार केवल तभी हो सकता है जब वह संविधान के भाग III के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, न कि केवल संविधान के मूल ढांचे का।
- मदरसा अधिनियम का औचित्य:** न्यायालय ने मदरसा अधिनियम के औचित्य को स्वीकार किया। इस अधिनियम का उद्देश्य मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करना है ताकि छात्रों को योग्यता के स्तर तक पहुँचाया जा सके और वे समाज में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।
- विधायी क्षमता:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता में आता है, क्योंकि यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 (जिसमें शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और विश्वविद्यालय शामिल हैं) से संबंधित है।
- आंशिक रूप से असंवैधानिक:** अदालत ने मदरसा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को आंशिक रूप से असंवैधानिक करार दिया, जो 'फाज़िल' (स्नातकोत्तर डिग्री) और 'कामिल' (स्नातकोत्तर डिग्री) जैसी उच्च शिक्षा डिग्रियों को विनियमित करते हैं, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के विपरीत हैं, जो कि केवल यूजीसी द्वारा परिभाषित संस्थानों को ही डिग्री प्रदान करने की अनुमति देता है।



अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का विनियमन:

- अनुच्छेद 29 और 30:** ये अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 30(1) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई):** एनसीएमईआई अधिनियम, 2004 के तहत स्थापित यह अर्ध-न्यायिक निकाय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इसके पास न्यायिक, सलाहकारी और सिफारिशी शक्तियाँ हैं और यह सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकता है।

इस फैसले ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है, जिसमें राज्य के शिक्षा संबंधी दायित्व और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संतुलन बनाए रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

International Energy Agency (IEA)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) एक स्वायत्त अंतर-सरकारी संगठन है जो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और सतत ऊर्जा भविष्य को सुनिश्चित करना है। 1974 में स्थापित, IEA की शुरुआत 1973-1974 के तेल संकट के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हुई थी। उस समय, प्रमुख तेल उत्पादकों द्वारा आपूर्ति प्रतिबंध के कारण औद्योगिक देशों में तेल की कमी और कीमतों में भारी वृद्धि देखी गई थी।

IEA की भूमिका और कार्यक्षेत्र:

समय के साथ, IEA का कार्यक्षेत्र बढ़ा है, जिसमें अब यह सभी प्रकार की ऊर्जा (जैसे तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, और परमाणु ऊर्जा) पर डेटा, विश्लेषण और समाधान प्रदान करता है। यह न केवल ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। IEA की नवीनतम रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का वैश्विक बाजार 2023 के \$700 बिलियन से बढ़कर 2035 तक \$2 ट्रिलियन से अधिक हो सकता है, जो तेल बाजार के मूल्य के करीब है।

सदस्यता और मानदंड:

IEA में 31 सदस्य देश, 13 सहयोगी देश, और 5 पर्यग्रहण देश शामिल हैं। IEA का सदस्य बनने के लिए, देश का OECD का सदस्य होना आवश्यक है, और उसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होता है:

- पिछले वर्ष के शुद्ध तेल आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चे तेल का भंडार।
- आपातकालीन स्थिति में 10% तक राष्ट्रीय तेल खपत कम करने का कार्यक्रम।
- समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों (CERM) का संचालन।
- सभी तेल कंपनियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए कानून।
- सामूहिक कार्रवाई में सहयोग की क्षमता।

भारत की सदस्यता: भारत 2017 में IEA में एक सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। यह सदस्यता IEA के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लक्ष्यों में भारत के योगदान को और सुदृढ़ करती है।

IEA की प्रमुख रिपोर्टें:

- विश्व ऊर्जा आउटलुक (World Energy Outlook)** - ऊर्जा प्रवृत्तियों का विश्लेषण
- विश्व ऊर्जा संतुलन (World Energy Balances)**
- ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य (Energy Technology Perspectives)**
- विश्व ऊर्जा सांख्यिकी (World Energy Statistics)**
- 2050 तक नेट जीरो (Net Zero by 2050)** - जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम

दृश्य उत्सर्जन रेखा कोरोनाग्राफ (VELC) Visible Emission Line Coronagraph

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने आदित्य-एल1 मिशन पर लगे विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ (VELC) पेलोड से प्राप्त पहले महत्वपूर्ण परिणामों की रिपोर्ट दी है। यह मिशन भारत का पहला सूर्य निरीक्षण मिशन है जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर से सूर्य का अध्ययन करेगा।

VELC के बारे में:

VELC आदित्य-एल1 मिशन का प्राथमिक पेलोड है और यह एक आंतरिक रूप से प्रचलित सौर कोरोनाग्राफ है। यह पेलोड सौर खण्ड के निकट इमेजिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रो-पोलरिमीट्री करने में सक्षम है। इसका निर्माण भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (आईआईए) ने कर्नाटक के होसाकोटे स्थित CREST (विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र) परिसर में किया है। इसमें कोरोनाग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, पोलरिमीट्री मॉड्यूल और डिटेक्टर जैसे सहायक प्रकाशिकी उपकरण शामिल हैं।

मुख्य उद्देश्य:

- **सौर कोरोना का निरीक्षण:** VELC का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना की अध्ययन करना है, जो सूर्य का सबसे बाहरी, पतला और गर्म परत है। यह कोरोनाल तापमान, प्लाज्मा वेग, घनत्व आदि का विश्लेषण करेगा।
- **सौर त्रिज्या का चित्रण:** VELC सौर त्रिज्या के 1.05 गुना तक का चित्र ले सकता है, जो किसी भी पेलोड द्वारा लिया गया सबसे निकटतम चित्र है।
- **कोरोनल मास इजेक्शन (CME) और सौर हवा का अध्ययन:** यह पेलोड कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) और सौर हवा के अध्ययन में भी सहायक होगा, जो सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से संबंधित घटनाएँ हैं।

कोरोनाग्राफ क्या है?

- कोरोनाग्राफ एक विशेष उपकरण है जिसका उद्देश्य सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध करना है ताकि शोधकर्ता सूर्य के कोरोना, जो सूर्य का सबसे बाहरी और गर्म परत है, को देख सकें।
- इसका आविष्कार फ्रांसीसी खगोलशास्त्री बर्नार्ड ल्योट ने 1930 के दशक में किया था।
- सामान्यतः सूर्य का कोरोना केवल सूर्यग्रहण के दौरान दिखाई देता है, जब चंद्रमा की छाया सूर्य की केंद्रीय परतों को ढक लेती है और इसका मंद कोरोना दिखाई देता है।
- कोरोनाग्राफ इस प्राकृतिक घटना की नकल करता है और एक गोलाकार मास्क के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के बड़े हिस्से को अवरुद्ध करता है, जिससे सूर्य के बाहरी परत को देखा जा सकता है।

निष्कर्ष: VELC पेलोड आदित्य-एल1 मिशन के माध्यम से सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिससे सूर्य की बाहरी परत, सौर हवा, कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) और अन्य सौर घटनाओं को समझने में मदद मिलेगी। यह मिशन न केवल भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि वैश्विक खगोल विज्ञान समुदाय के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

IL-35 प्रोटीन IL-35 protein

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान, गुवाहाटी स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान (आईएसएसटी) के वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट प्रोटीन **आईएल-35** की खोज की है। यह प्रोटीन टाइप-1 और ऑटोइम्यून मधुमेह के उपचार में सहायक हो सकता है।

आईएल-35 प्रोटीन के बारे में:

- **संरचना:** आईएल-35 प्रोटीन **IL-12 α** और **IL-27 β** श्रृंखलाओं का एक संयोजन है।
- **कार्य:** यह टाइप-1 और ऑटोइम्यून मधुमेह से बचाव में मदद करता है।
- **प्रभाव:** आईएल-35 प्रोटीन मैक्रोफेज सक्रियण, टी-कोशिका प्रोटीन और नियामक बी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है।
- **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया:** इसने अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं पर हमला करने वाली प्रतिरक्षा कोशिकाओं को बाधित किया है और उन प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या को कम किया जो भड़काऊ रसायन उत्पन्न करती हैं। इससे अग्नाशय में कोशिका घुसपैठ कम हो जाती है, जो टाइप 1 और ऑटोइम्यून मधुमेह के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।

ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलिटस (T1DM):

- **परिभाषा:** ऑटोइम्यून डायबिटीज मेलिटस या टाइप-1 डायबिटीज मेलिटस (T1DM) एक अंग-विशिष्ट ऑटोइम्यून रोग है जो इंसुलिन उत्पादक अग्नाशयी बीटा कोशिकाओं को प्रभावित करता है।
- **कारण:** इस रोग में, आनुवंशिक रूप से संवेदनशील व्यक्तियों में सूजन प्रक्रिया के कारण इंसुलिन की कमी होती है। इसके परिणामस्वरूप, व्यक्ति को जीवनभर बाह्य इंसुलिन की आवश्यकता होती है।
- **विशेषताएँ:** यह एक जटिल बहुक्रियात्मक रोग है जिसमें आनुवंशिक संवेदनशीलता और पर्यावरणीय कारक दोनों ही बीटा कोशिकाओं के खिलाफ स्वप्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं।
- **संभावित ट्रिगर:** इस रोग के लिए विभिन्न पर्यावरणीय जोखिम कारकों का सुझाव दिया गया है, जैसे कि कुछ वायरस, अधिक जन्म वजन, शिशु का वजन बढ़ना, आंत के माइक्रोबायोटा में असंतुलन, और आहार संबंधी कारक (जैसे, विटामिन डी की कमी, ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी, अधिक दूध का सेवन)।

निष्कर्ष: आईएल-35 प्रोटीन का अध्ययन और इसकी संभावनाओं की पहचान टाइप-1 और ऑटोइम्यून मधुमेह के नए उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। यह प्रोटीन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं को बचाने में सहायक हो सकता है, जिससे भविष्य में इस बीमारी के उपचार के लिए एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है।

मिनटमैन III Minuteman III

अमेरिकी सेना चुनाव के दिन मतदान समाप्त होने के कुछ घंटों बाद **मिनटमैन III हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल** का परीक्षण करने की योजना बना रही है। यह परीक्षण अमेरिकी परमाणु शस्त्रागार की एक महत्वपूर्ण घटक मिसाइल का प्रदर्शन है।

मिनटमैन III मिसाइल के बारे में:

- **नाम और पदनाम:** **एलजीएम-30जी मिनटमैन III** एक अमेरिकी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है।
 - **एल:** साइलो-लॉन्च के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा दिया गया पदनाम
 - **जी:** सतह पर हमला करने वाली मिसाइल
 - **एम:** निर्देशित मिसाइल
- **इतिहास:**
 - यह मिसाइल 1970 के दशक के प्रारंभ में सक्रिय हुई थी।
 - **मिनटमैन III** अमेरिकी परमाणु त्रिकोण का एकमात्र भूमि-आधारित घटक है।
 - इसका डिजाइन और निर्माण **बोइंग कॉर्पोरेशन** द्वारा किया गया था।
 - इसे शुरू में दस वर्षों के लिए सेवा में रखा जाना था, लेकिन इसके बाद इसका **आधुनिकीकरण** किया गया क्योंकि इसे **ग्राउंड-बेस स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रेंट (GBSD)** द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, जो 2029 में सेवा में आएगा।
- **विशेषताएँ:**
 - **MIRVs (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicles):** यह पहली अमेरिकी मिसाइल थी जो **MIRVs** से सुसज्जित थी, जिससे यह विभिन्न लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हो सकती है।
 - **मात्रा:** वर्तमान में **संयुक्त राज्य अमेरिका** के पास अनुमानतः 440 मिनटमैन III मिसाइलें हैं।
 - **ठोस ईंधन:** यह तीन चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है।
 - **आयाम:**
 - लंबाई: 18.2 मीटर
 - व्यास: 1.85 मीटर
 - प्रक्षेपण वजन: 34,467 किलोग्राम
- **गति और सीमा:**
 - **गति:** लगभग **15,000 मील प्रति घंटा** (मैक 23 या 24,000 किमी प्रति घंटा), जो हाइपरसोनिक गति को दर्शाता है।
 - **सीमा:** इसकी अधिकतम सीमा **13,000 किमी** है और यह तीन पुनःप्रवेश वाहनों का पेलोड ले जाने में सक्षम है।



गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण Gravitational energy storage

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण (Gravitational Energy Storage) एक नई तकनीक के रूप में उभर रहा है जो सौर और पवन ऊर्जा के परिवर्तनीय और अप्रत्याशित उत्पादन से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद कर सकता है। यह तकनीक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करती है, और इसे बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के समाधान के रूप में माना जा रहा है।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण के बारे में:

यह तकनीक ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए भारी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसे गिराने का उपयोग करती है। जब अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन होता है, तो उस ऊर्जा से भारी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, और फिर जब ऊर्जा की मांग बढ़ती है या सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं होती, तो उसे नीचे गिराकर टरबाइन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।

यह कैसे काम करता है?

ऊर्जा संग्रहण:

- जब सौर ऊर्जा उत्पादन मांग से अधिक होता है, तो अतिरिक्त बिजली एक भारी पिस्टन को ऊपर उठाती है।
- यह संग्रहित ऊर्जा को स्टोर करने का काम करती है।

ऊर्जा आपूर्ति:

- जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है, तो पिस्टन नीचे गिरता है, और पानी टरबाइन के माध्यम से चलता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है।

प्रयोग किए जाने वाले भार:

- पानी, कंक्रीट ब्लॉक या संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक जैसे वजनदार सामग्री का उपयोग किया जाता है।

गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण और पंप-जल ऊर्जा भंडारण में अंतर:

- पंप-जल ऊर्जा भंडारण (Pumped Hydro Energy Storage) के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा भंडारण में **स्थान चयन में अधिक लचीलापन** होता है, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थितियों में लागू किया जा सकता है।

लाभ:

1. **न्यूनतम रखरखाव:** यह प्रणाली दशकों तक बिना किसी बड़े रखरखाव के काम कर सकती है, जबकि बैटरियों समय के साथ खराब हो जाती हैं।
2. **पर्यावरणीय लाभ:** यह प्रणाली **हानिकारक रासायनिक प्रतिक्रियाओं** से बचाती है और **पर्यावरणीय प्रभाव** और **निपटान** की समस्याओं को कम करती है, जो कि हरित ग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
3. **कम लागत:** यह बड़े पैमाने पर **कास्ट प्रभावी** हो सकती है और ऊर्जा भंडारण की लागत को कम करती है, जो विशेष रूप से उच्च लागत वाली बैटरियों के मुकाबले एक आकर्षक विकल्प है।
4. **स्थान चयन की लचीलापन:** यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लाभकारी है जहां **स्थान की कमी** है या **पर्यावरणीय चिंताएं** हैं जो अन्य भंडारण प्रणालियों की तैनाती को प्रतिबंधित करती हैं।



महाकुंभ मेला The Maha Kumbh Mela



महाकुंभ मेला, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पवित्र शहर प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। यह आयोजन, हर 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धिकरण की कामना करते हैं।

महाकुंभ मेले के बारे में:

कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आयोजन है, जो भारत के चार पवित्र स्थानों – हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज – में बारी-बारी से आयोजित होता है। हर स्थान एक पवित्र नदी के किनारे स्थित है:

- हरिद्वार में गंगा,
- उज्जैन में शिप्रा,
- नासिक में गोदावरी,
- प्रयागराज में गंगा, यमुना, और पौराणिक सरस्वती का संगम।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

कुंभ मेले की प्राचीन जड़ें हजारों वर्षों पुरानी हैं, और इसके प्रारंभिक संदर्भ मौर्य और गुप्त काल (4थी शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी) में मिलते हैं।

- मध्यकाल में इसे दक्षिण के चोल और विजयनगर साम्राज्य तथा उत्तर के दिल्ली सल्तनत और मुगलों से संरक्षण प्राप्त हुआ।
- मुगल सम्राट अकबर जैसे शासक भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए, जो धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था।
- ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक जेम्स प्रिंसेप जैसे लोगों ने 19वीं सदी में कुंभ मेले का इतिहास लिखा और इसके विशाल पैमाने और विविधता से प्रभावित होकर इसका दस्तावेजीकरण किया।

आधुनिक महत्व:

स्वतंत्रता के बाद, महाकुंभ मेला राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की, जिससे यह भारत की प्राचीन परंपराओं और संस्कृति के निरंतर विकास का प्रतीक बन गया।

स्पाइजल मस्क्युलर अट्रोफी Spinal Muscular Atrophy

हाल ही में, स्पाइजल मस्क्युलर अट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित एक 16 महीने के बच्चे को जीन थेरेपी के लिए चुना गया और एक निजी अस्पताल में उसे यह विशेष दवा दी गई है। एसएमए एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी है जो शरीर के स्वेच्छिक मांसपेशी आंदोलनों को प्रभावित करती है।

स्पाइजल मस्क्युलर अट्रोफी के बारे में:

एसएमए एक आनुवंशिक तंत्रिका संबंधी विकार है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और स्वेच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। यह मोटर न्यूरोन्स नामक तंत्रिका कोशिकाओं की क्षति के कारण होता है, जो रीढ़ की हड्डी में स्थित होते हैं। इसे मोटर न्यूरोन रोग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एसएमए के प्रकार:

एसएमए के पांच उपप्रकार होते हैं:

- प्रकार 0: जन्म से पहले ही इसके लक्षण प्रकट होते हैं और यह सबसे गंभीर प्रकार है।
- प्रकार 1: जन्म के बाद के कुछ महीनों में लक्षण उभरते हैं; यह गंभीर प्रकारों में गिना जाता है।
- प्रकार 2: लक्षण थोड़े बड़े बच्चों में दिखाई देते हैं और ये मध्यम गंभीरता वाले होते हैं।
- प्रकार 3: यह बाद के बचपन या किशोरावस्था में शुरू होता है और अपेक्षाकृत हल्का होता है।
- प्रकार 4: यह व्यस्कों में शुरू होता है और सबसे हल्का प्रकार माना जाता है।

लक्षण:

एसएमए के लक्षण अलग-अलग प्रकारों में भिन्न हो सकते हैं, जैसे:

- मांसपेशियों की कमजोरी, विशेष रूप से शरीर के केंद्र के करीब स्थित मांसपेशियों में।
- हल्के से लेकर गंभीर रूप तक की गतिशीलता संबंधी समस्याएँ।
- कुछ मामलों में श्वास और निगलने में कठिनाई होती है। हालांकि, एसएमए में अनेच्छिक मांसपेशियाँ, जैसे कि हृदय और पाचन तंत्र की मांसपेशियाँ, प्रभावित नहीं होती हैं।

उपचार:

दुर्भाग्यवश, एसएमए का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन इसके लक्षणों का प्रबंधन और जटिलताओं की रोकथाम संभव है। उपचार में शामिल हैं:

- भौतिक चिकित्सा – मुद्रा सुधारने, जोड़ों को गतिशील बनाए रखने, और मांसपेशियों की कमजोरी को धीमा करने के लिए।
- व्यावसायिक चिकित्सा – दैनिक कार्य करने की क्षमता में सुधार के लिए।
- सहायक उपकरण – जैसे आर्थोपेडिक ब्रेसिंग, वॉकर, और व्हीलचेयर।
- बोलने और निगलने में कठिनाई के लिए चिकित्सा।
- साँस लेने की समस्याओं के लिए सहायक वेंटिलेशन।
- गंभीर निगलन समस्याओं के लिए फीडिंग ट्यूब का उपयोग।



जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) James Webb Space Telescope (JWST)

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) के अवलोकन से प्राचीन ब्लैक होल LID-568 के तीव्र विकास का पता चला है, जिससे ब्लैक होल के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती मिली है। यह अवलोकन **नेचर एस्ट्रोनॉमी** पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और इसने खगोल विज्ञान में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।



LID-568: तीव्र वृद्धि और महत्व

- LID-568 एक प्राचीन अतिविशाल ब्लैक होल है, जिसका निर्माण बिग बैंग के लगभग 1.5 अरब वर्ष बाद हुआ था।
- इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 10 मिलियन गुना अधिक है, जो इसे हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल, **सैजिटेरियस A*** से भी बड़ा बनाता है।
- अध्ययन से पता चलता है कि यह ब्लैक होल **एडिंटन सीमा** से 40 गुना अधिक मात्रा में पदार्थ को अवशोषित कर रहा है।
- इस तरह की तीव्र वृद्धि यह संकेत देती है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में कुछ ब्लैक होल ने बेहद तेजी से विशाल आकार प्राप्त कर लिया होगा, जो बाद में अतिविशाल ब्लैक होल के निर्माण में सहायक साबित हुआ।

एडिंटन सीमा:

- एडिंटन सीमा** किसी ब्लैक होल की अधिकतम ऊर्जा उत्पादन की वह सैद्धांतिक सीमा है, जिसे वह **अभिवृद्धि** प्रक्रिया से प्राप्त कर सकता है।
- इस सीमा पर, ब्लैक होल के द्वारा उत्पन्न विकिरण का बाह्य बल, नीचे गिरते पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित कर देता है, जिससे इसकी वृद्धि सीमित रहती है।
- LID-568 का इस सीमा से 40 गुना अधिक मात्रा में पदार्थ को अवशोषित करना, इसकी अभूतपूर्व वृद्धि का एक कारण है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक नया अध्ययन का विषय बन गया है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST):

- जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई अब तक की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है।
- यह मुख्यतः अवरक्त स्पेक्ट्रम में ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए डिज़ाइन की गई है और इसे नासा के **हबल स्पेस टेलीस्कोप** का उत्तराधिकारी माना जाता है।
- यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर **लैंग्रेंज बिंदु L2** पर सूर्य की परिक्रमा करता है, जो इसे अत्यधिक संवेदनशील अवलोकनों के लिए एक स्थिर स्थान प्रदान करता है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए इक्विटी को मंजूरी Equity approved for Food Corporation of India (FCI)

भारत सरकार ने हाल ही में **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** के लिए ₹10,700 करोड़ की इक्विटी को मंजूरी दी है, जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के रूप में किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश के **कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना** और **किसानों के कल्याण** को सुनिश्चित करना है।



एफसीआई परिचालन का वित्तपोषण और चुनौतियाँ:

FCI **केंद्रीय पूल** के लिए किसानों से **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर खाद्यान्न खरीदता है और इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित **केंद्रीय निर्गम मूल्य** पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से जारी करता है। निर्गम मूल्य अक्सर खरीद, संचलन, भंडारण, और वितरण की कुल लागत को कवर नहीं करते हैं, जिससे उपभोक्ता सब्सिडी की आवश्यकता होती है, जिसे सरकार द्वारा एफसीआई को भुगतान किया जाता है।

एफसीआई की चुनौतियाँ:

- प्रत्यक्ष खरीद में कम हिस्सेदारी:** एफसीआई द्वारा प्रत्यक्ष खरीद में 5% से भी कम योगदान है।
- प्रभावी भंडारण का अभाव:** FCI के पास मौजूद गोदामों में रिसाव और खराब गुणवत्ता वाले स्टॉक की समस्या बनी हुई है।
- पारगमन हानि:** खाद्यान्नों के स्थानांतरण के दौरान नुकसान की समस्या।
- सुविधाओं का सीमित उपयोग:** एफसीआई के स्वामित्व वाली सुविधाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।

स्थायी समिति की सिफारिशें:

एफसीआई की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की गई हैं:

- राज्य सरकारों की मदद:** राज्य सरकारों को प्रभावी खरीद के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में सहायता।
- वैज्ञानिक भंडारण उपाय:** नुकसान को रोकने के लिए वैज्ञानिक भंडारण उपायों का प्रयोग।
- सतर्कता तंत्र:** राज्यों के साथ समन्वय कर सतर्कता तंत्र को सुदृढ़ करना।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के उद्देश्य:

एफसीआई को खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित किया गया था और यह **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के अंतर्गत आता है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं:

- किसानों के हितों की रक्षा के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर खाद्यान्न की खरीद।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** के माध्यम से पूरे देश में खाद्यान्न का वितरण।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के **बफर स्टॉक** का समुचित प्रबंधन।

रियो में G20 शिखर सम्मेलन: न्यायपूर्ण और सतत् विश्व की प्रतिबद्धता / G20 Summit in Rio: Commitment to a Just and Sustainable World

हाल ही में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वें G20 शिखर सम्मेलन में "एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत् ग्रह का निर्माण" विषय पर चर्चा हुई। सम्मेलन में वैश्विक स्थिरता और समावेशन को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की गई।

सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

1. सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन:

- भारत के प्रधानमंत्री ने सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर अपने विचार साझा किए।
- अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2025 में दक्षिण अफ्रीका और 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा।

2. घोषणापत्र के मुख्य परिणाम:

अधिक अमीरों पर करः

- प्रगतिशील और प्रभावी कर लगाने की सिफारिश की गई।
- अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांतों पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया।

बहुपक्षवाद:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर जोर।
- भूख और गरीबी के खिलाफ एक वैश्विक गठबंधन का आरंभ।
 - लक्ष्य: 2030 तक 500 मिलियन लोगों को नकद सहायता और 150 मिलियन बच्चों को स्कूल भोजन।

3. सामाजिक समावेशन और डिजिटल विभाजन:

- पुरुषों और महिलाओं के लिए समान भागीदारी को बढ़ावा।
- 2030 तक लैंगिक डिजिटल विभाजन को आधा करने की प्रतिबद्धता।
- भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) पर संयुक्त घोषणापत्र जारी किया।

4. जलवायु कार्यवाही:

- कम उत्सर्जन वाली ऊर्जा के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर।
- भूमि क्षरण को 2040 तक 50% तक कम करने का लक्ष्य।
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन गतिशीलता कार्य बल का स्वागत।

5. वैश्विक व्यापार:

- WTO नियमों और बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों के तहत हरित आर्थिक नीतियों को भेदभाव रहित बनाने पर सहमति।

6. वैश्विक स्वास्थ्य:

- टीकों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक न्यायसंगत पहुंच बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय उत्पादन गठबंधन का स्वागत।

जी20: परिचय:-

जी20 (Group of Twenty) एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसमें 19 देशों और यूरोपीय संघ (EU) के सरकार प्रमुख और केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल हैं। इसे एशियाई वित्तीय संकट (1997-1998) के बाद स्थापित किया गया था ताकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैश्विक आर्थिक समन्वय को मजबूत किया जा सके। प्रारंभ में यह मंच वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए था, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान इसे नेताओं के शिखर सम्मेलन का स्तर दिया गया। तब से, यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों को आकार देने और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संरचना और कार्यप्रणाली:

1. बैठकें और ट्रैक:

- जी20 प्रत्येक वर्ष नेताओं के शिखर सम्मेलन और वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठकें आयोजित करता है।
- यह दो मुख्य ट्रैक के माध्यम से कार्य करता है:
 - वित्त ट्रैक: इसमें वित्तीय स्थिरता, वित्तीय और मौद्रिक नीतियों तथा मैक्रोइकोनॉमिक समन्वय पर चर्चा की जाती है।
 - शेरापा ट्रैक: इसमें व्यापार, विकास, ऊर्जा, स्वास्थ्य जैसे व्यापक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। इसे शेरापा (प्रमुख देशों के प्रतिनिधि) नेतृत्व करते हैं।

2. ट्रैक प्रणाली:

- जी20 ट्रैक प्रणाली के तहत कार्य करता है, जिसमें पिछले, वर्तमान और आगामी अध्यक्षता शामिल होती है। यह मंच की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

3. कोई औपचारिक चार्टर या सचिवालय नहीं:

- जी20 का कोई स्थायी सचिवालय या चार्टर नहीं है। यह सदस्य देशों के आपसी सहयोग पर आधारित है।

4. गैर-बाध्यकारी निर्णय:

- जी20 के निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं, अर्थात् सदस्य देशों पर इन्हें लागू करने की कानूनी बाध्यता नहीं होती।

5. अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग:

- जी20, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संगठनों के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक प्रबंधन को मजबूत करता है।

जी20 का महत्व

- आर्थिक स्थिरता:** वित्तीय संकटों का सामना करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- नीति संवाद:** व्यापार, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है।
- समावेशिता:** विकसित और विकासशील दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के समाधान के लिए संतुलित दृष्टिकोण मिलता है।

CJI संजीव खन्ना ने 'समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष' शब्दों पर सुनवाई की / CJI Sanjiv Khanna hears plea on words 'socialist, secular'

भारत के मुख्य न्यायाधीश, संजय खन्ना, ने उन याचिकाओं पर सुनवाई की जो 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को चुनौती दे रही थीं।

मुख्य बिंदु:

- समाजवाद का अर्थ:** मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि भारत में "समाजवाद" का अर्थ एक कल्याणकारी राज्य से है, जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करता है, और यह निजी क्षेत्र की भागीदारी को नकारता नहीं है।
- प्रस्तावना संशोधन:** उन्होंने यह दावा खारिज किया कि 1949 में संविधान सभा द्वारा अपनाई गई प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 368 के तहत बदला जा सकता है।
- मूल संरचना का हिस्सा:** मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" संविधान की मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन:** उन्होंने यह भी खारिज किया कि ये शब्द अलोकतांत्रिक हैं। उनका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

समाजवाद क्या है?

समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है, जो निम्नलिखित पर आधारित है:

- सामूहिक स्वामित्व:** संसाधनों और उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक या सामूहिक स्वामित्व बढ़ावा देता है।
- संसाधनों का समान वितरण:** धन और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है।
- राज्य का हस्तक्षेप:** सामाजिक और आर्थिक समानता हासिल करने के लिए रा

समाजवाद के प्रकार-

- क्रांतिकारी (मार्क्सवादी) समाजवाद:**
 - समाजवाद को केवल निजी संपत्ति समाप्त कर और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित कर हिंसक क्रांति के माध्यम से लाया जा सकता है।
- प्रगतिशील समाजवाद:**
 - समाजवादी ताकतें राज्य के अंगों को समाजवादी नीतियों को बनाने और लागू करने में सहयोग करती हैं।

भारत के प्रमुख समाजवादी नेता:

- आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण और डॉ. राम मनोहर लोहिया।
- आचार्य नरेंद्र देव के किसान सभा को संबोधित करने से प्रेरित होकर कर्पूरी ठाकुर ने स्वतंत्रता संग्राम और समाजवादी राजनीति में प्रवेश किया।

भारत में समाजवादी राजनीति का योगदान

स्वतंत्रता पूर्व काल

- आदर्श:** उपनिवेशवाद-विरोध, समानता, और सामाजिक न्याय जैसे समाजवादी आदर्श स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक ढांचे में शामिल रहे।
- भूमिका:** समाजवादी नेताओं और संगठनों ने श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर पड़े समुदायों को संगठित कर राष्ट्रवादी आंदोलन को सशक्त बनाया।

स्वतंत्रता पश्चात काल

1. संवैधानिक योगदान:

- संविधान में समानता और सामाजिक न्याय जैसे आदर्श समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित हैं।

2. लोकतंत्र का सशक्तीकरण:

- समाजवादी नेताओं और पार्टियों ने क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में योगदान दिया, जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत हुई।

3. आर्थिक नीतियाँ:

- राज्य की भूमिका पर बल देते हुए स्टील, ऊर्जा, और भारी उद्योग जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया गया।
- दूसरा पंचवर्षीय योजना (1956-61) के तहत महालनोबिस मॉडल और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs) का विकास हुआ।

4. सामाजिक कल्याण:

- कमजोर और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आरक्षण नीतियों जैसी योजनाओं की स्थापना।
- भूदान आंदोलन जैसे समाजवादी आंदोलनों ने भूमि सुधार जैसी नीतियों को प्रभावित किया।

कोकिंग कोल के आयात पर निर्भरता कम करना: नीति आयोग / Reducing dependence on import of coking coal: Niti Aayog

हाल ही में नीतिआयोग ने "घरेलू कोकिंग कोयला उपलब्धता बढ़ाने और आयात निर्भरता घटाने" पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

1. कोकिंग कोयला संसाधन (2023):

- भारत में प्राइम कोकिंग कोयले के सिद्ध भौगोलिक संसाधन 5.13 बिलियन टन और मीडियम कोकिंग कोयले के 16.5 बिलियन टन आँके गए हैं।

2. आयात पर निर्भरता:

- पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा आयात किए गए कुल कोयले में कोकिंग कोयले का हिस्सा 22-27% रहा।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में पहली बार भारत में कोकिंग कोयला आयात का मूल्य ₹1 ट्रिलियन (1 लाख करोड़ रुपये) से अधिक हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 54% कोकिंग कोयला निर्यात किया।

3. मूल्य में अस्थिरता:

- कोकिंग कोयले की कीमतें अत्यधिक अस्थिर हैं क्योंकि इस पर मुख्य रूप से कुछ गिने-चुने देश (जैसे ऑस्ट्रेलिया) का प्रभुत्व है।

4. इस्पात उत्पादन में भूमिका:

- कोकिंग कोयला भारत में इस्पात उत्पादन की लागत का लगभग 42% हिस्सा है।
- इस्पात मंत्रालय आयात बिल को कम करने और आयात स्रोतों में विविधता लाने के लिए प्रयास कर रहा है।

5. महत्वपूर्ण खनिज का दर्जा:

- नीतिआयोग सरकार को कोकिंग कोयले को 'महत्वपूर्ण खनिज' घोषित करने की सलाह दे सकता है।
- यह कदम घरेलू धातुकर्म कोयले के उत्पादन को बढ़ावा देने और भारत के इस्पात क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा।

कोकिंग कोयला क्या है?

1. परिचय:

- **कोकिंग कोयला** जिसे मेटलर्जिकल कोयला भी कहा जाता है, एक प्राकृतिक तलछटी चट्टान है।
- यह बिटुमिनस कोयले का प्रकार है जिसमें थर्मल कोयले की तुलना में अधिक कार्बन, कम राख और नमी होती है।
- इस्पात उत्पादन में इसकी अहम भूमिका है, क्योंकि यह इस्पात की लागत का 42% भाग बनाता है।

2. इस्पात उत्पादन में उपयोग:

- कोकिंग कोयले को उच्च तापमान पर कार्बोनाइज करके कोक बनाया जाता है।
- कोक का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन बनाने के लिए किया जाता है, जहां यह आयरन ओर को घटाने वाले एजेंट और फर्नेस चार्ज को सहारा देने वाले संरचनात्मक सामग्री के रूप में कार्य करता है।

3. विश्व के प्रमुख उत्पादक (2022):

- चीन: 676 मिलियन टन (62%)
- ऑस्ट्रेलिया: 169 मिलियन टन (15%)
- रूस: 96 मिलियन टन (9%)
- अमेरिका: 55 मिलियन टन (5%)
- कनाडा: 34 मिलियन टन (3%)

4. भारत का परिप्रेक्ष्य:

- भारत में बड़े भंडार होने के बावजूद 85% कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है।
- अप्रैल-सितंबर 2023 में भारत ने 29.6 मिलियन टन कोकिंग कोयला आयात किया, जिसमें रूस से आयात में 200% की वृद्धि हुई

भारत के लिए कोकिंग कोयले का महत्व-

- परिचय:** कोकिंग कोयला, जिसे मेटलर्जिकल कोयला या "मेट कोल" भी कहते हैं, इस्पात निर्माण में उपयोग होता है।
- मुख्य भूमिका:** यह कोक बनाने में जरूरी है, जो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक है।
- विशेष गुण:** इस कोयले में उच्च कार्बन सामग्री, कम सल्फर और फॉस्फोरस होना चाहिए।
 - इसे इस्पात निर्माण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए मजबूत कोकिंग गुण आवश्यक हैं।

46% वयस्कों को हाई ब्लड प्रेशर की जानकारी नहीं: WHO / 46% adults are unaware of high blood pressure:**WHO**

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, लगभग 46% वयस्कों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि वे उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) से पीड़ित हैं। यह अज्ञानता और भी घातक हो सकती है, क्योंकि अनियंत्रित रक्तचाप कई महत्वपूर्ण अंगों को गंभीर क्षति पहुंचा सकता है।

उच्च रक्तचाप और हृदय रोग: मुख्य बिंदु**1. डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट:**

- 46% वयस्कों को जानकारी नहीं है कि वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं।
- अनियंत्रित ब्लड प्रेशर कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है।

2. हृदय रोग और मृत्यु दर:

- हृदय रोग वैश्विक मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है।
- हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर से हर साल लाखों मौतें होती हैं।

3. हाई ब्लड प्रेशर का खतरा:

- हाई ब्लड प्रेशर हृदय रोग और स्ट्रोक का मुख्य कारक है।
- लगातार बढ़ा ब्लड प्रेशर हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना बढ़ाता है।

4. युवाओं पर प्रभाव:

- 20 साल से कम उम्र के लोग भी ब्लड प्रेशर की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं।

5. ब्लड प्रेशर नियंत्रण की आवश्यकता:

- सभी लोगों को ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने के लिए प्रयास करने की सलाह दी जाती है।

रक्तचाप: एक परिचय-**1. रक्तचाप क्या है?**

- रक्तचाप वह दबाव है, जो रक्त वाहिकाओं पर पड़ता है।
- सामान्य रक्तचाप: 140/90 mmHg से कम।
- उच्च रक्तचाप: 140/90 mmHg या उससे अधिक।

2. रक्तचाप के मापन की संरचना:

- **सिस्टोलिक दबाव:** हृदय के स्पंदन के दौरान रक्त वाहिकाओं में दबाव।
- **डायस्टोलिक दबाव:** हृदय के आराम के समय रक्त वाहिकाओं में दबाव।

3. उच्च रक्तचाप का महत्व:

- अगर इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह घातक बीमारियों का कारण बन सकता है।
- इसे "मूक हत्यारा" कहा जाता है।

4. जागरूकता का उद्देश्य:

- उच्च रक्तचाप को रोकने और नियंत्रित करने के लिये हर साल **17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस** मनाया जाता है।

भारत में उच्च रक्तचाप के कारण-

- ✓ मोटापा
- ✓ शराब का सेवन
- ✓ उच्च नमक का सेवन
- ✓ तंबाकू का उपयोग
- ✓ शारीरिक व्यायाम की कमी, आदि।
- ✓ रिपोर्ट ने भारत में तंबाकू के उपयोग (28 प्रतिशत) और शारीरिक निष्क्रियता (34 प्रतिशत) को दो सबसे शक्तिशाली ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया है।

रोकथाम के उपाय:

- ✓ अच्छी नींद की आदतें
- ✓ फलों और सब्जियों का सेवन
- ✓ शराब के सेवन से बचना चाहिए
- ✓ शारीरिक गतिविधि
- ✓ वायु प्रदूषण के संपर्क में कमी
- ✓ योग, ध्यान और संगीत, आदि।

विभिन्न पहल:**भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल (IHCI) कार्यक्रम:**

- ⇒ IHCI जैसे कार्यक्रमों और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर गैर-संचरणीय रोग जाँच और उपचार की दिशा में सरकार के प्रयासों के माध्यम से भारत का लक्ष्य वर्ष 2025 तक उच्च रक्तचाप या मधुमेह के 75 मिलियन रोगियों को मानक देखभाल पर प्रदान करना है।

- ⇒ हर साल **17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस** मनाया जाता है।

उपग्रहों का अंतरिक्ष कचरा पर्यावरण के लिए खतरा / Space debris from satellites is a threat to the environment

वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 10,000 से अधिक सक्रिय उपग्रह मौजूद हैं। अनुमान है कि यह संख्या 2030 के दशक तक 1 लाख से अधिक और आने वाले दशकों में लगभग 5 लाख तक पहुंच सकती है, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास का संकेत है।

मुख्य बिंदु:

- सक्रिय उपग्रहों की संख्या:** वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा में 10,000 से अधिक सक्रिय उपग्रह हैं।
- भविष्य का अनुमान:** 2030 के दशक तक यह संख्या 1 लाख और आने वाले दशकों में 5 लाख तक पहुंच सकती है।
- जीवन चक्र का अंत:** अधिकांश उपग्रह अपने जीवन चक्र के अंत में पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते हैं।
- प्रदूषण की समस्या:** उपग्रहों के जलने से ऊपरी वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक छूटते हैं।
- वैज्ञानिकों की चिंता:** उपग्रहों की बढ़ती संख्या के साथ प्रदूषण भी बढ़ेगा, जिससे वैज्ञानिक चिंतित हैं।

उपग्रहों से प्रदूषण: एक गंभीर चुनौती

परिचय:

उपग्रहों और रॉकेटों की रीएंट्री (पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश) के दौरान वायुमंडल में भारी मात्रा में प्रदूषक तत्व छोड़े जाते हैं। ये प्रदूषक न केवल वायुमंडल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

मुख्य तथ्य:

- वायुमंडल में धातु कणों का बढ़ता स्तर:**
 - वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फियर में पाए गए एरोसोल कणों में लगभग 10% एल्यूमीनियम और अन्य धातुएं होती हैं, जो जलते हुए उपग्रहों और रॉकेटों से उत्पन्न होती हैं।
 - ये धातुएं वायुमंडल में जमा होकर लंबे समय तक बनी रहती हैं।
- प्रदूषण में वृद्धि:**
 - उपग्रहों की रीएंट्री के दौरान एल्यूमीनियम और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में 2020 में 3.3 बिलियन ग्राम से बढ़कर 2022 में 5.6 बिलियन ग्राम हो गया।
 - रॉकेट लॉन्च से भी प्रदूषकों का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिसमें ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमीनियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस शामिल हैं।
- प्रभाव:**
 - ओजोन परत पर प्रभाव: रॉकेटों और उपग्रहों के जलने से उत्पन्न क्लोरीन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है।
 - जलवायु परिवर्तन: ब्लैक कार्बन और अन्य प्रदूषक तत्व वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकते हैं।
 - पर्यावरणीय खतरा: इन प्रदूषकों का दीर्घकालिक प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर हो सकता है।

प्रभाव:

- ओजोन परत पर प्रभाव: रॉकेटों और उपग्रहों के जलने से उत्पन्न क्लोरीन गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन: ब्लैक कार्बन और अन्य प्रदूषक तत्व वायुमंडल में गर्मी को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकते हैं।
- पर्यावरणीय खतरा: इन प्रदूषकों का दीर्घकालिक प्रभाव पृथ्वी के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर हो सकता है।

उपग्रह प्रदूषण का प्रभाव

1. ओजोन परत पर खतरा:

- जलते हुए उपग्रहों से निकलने वाला **एल्यूमीनियम ऑक्साइड** और अन्य धातुकण **ओजोन परत** को नुकसान पहुंचाते हैं।
- ओजोन परत सूर्य से आने वाली **99% पराबैंगनी किरणों** को अवशोषित करती है। इस परत के कमजोर होने से **जीवों और पर्यावरण** पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

2. जलवायु परिवर्तन:

- रॉकेट इंजनों और उपग्रहों के जलने से **ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और अन्य जहरीले गैसों** वायुमंडल में मिलती हैं।
- यह गैसों वातावरण को गर्म करती हैं और जलवायु को असंतुलित बनाती हैं।
- धातुओं के कण बादल बनने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, जिससे मौसम चक्र में बदलाव हो सकता है।

3. पर्यावरणीय संरचना में बदलाव:

- उपग्रहों और रॉकेटों के जलने से निकलने वाले प्रदूषक वायुमंडल की रासायनिक संरचना को बदल सकते हैं।
- यह परिवर्तन न केवल पृथ्वी के पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से प्राकृतिक संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं।
- कैंसर, आंखों की समस्याएं, और फसल उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है।
- समुद्री और स्थलीय जीवन के लिए भी यह प्रदूषण खतरनाक है।

बांग्लादेश: अडाणी पावर एग्रीमेंट समेत सभी समझौतों की जांच की सिफारिश / Bangladesh: Recommendation to investigate all agreements including Adani Power Agreement

बांग्लादेश में पावर प्रोडक्शन एग्रीमेंट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, 2009 से 2024 तक के सभी समझौतों की जांच हेतु एक विशेष एजेंसी गठित करने की सिफारिश की गई है, जिसमें शेख हसीना सरकार और अडाणी ग्रुप के बीच हुए पावर एग्रीमेंट के तहत समझौतों की जांच शामिल हैं।

मुख्य बिंदु

1. विशेष एजेंसी की सिफारिश:

- 2009 से 2024 तक हुए सभी पावर प्रोडक्शन एग्रीमेंट की जांच के लिए विशेष एजेंसी गठित करने की सिफारिश।
- शेख हसीना सरकार और अडाणी ग्रुप के बीच हुए पावर एग्रीमेंट की भी जांच प्रस्तावित।

2. समझौतों पर पुनर्विचार/रद्द की मांग:

- समीक्षा समिति ने सुझाव दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत कुछ समझौतों को रद्द या पुनर्विचार किया जाए।
- जांच के लिए अतिरिक्त समय की भी मांग।

3. समीक्षा में शामिल प्रोजेक्ट्स:

- सात प्रमुख एनर्जी और पावर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा जारी।
- इसमें अडाणी गोड्डा BIFPCL 1234.4 मेगावाट कोल फायर्ड प्लांट और चीनी कंपनी के 1320 मेगावाट कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट शामिल।

4. सबूतों के आधार पर कार्रवाई:

- समिति ने कई सबूत जुटाए, जिनके आधार पर समझौतों की पारदर्शिता पर सवाल उठाया गया है।

भारत-बांग्लादेश व्यापार संबंध:

1. दक्षिण एशिया में प्रमुख व्यापार साझेदार:

- बांग्लादेश, भारत का दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।
- भारत, बांग्लादेश का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है।

2. द्विपक्षीय व्यापार का स्तर:

- 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14.01 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।

3. परिवहन और संपर्क समझौते:

- आंतरिक जलमार्ग व्यापार और पारगमन प्रोटोकॉल (PIWTT) से व्यापार को बढ़ावा।
- चितगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग के लिए समझौते को लागू किया गया।

4. सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग:

- 4,096 किमी लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर शांति और सहयोग सुनिश्चित किया गया।
- सीमा पर बाड़ लगाने, सीमा स्तंभों के संयुक्त निरीक्षण और सुरक्षा पर दोनों देशों का सहयोग।

5. संस्कृति और जनसंपर्क:

- इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, ढाका, दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं।

6 क्षेत्रीय जुड़ाव और सहयोग:

- SAARC, BIMSTEC, BBIN (बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल) जैसे मंचों पर साझेदारी।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सागर अर्थव्यवस्था के विकास में साझा दृष्टिकोण।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में चुनौतियाँ

1. भौगोलिक चुनौतियाँ:

- सीमा विवाद:** असम और त्रिपुरा क्षेत्रों में सीमा रेखा निर्धारण को लेकर विवाद।
- अवैध प्रवासन:** बांग्लादेश से बड़ी संख्या में प्रवासियों का भारत आना, जिससे सीमावर्ती राज्यों में सामाजिक-आर्थिक समस्याएँ बढ़ी हैं।

2. आर्थिक चुनौतियाँ:

- गैर-शुल्क बाधाएँ:** लंबी कस्टम प्रक्रियाएँ और प्रशासनिक अड़चनें व्यापार में रुकावट पैदा करती हैं।
- नदी जल बंटवारा:** 54 साझा नदियों के जल बंटवारे पर असहमति, खासकर तीस्ता नदी विवाद।

3. संरचना और संपर्क चुनौतियाँ:

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा:** कमजोर कनेक्टिविटी से आर्थिक संबंधों का विकास बाधित।
- सीमा विवाद:** 6.5 किमी का कोमिला-त्रिपुरा क्षेत्र अब भी अनिर्धारित।

4. सुरक्षा चुनौतियाँ:

- आतंकवाद और उग्रवाद:** भारत में आतंकवादी हमलों के लिए बांग्लादेश आधारित समूहों पर आरोप।
- चीन का प्रभाव:** बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा क्षेत्रों में।

5. ऊर्जा और जल विवाद:

- तीस्ता नदी विवाद:** 2011 के जल समझौते का अब तक लागू न होना।
- फरक्का बैराज विवाद:** गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चिंता।



"जलवायु समझौता: भारत ने पैकेज को अपर्याप्त बताकर खारिज किया" / "Climate deal: India rejects package as inadequate"

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) का 29वां सम्मेलन (COP29) बाकू, अज़रबैजान में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में लगभग 200 देशों ने मिलकर वैश्विक जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए समझौते किए।

- **नया जलवायु वित्त लक्ष्य:** COP29 में एक बड़ा कदम न्यू क्लाइमेट क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस (NCQG) रहा। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2035 तक तीन गुना बढ़ाकर प्रति वर्ष 300 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो पहले 100 अरब डॉलर था।

जलवायु वित्त पैकेज पर भारत का रुख:

भारत ने COP29 (कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज) में विकासशील देशों के लिए प्रस्तावित **300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को खारिज कर दिया**। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1. **आवश्यकताओं के मुकाबले वित्तपोषण अपर्याप्त:**
 - भारत ने कहा कि 300 अरब डॉलर की रकम विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों के मुकाबले काफी कम है।
2. **विकसित देशों की जिम्मेदारी पर सवाल:**
 - भारत के डेलिगेशन ने विकसित देशों पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न करने का आरोप लगाया।
 - भारतीय प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे "महज नजरों का धोखा" करार दिया।
3. **वित्तीय प्रस्ताव पर निराशा:**
 - भारत ने प्रस्ताव को विकासशील देशों के लिए प्रभावी समाधान के रूप में अस्वीकार्य बताया।
4. **जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ठोस कदम की मांग:**
 - भारत ने स्पष्ट किया कि विकासशील देशों को फॉसिल फ्यूल में कमी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए अधिक वित्तीय समर्थन की आवश्यकता है।

COP- 2025: 2025 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2025 में ब्राजील के बेलेम में आयोजित होगा।

वित्तीय सहायता की आवश्यकता क्यों?

- विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से अधिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन किया है, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ।
- इन देशों से उम्मीद की जाती है कि वे विकासशील और निम्न-आय वाले देशों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में मदद करें ताकि वे जलवायु परिवर्तन से निपट सकें।

\$100 बिलियन पैकेज की नाकामी:

- 2009 में विकसित देशों ने \$100 बिलियन जलवायु वित्त पैकेज की घोषणा की।
- 2020 तक इसका केवल 70% लक्ष्य ही पूरा हो सका, और वह भी कर्ज के रूप में दिया गया।

विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक:

- चीन, अमेरिका, भारत, EU27, रूस और ब्राजील ने 2023 में विश्व के सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जक के रूप में योगदान दिया।
- ये देश वैश्विक आबादी का 49.8%, वैश्विक GDP का 63.2%, जीवाश्म ईंधन उपभोग का 64.2%, और GHG उत्सर्जन का 62.7% हिस्सा रखते हैं।

COP क्या है?

COP, यानी "कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज," एक अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन है, जो हर साल संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा आयोजित किया जाता है। यह उन देशों का समूह है जो *यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज* (UNFCCC) नामक अंतरराष्ट्रीय संधि में शामिल हैं।

उद्देश्य:

- इस संधि के तहत सदस्य देश (पार्टियां) जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरनाक मानव-जनित हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्वैच्छिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- सम्मेलन में **जलवायु संकट से निपटने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और स्थायी विकास को बढ़ावा देने** के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं।

पहली COP बैठक (COP1):

- **साल:** 1995
- **स्थान:** बर्लिन, जर्मनी
- इस बैठक में जलवायु परिवर्तन के समाधान की रूपरेखा तैयार की गई और विकसित देशों के लिए अधिक जिम्मेदारियों को लागू करने की शुरुआत हुई।

नवीनतम COP बैठक (COP29):

- **साल:** 2024
- **स्थान:** बाकू, अज़रबैजान
- इस बैठक में 300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज पर चर्चा हुई, जिसे भारत ने विकासशील देशों की जरूरतों के लिए अपर्याप्त बताया।

भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल बैठक / India-EU Energy Panel

हाल ही में ब्रसेल्स में भारत-यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में दोनों पक्षों की ऊर्जा संक्रमण प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई और भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु साझेदारी 2021-2024 के दूसरे चरण की उपलब्धियों की समीक्षा की गई।

बैठक के मुख्य बिंदु:

- तकनीकी सहयोग और 51 गतिविधियां पूरी की गई:**
 - दोनों पक्षों ने 9 क्षेत्रों में विभाजित 51 गतिविधियों में तकनीकी सहयोग के तहत संयुक्त पहल पूरी की।
- ग्रीन हाइड्रोजन सहयोग का स्वाका तैयार :**
 - भारत और ईयू ने ग्रीन हाइड्रोजन नीतियों, प्रौद्योगिकी, और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सहयोग की रूपरेखा बनाई।
- अंतरराष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलनों में भागीदारी :**
 - ईयू और उसके सदस्य देशों ने भारत में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 में हिस्सा लिया।
 - भारत यूरोपीय हाइड्रोजन वीक 2024 का विशेष देश भागीदार बना।
- स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं पर दीर्घकालिक शोध प्रतिबद्धताएं :**
 - भारत-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत स्वच्छ और हरित तकनीकों में संयुक्त अनुसंधान का समर्थन किया गया।
- तीसरे चरण (2025-2028) की कार्य योजना अपनाई गई :**
 - भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी के अगले चरण में पांच प्राथमिक क्षेत्रों पर गहन सहयोग होगा:
 - ग्रीन हाइड्रोजन
 - अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind)
 - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बिजली बाजार एकीकरण
 - ऊर्जा दक्षता और स्मार्ट ग्रिड
 - ऊर्जा और जलवायु कूटनीति
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में ईयू की भागीदारी :**
 - पैनल ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में ईयू और इसके सदस्य देशों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया।
- जी20 और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग पर जोर :**
 - भारत और ईयू ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए जी20 और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई।

भारत-ईयू स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी

परिचय:

- यह साझेदारी 2016 में भारत-ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई थी।
- इसका वित्त पोषण यूरोपीय संघ के पार्टनरशिप इंस्ट्रूमेंट के तहत किया जाता है और इसे भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- इस परियोजना के कार्यान्वयन में PwC इंडिया, NIRAS A/S, EUROCHAMBRES, और Council on Energy, Environment and Water (CEEW) साझेदार हैं।

उद्देश्य:

- स्वच्छ ऊर्जा और पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में सहयोग को मजबूत करना।
- जलवायु अनुकूल ऊर्जा स्रोतों, जैसे सौर और पवन ऊर्जा, को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency - EE), नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy - RE), और जलवायु परिवर्तन (Climate Change - CC) पर ध्यान केंद्रित करना।

प्रमुख क्षेत्र:

1. ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency):

- ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ECBC):** ऊर्जा कुशल इमारतों को बढ़ावा देना।
- Nearly Zero Energy Building (nZEB):** ऊर्जा की खपत को न्यूनतम स्तर तक लाना।

2. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy):

- लार्ज-स्केल सोलर पीवी:** बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन।
- सोलर पीवी रूफटॉप:** छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind):** समुद्री क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन।
- ऊर्जा भंडारण (Energy Storage):** ऊर्जा संग्रहण के लिए नई तकनीकों का विकास।
- ग्रीन हाइड्रोजन: स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का भविष्य।

3. जलवायु परिवर्तन (Climate Change):

- अनुकूलन (Adaptation):** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की तैयारी।
- शमन (Mitigation):** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी।
- कूलिंग और कोल्ड-चेन:** ताप प्रबंधन और ठंडी आपूर्ति श्रृंखला के लिए उपाय।
- ज्ञान प्रबंधन (Knowledge Management):** जलवायु और ऊर्जा पर शोध और डेटा साझा करना।

4. अन्य क्षेत्र:

- स्मार्ट ग्रिड:** उन्नत ऊर्जा वितरण प्रणाली।
- सतत वित्त (Sustainable Finance):** स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।



वैश्विक प्लास्टिक संधि: विश्व की आवश्यकता / A Global Plastic Treaty: A Necessity for the World

दक्षिण कोरिया के बुसान में 170 से अधिक देश वैश्विक प्लास्टिक और समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए वैधानिक समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। यह पांचवां और अंतिम दौर है, जिसका लक्ष्य 2024 तक इस समझौते को अंतिम रूप देना है।

प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रयास

पृष्ठभूमि:

- प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करने का प्रस्ताव (2022):**
 - संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया।
- अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC) की स्थापना:**
 - INC को एक वैधानिक वैश्विक संधि तैयार करने का दायित्व सौंपा गया, जिसका उद्देश्य सभी देशों में प्लास्टिक उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना है।
- वैश्विक प्लास्टिक संधि (Global Plastics Treaty):**
 - 2022 में, 175 देशों ने 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर एक बाध्यकारी समझौता विकसित करने पर सहमति जताई, ताकि प्लास्टिक उत्पादन, उपयोग और निपटान से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाई जा सके।

प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक संधि की आवश्यकता-

1. जलवायु पर प्रभाव:

- प्लास्टिक उत्पादन से वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 3.6% उत्पन्न होता है।
- इसका अधिकांश उत्सर्जन उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होता है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है।

2. तेजी से बढ़ता प्लास्टिक उत्पादन:

- 2000 में वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन 234 मिलियन टन था, जो 2019 में बढ़कर 460 मिलियन टन हो गया।
- अनुमान है कि यह 2040 तक 700 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।
- एशिया इस उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा बनाता है।

3. प्लास्टिक कचरे की समस्या:

- हर साल 400 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो 2050 तक 62% बढ़ने की संभावना है।
- केवल 10% प्लास्टिक का ही रीसाइक्लिंग होता है, जबकि शेष कचरा नदियों और महासागरों में जाकर माइक्रोप्लास्टिक में बदल जाता है।
- यह समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4. मानव स्वास्थ्य पर खतरा:

- प्लास्टिक में मौजूद रसायन हार्मोन को बाधित करते हैं और कैंसर, मधुमेह, प्रजनन विकार और मस्तिष्क विकास समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

5. भारत का योगदान:

- भारत दुनिया के कुल प्लास्टिक कचरे में 20% योगदान देता है।
- हर साल भारत से 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक उत्सर्जन होता है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि पर भारत का दृष्टिकोण-

1. प्लास्टिक उत्पादन पर प्रतिबंध का विरोध:

- भारत पॉलीमर उत्पादन पर सीमाओं का विरोध करता है, इसे UNEA 2022 के प्रस्ताव के दायरे से बाहर मानता है।

2. वित्तीय और तकनीकी सहायता की मांग:

- भारत संधि में वित्तीय मदद, तकनीकी सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अनिवार्य बनाने पर जोर देता है।

3. हानिकारक रसायनों का नियमन:

- प्लास्टिक में उपयोग होने वाले हानिकारक रसायनों पर निर्णय वैज्ञानिक आधार पर हो और इसका नियमन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए।

4. प्लास्टिक उपयोग समाप्ति पर व्यावहारिक दृष्टिकोण:

- 2022 में भारत ने 19 श्रेणियों के सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया।
- भारत मानता है कि संधि में चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक समाप्ति का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।

5. सुरक्षित कचरा प्रबंधन की आवश्यकता:

- भारत वैज्ञानिक और सुरक्षित कचरा प्रबंधन के लिए संरचना आकलन, वित्तीय आवश्यकताओं और स्थिर फंडिंग के लिए तंत्र की मांग करता है।

तेलंगाना सीआईआई के साथ संयुक्त परामर्श समिति की स्थापना करेगा / Telangana to Establish Joint Consultative Committee with CII

तेलंगाना सरकार भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ उद्योगों पर एक संयुक्त सलाहकार समिति के गठन और वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC), आईटी और उद्योगों पर नई नीतियों को लागू करने पर विचार कर रही है।

- इस समिति का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करना है।

जीसीसी नीति (GCC Policy)

तेलंगाना सरकार जल्द ही **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC)** के लिए एक नई नीति जारी करेगी। इस नीति का उद्देश्य हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित करना।

प्रमुख बिंदु:

1. मुख्य उद्देश्य:

- हैदराबाद को वैश्विक कंपनियों के लिए आकर्षक केंद्र बनाना।
- जीवन विज्ञान (Life Sciences) और **बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, और बीमा (BFSI)** जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।

2. फायदे:

- अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए राज्य की संभावनाओं को बढ़ावा देना।
- उद्योगों में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना।

3. नई नीतियां:

- जीसीसी नीति के साथ-साथ **नई आईटी और उद्योग नीतियां** भी तैयार की जा रही हैं।
- ये नीतियां राज्य के औद्योगिक परिदृश्य की बदलती जरूरतों को पूरा करेंगी।

संयुक्त सलाहकार समिति का गठन (Constitution of a Joint Consultative Committee):

मुख्य बिंदु:

1. समिति की संरचना:

- इसमें **उद्योगों के विशेष मुख्य सचिव** और **CII के नेता** शामिल होंगे।

2. प्रेरणा: यह समिति **केरल के सफल मॉडल** पर आधारित होगी।

3. उद्देश्य:

- औद्योगिक मुद्दों का प्रभावी समाधान करना।
- उद्योगों के विकास में सहयोग बढ़ाना।

सरकार की नई पहलें

प्रमुख बिंदु:

- एमएसएमई नीति:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए नई नीति लागू।
- यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत **यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी** की स्थापना।
- स्वाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर ध्यान:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए **स्वाद्य प्रसंस्करण उद्योग** को बढ़ावा।

तेलंगाना: एक परिचय

तेलंगाना, भारत का 29वां राज्य, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। यह राज्य आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर बना है। 'तेलंगाना' शब्द का अर्थ है 'तेलुगू भाषियों की भूमि'। यह क्षेत्र पहले स्वतंत्र भारत के हैदराबाद रियासत का हिस्सा था, जो 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय हुआ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

1. राज्य निर्माण का संघर्ष:

- अलग तेलंगाना राज्य बनाने के लिए लंबे समय तक आंदोलन और प्रयास किए गए।
- 18 फरवरी 2014 को तेलंगाना विधेयक लोकसभा में पारित हुआ और 20 फरवरी 2014 को राज्यसभा से भी मंजूरी मिली।
- राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बन गया।

2. संयुक्त राजधानी:

- हैदराबाद को 10 वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी घोषित किया गया।

जनसंख्या और भाषा:

1. धार्मिक जनसंख्या:

- 84% हिन्दू
- 12.4% मुस्लिम
- 3.2% सिक्ख, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायी।

2. भाषाई विविधता:

- 76% लोग तेलुगू बोलते हैं।
- 12% लोग उर्दू और शेष 12% अन्य भाषाएं बोलते हैं।

वर्तमान नेतृत्व:

- मुख्यमंत्री:** अनमुला रेवंत रेड्डी (पदभार: 7 दिसंबर 2023)
- राज्यपाल:** श्री जिष्णु देव वर्मा

तेलंगाना का महत्व:

- तेलंगाना, भारत का एक प्रमुख सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई विविधता वाला राज्य है।
- यह राज्य अपने ऐतिहासिक स्मारकों, चारमीनार, गोलकोंडा किला और रामोजी फिल्म सिटी जैसे स्थलों के लिए प्रसिद्ध है।
- हैदराबाद, राज्य की राजधानी, आईटी और फार्मा उद्योगों का प्रमुख केंद्र है।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) की कार्यान्वयन स्थिति / Implementation Status of Trade and Economic Partnership Agreement (TEPA)

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव, श्री सुनील बर्धवाल, ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नॉर्वे का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) को मजबूत करना, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए EFTA देशों के बड़े बाजार को खोलना और \$100 अरब के निवेश को जल्द लागू करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना था।

व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) के बारे में-

- **हस्ताक्षर:** TEPA को मार्च 2024 में भारत और चार EFTA देशों - आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के बीच हस्ताक्षरित किया गया।
- **EFTA की पेशकश:**
 - 92.2% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट प्रदान करता है।
 - भारत के 99.6% निर्यात को कवर करता है।
 - 100% गैर-कृषि उत्पादों के लिए बाजार तक पहुंच और प्रोसेस कृषि उत्पादों (PAP) पर टैरिफ रियायतें शामिल हैं।
- **भारत की पेशकश:**
 - 82.7% टैरिफ लाइनों पर शुल्क छूट प्रदान करता है।
 - EFTA के 95.3% निर्यात को कवर करता है।
- **सेवाओं में समझौते:**
 - भारत ने EFTA को 105 उप-क्षेत्रों की पेशकश की है और नॉर्वे से 114 उप-क्षेत्रों में प्रतिबद्धताएं प्राप्त की हैं।
 - TEPA भारत के सेवा निर्यात को बढ़ावा देगा, खासकर IT सेवाएं, व्यावसायिक सेवाएं, व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजन सेवाएं, अन्य शैक्षिक सेवाएं, और ऑडियो-विजुअल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में।
 - **EFTA द्वारा सेवाएं:**
 - डिजिटल माध्यम से सेवाओं की बेहतर पहुंच (Mode 1)।
 - वाणिज्यिक उपस्थिति (Mode 3) में सुधार।
 - प्रमुख कर्मियों के प्रवेश और अस्थायी प्रवास (Mode 4) के लिए प्रतिबद्धताओं और निश्चितता में वृद्धि।

TEPA के मुख्य क्षेत्र:

1. **सेवा क्षेत्र (Service Sectors):**
 - TEPA भारत के सेवा निर्यात को बढ़ावा देगा, खासकर IT, व्यावसायिक सेवाओं, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऑडियो-विजुअल सेवाओं में।
 - EFTA निम्नलिखित के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है:
 - डिजिटल सेवाओं का वितरण (Mode 1)।
 - वाणिज्यिक उपस्थिति स्थापित करना (Mode 3)।
 - प्रमुख कर्मियों की आवाजाही और अस्थायी प्रवास (Mode 4)।
2. **निर्माण क्षेत्र पर प्रभाव (Impact on Manufacturing):**
 - TEPA भारत के घरेलू निर्माण को समर्थन देगा, खासकर इन क्षेत्रों में:
 - इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स, और बैंकिंग।
3. **तकनीकी और अनुसंधान सहयोग (Technology and R&D Collaboration):**
 - नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य विज्ञान, सटीक इंजीनियरिंग और नवाचार जैसे क्षेत्रों में उन्नत तकनीकों और सहयोग को प्रोत्साहन।

भारत के लिए संभावित लाभ

- **रोजगार सृजन:** भारत के युवा कार्यबल के लिए सीधे रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
- **कौशल विकास:** व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार।
- **तकनीकी सहयोग:** सटीक इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य विज्ञान और अनुसंधान एवं विकास (R&D) में उन्नति।
- **निर्यात में वृद्धि:** भारत के 99.6% निर्यात को EFTA देशों में बाजार तक पहुंच मिलेगी।
 - \$100 अरब निवेश को प्रोत्साहित करेगा।

दिल्ली प्रदूषण: ग्रेप-4 / Delhi Pollution: Grap-4

हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदूषण में सुधार होने तक दिल्ली में ग्रेप-4 के प्रावधान लागू रहेंगे।

दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति

- **एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI):**
 - दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 318 दर्ज किया गया।
 - यह पिछले दिन के 412 की तुलना में बेहतर है।
 - वायु गुणवत्ता अभी भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
- **पीएम 2.5 का स्तर:**
 - पीएम 2.5 का स्तर 138 पर मापा गया।
 - वाहनों से उत्सर्जन का योगदान 18.1% और पराली जलाने का 19% रहा। पीएम 2.5 का स्तर 138 मापा गया
- **निगरानी केंद्रों का डाटा:**
 - दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों में से किसी ने भी गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज नहीं किया।
 - पिछले दिन 20 निगरानी केंद्रों ने गंभीर स्तर पर वायु गुणवत्ता मापी थी।

AQI क्या है

- **अर्थ:**
 - AQI (Air Quality Index) एक ऐसा पैमाना है, जो हवा में प्रदूषण के स्तर को मापने का काम करता है।
 - यह हवा में मौजूद CO (कार्बन मोनोऑक्साइड), ओजोन, NO2 (नाइट्रोजन डाइऑक्साइड), PM 2.5 और PM 10 जैसे पॉल्यूटेंट्स की मात्रा को शून्य से 500 तक के स्तर पर दर्शाता है।

कैसे काम करता है AQI:

- AQI को एक थर्मामीटर की तरह समझा जा सकता है, जो तापमान की बजाय प्रदूषण को मापता है।
- हवा में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा जितनी अधिक होती है, AQI का स्तर उतना ही अधिक होता है।

उच्च AQI के खतरे:

- 200 से 300 के बीच का AQI खराब माना जाता है।
- 400 से ऊपर का AQI गंभीर स्वास्थ्य खतरे का संकेत देता है।
- राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में AQI 400 के पार जा चुका है, जो हवा की अत्यधिक खराब स्थिति को दर्शाता है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव:

- बढ़ता हुआ AQI केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह गंभीर बीमारियों जैसे सांस की समस्याओं और हृदय रोगों के खतरे का संकेत है।

AQI के स्तर और उनके स्वास्थ्य प्रभाव:

1. **0-50 (Good - अच्छी):**
 - स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित।
2. **51-100 (Satisfactory - संतोषजनक):**
 - मामूली प्रदूषण, संवेदनशील व्यक्तियों को हल्की असुविधा हो सकती है।
3. **101-200 (Moderate - मध्यम):**
 - बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को हल्की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
4. **201-300 (Poor - खराब):**
 - फेफड़े और हृदय रोगों से ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा।
5. **301-400 (Very Poor - बहुत खराब):**
 - सभी लोगों पर स्वास्थ्य प्रभाव, खासकर संवेदनशील समूहों पर।
6. **401-500 (Severe - गंभीर):**
 - स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक; लंबे समय तक संपर्क घातक हो सकता है।

ग्रेप 4 क्या है?

ग्रेप (Graded Response Action Plan) वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक त्वरित उपाय योजना है। जब दिल्ली में वायु गुणवत्ता "गंभीर प्लस" स्तर पर पहुंच जाती है और AQI 450 से ऊपर हो जाता है, तब ग्रेप 4 लागू होता है। इसके तहत:

- डीजल से चलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध।
- आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर ट्रकों का प्रवेश रोकना।
- स्कूलों को बंद करना।
- वर्क फ्रॉम होम का सुझाव देना।

दिल्ली प्रदूषण के प्रमुख कारण:

1. वाहनों से उत्सर्जन
2. निर्माण कार्य
3. पराली जलाना
4. औद्योगिक उत्सर्जन
5. ठंडे मौसम में धुंआ
6. जलवायु परिवर्तन



विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद / Developed India Youth Leadership Dialogue

प्रधानमंत्री ने जनवरी में दिल्ली में 'विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद' (VBYLD) आयोजित करने की घोषणा की, जो स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती के अवसर पर होगा। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं के विकास में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की भूमिका को भी विशेष रूप से रेखांकित किया।

'विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद' (VBYLD): युवा सशक्तिकरण की नई पहल-

- यह संवाद देशभर के उन युवाओं को राजनीति में जोड़ने का प्रयास करेगा जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। यह युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
- इस कार्यक्रम में 2,000 चयनित युवाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ संवाद करेंगे, जिसमें देश की प्रगति के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए जाएंगे। यह भारत के भविष्य के लिए एक ठोस योजना बनाने में सहायक होगा।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC): युवाओं में नेतृत्व और सेवा भावना का विकास-

- **स्थापना और उद्देश्य:**
 - राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की स्थापना 1948 में एच. एन. कुंजरु समिति (1946) की सिफारिश पर, NCC अधिनियम, 1948 के तहत की गई थी।
 - इसका उद्देश्य युवाओं में चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, मित्रता और सेवा भाव विकसित करना है।
- **रक्षा और आपातकालीन योगदान:**
 - NCC का एक उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय रक्षा के प्रति रुचि बढ़ाना और आपातकालीन स्थितियों में सशस्त्र बलों के लिए एक रिजर्व तैयार करना भी है।
- **इतिहास:**
 - NCC का पूर्ववर्ती संगठन यूनिवर्सिटी कोर (1917) था, जो बाद में यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर (UTC) (1920) और फिर यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर (UOTC) (1942) में परिवर्तित हुआ।
- **नेतृत्व और संचालन:**
 - NCC का संचालन लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक सेना अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो दिल्ली स्थित मुख्यालय से इसका नेतृत्व करते हैं।



स्वामी विवेकानंद: प्रेरणा के स्रोत

- **जन्म:** 12 जनवरी 1863 (नरेंद्रनाथ दत्त), कोलकाता के बंगाली कायस्थ परिवार में।
- **गुरु:** रामकृष्ण परमहंस, जिनसे आध्यात्मिक प्रेरणा पाई।
- **योगदान:**
 - हिंदू धर्म, वेदांत और योग का पश्चिमी दुनिया में प्रचार।
 - 1893 शिकागो धर्म महासभा में ऐतिहासिक भाषण, जिसने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई।
- **संस्थाएं:**
 - भारत में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना।
 - अमेरिका में वेदांत सोसाइटी की स्थापना।
- **यात्रा:** पूरे भारत में घूमकर समाज की समस्याओं का अध्ययन और सेवा का संकल्प।
- **समाज सुधारक:** राष्ट्रवाद को बढ़ावा और हिंदू धर्म को वैश्विक पहचान दिलाई।
- **सम्मान:**
 - भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) के रूप में जन्मदिन मनाया जाता है।
 - आधुनिक भारत के महानतम विचारकों और देशभक्त संतों में से एक।

कूनो नेशनल पार्क / Kuno National Park

मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता निर्वा ने शावकों को जन्म दिया है। वन्यजीव अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। निर्वा को 2022 में दक्षिण अफ्रीका से यहां लाया गया था और पिछले कुछ हफ्तों से उसमें गर्भावस्था के संकेत दिखाई दे रहे थे।

कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास परियोजना: वर्तमान स्थिति

पिछले एक वर्ष से कूनो नेशनल पार्क (केएनपी) में 24 चीते - 12 वयस्क और 12 शावक - बाड़ों के अंदर रखे गए हैं। इन्हें पिछले साल 13 अगस्त को बाड़ों में लाया गया था, जब उससे पहले के महीने में तीन वयस्क चीतों की मृत्यु सैप्टिसीमिया (रक्त संक्रमण) के कारण हुई थी। उनकी सर्दियों की घनी खाल के नीचे हुए घावों में कीड़े लगने से यह संक्रमण हुआ था।

चीता पुनर्वास परियोजना:

- इस परियोजना का उद्देश्य चीतों को स्वतंत्र रूप से जंगल में विचरण करने योग्य बनाना था।
- हालांकि, अधिकांश चीते अभी भी संरक्षित बाड़ों में ही हैं और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की अनुमति का इंतजार है।
- अधिकारियों के अनुसार, चीतों को चरणबद्ध तरीके से जंगल में अक्टूबर के अंत से छोड़ा जाना था, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो सकी है।

उपलब्धियां और चुनौतियां:

- पिछले दो वर्षों में केएनपी में भारतीय भूमि पर कुल 12 चीता शावकों का जन्म हुआ है।
- हालांकि, परियोजना को कई झटके भी लगे हैं, जिसमें आठ वयस्क चीते और पांच शावकों की मृत्यु शामिल है।

चीता परियोजना:

- **परियोजना का उद्देश्य:**
चीतों को भारत में फिर से बसाने के लिए 'प्रोजेक्ट चीता' शुरू किया गया। भारत में चीते 1952 में विलुप्त घोषित किए गए थे।
- **प्रारंभिक प्रक्रिया:**
 - चीतों को शुरुआत में कम से कम एक महीने के लिए सुरक्षित बाड़े में रखा जाता है।
 - यह प्रक्रिया उन्हें केंद्रित क्षेत्र से जुड़ने में मदद करती है।

कूनो राष्ट्रीय उद्यान: एक परिचय

स्थान और नामकरण:

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिलों में स्थित है।
- इसका नाम कूनो नदी के नाम पर रखा गया है।

स्थापना और विकास:

- 1981 में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसका प्रारंभिक क्षेत्रफल 344.68 वर्ग किलोमीटर था।
- 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और इसका क्षेत्र 413 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया गया।

पर्यावरणीय महत्व:

- यह खठियार-गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र का हिस्सा है।
- यह वन्यजीव संरक्षण और पुनर्वास के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।

प्रमुख परियोजनाएं:

1. एशियाई शेर पुनर्वास परियोजना:

- 1990 के दशक में इसे एशियाई शेरों के दूसरे आवास के रूप में चुना गया।
- 1998-2003 के बीच 24 गांवों के लगभग 1,650 निवासियों को पुनर्वासित किया गया।
- हालांकि, गुजरात ने शेरों को स्थानांतरित करने का विरोध किया, और यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी।

2. चीता पुनर्वास परियोजना:

- 2009 में इसे भारत में चीतों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया।
- सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों को यहां लाया गया।
- फरवरी 2023 में 12 और चीतों को उद्यान में लाया गया।
- मार्च 2023 में 4 चीता शावकों का जन्म हुआ।

महत्व:

- कूनो राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर और चीता पुनर्वास जैसी परियोजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है।
- यह भारत के वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता बढ़ाने के प्रयासों का प्रमुख हिस्सा है।

AI की तैयारी वाले टॉप-10 देशों में शामिल हुआ भारत / India is included in the top 10 countries prepared for AI

बीसीजी (Boston Consulting Group) की रिपोर्ट में भारत ने AI तैयारियों के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में अपनी जगह बनाई है। यह उपलब्धि देश की बढ़ती विशेषज्ञता और नवाचार को दर्शाती है।

- AI विशेषज्ञों की संख्या में भारत दूसरा स्थान पर है।
- AI अनुसंधान प्रकाशनों में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
- यह रिपोर्ट 73 देशों का मूल्यांकन करती है।
- रिपोर्ट का ध्यान AI के जरिए सार्वजनिक सेवाओं में सुधार पर केंद्रित है।

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का क्षेत्रीय प्रभाव

AI ने भारत के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में AI का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है:

- **व्यवसाय सेवाएं (GDP का 16%):** AI सरकारी कार्यों को अधिक कुशल बनाता है, जिससे संचालन में सुधार होता है।
- **खुदरा (GDP का 10%):** AI आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर बनाता है और कचरे को कम करता है।
- **सार्वजनिक सेवाएं (GDP का 6%):** आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और सेवा वितरण को सुधारने में मदद करता है।
- **कृषि (GDP का 17%):** सटीक खेती (Precision Farming) के माध्यम से AI उत्पादकता में वृद्धि और जोखिम प्रबंधन में सुधार करता है।
- **निर्माण (GDP का 8%):** AI अवसंरचना योजना में सुधार करता है और परियोजनाओं की दक्षता बढ़ाता है।
- **कला और व्यक्तिगत सेवाएं:** AI के माध्यम से सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंधन और अधिक प्रभावी बनता है।

AI अपनाने की चुनौतियां और सिफारिशें

भारत ने AI के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसके पूर्ण उपयोग के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। 70% से अधिक देशों को कौशल विकास और पारिस्थितिकी तंत्र में भागीदारी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। AI की पूरी क्षमता को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें दी गई हैं:

- **बुनियादी ढांचा और अनुसंधान का विकास:** AI अनुसंधान केंद्रों और क्लाउड सुविधाओं की स्थापना की आवश्यकता है।
- **कार्यबल प्रशिक्षण:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि प्रतिभा अंतर को कम किया जा सके।
- **नीतियां और विनियमन:** AI में पूर्वाग्रह को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दिशानिर्देश तैयार किए जाएं।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का महत्व

AI के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public-Private Partnerships - PPPs) का महत्वपूर्ण योगदान है। यह सहयोग नवाचार को बढ़ावा देने, संसाधन साझा करने और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होते हैं।

PPP के फायदे:

- **नवाचार को बढ़ावा मिलता है:** सरकारी और निजी क्षेत्र का सहयोग नए विचारों और तकनीकी विकास को उत्पन्न करता है।
- **संसाधन साझा होते हैं:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर अधिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अधिक प्रभावी परिणाम हासिल कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे में सुधार:** दोनों क्षेत्र मिलकर बुनियादी ढांचे का निर्माण और सुधार करते हैं, जिससे अधिक स्थिरता और विकास होता है।
- **आर्थिक विकास में योगदान:** PPP से विकासशील क्षेत्रों में निवेश बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में मदद मिलती है।

AI के फायदे:

1. **उत्पादकता में वृद्धि:** AI स्वचालन बढ़ाता है, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होता है।
2. **सटीकता:** AI त्रुटियों को कम करता है, जैसे मेडिकल निदान में सटीकता।
3. **समय की बचत:** AI निर्णय जल्दी लेता है, जिससे समय की बचत होती है।
4. **नवाचार:** नए उत्पाद और सेवाएँ विकसित होती हैं।
5. **डेटा एनालिटिक्स:** AI बड़े डेटा का विश्लेषण करके बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

AI के नुकसान:

1. **रोजगार पर असर:** AI से नौकरियाँ घट सकती हैं।
2. **डेटा सुरक्षा खतरा:** AI के जरिए डेटा की गोपनीयता खतरे में आ सकती है।
3. **गलत निर्णय:** कभी-कभी AI गलत निर्णय ले सकता है।
4. **पूर्वाग्रह:** AI में गलत डेटा से पूर्वाग्रह उत्पन्न हो सकता है।
5. **सामाजिक असमानता:** AI के उपयोग से समाज में असमानताएँ बढ़ सकती हैं।

पैन 2.0 परियोजना / PAN 2.0 Project

पैन 2.0 परियोजना को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति से मंजूरी मिली है, जिसमें 1435 करोड़ रुपये की लागत से नागरिकों को मुफ्त QR कोड के साथ नया पैन कार्ड मिलेगा।

1. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने **PAN 2.0 परियोजना** को मंजूरी दी।
2. यह परियोजना आयकर विभाग द्वारा प्रस्तावित की गई है।

PAN 2.0 परियोजना के बारे में

1. **PAN 2.0** मौजूदा PAN/TAN 1.0 सिस्टम को आधुनिक और एकीकृत बनाएगा, जिसमें कोर और नॉन-कोर PAN/TAN गतिविधियों और PAN सत्यापन सेवाओं को जोड़ा जाएगा।
2. **उद्देश्य:** यह परियोजना उन्नत तकनीक का उपयोग करके करदाताओं की पंजीकरण सेवाओं को बेहतर और आसान बनाने के लिए तैयार की गई है। यह करदाताओं को एक सहज और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेगी।

PAN 2.0 परियोजना के फायदे:

- **आसान आवेदन:** लोग अब बहुत ही सरल तरीके से PAN कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- **तेज और सटीक प्रक्रिया:** टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया अब कम समय लेने वाली, आसान और सही होगी, साथ ही नई सुविधाओं से लैस होगी।
- **पर्यावरण संरक्षण:** पूरी प्रक्रिया के डिजिटल होने से कागज की बर्बादी कम होगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी।
- **साइबर सुरक्षा:** यह परियोजना साइबर अपराधों की समस्या को हल करने और बेहतर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

PAN 2.0 परियोजना: नई पहल और सुधार:

- **एकीकृत पहचान संख्या:** PAN, TAN और TIN को एक सिस्टम में लाकर अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
- **उन्नत QR कोड:** नए और मौजूदा PAN कार्ड पर बेहतर QR कोड, वित्तीय लेनदेन को आयकर विभाग से जोड़ेगा। 2017 में पहली बार पेश किए गए QR कोड को अब और प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन और आयकर विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
- **नया डिजिटल पोर्टल:** 20 साल पुराने सॉफ्टवेयर की जगह पेपरलेस और उपयोगकर्ता-अनुकूल पोर्टल शुरू होगा।
- **डेटा सुरक्षा वॉल्ट:** PAN डेटा को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए PAN डेटा वॉल्ट अनिवार्य होगा।
- **तकनीकी सुधार:** करदाता सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ तेज, सरल और सटीक बनाया जाएगा।

PAN 2.0 परियोजना के लाभ-

1. **तेजी से कामकाज:** आवेदन प्रक्रिया और अपडेट तेजी से होंगे, जिससे लोगों को लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
2. **सटीकता और विश्वसनीयता:** केंद्रीकृत डेटाबेस के माध्यम से करदाताओं द्वारा दी गई जानकारी में त्रुटियां और असंगतियां कम होंगी।
3. **मुफ्त PAN अपग्रेड:** मौजूदा PAN उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के नया और उन्नत PAN कार्ड मिलेगा।
4. **पर्यावरण के अनुकूल:** डिजिटल प्रक्रिया से कागज का उपयोग खत्म होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
5. **बेहतर डेटा सुरक्षा:** उन्नत तकनीक से करदाताओं की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा।

PAN 2.0: मौजूदा कार्ड और नई सुविधाएं-

1. **पुराने PAN कार्ड मान्य रहेंगे:** करदाताओं को नया PAN कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी। मौजूदा कार्ड बिना किसी रुकावट के उपयोग किए जा सकेंगे।
2. **डिजिटल बदलाव की ओर कदम:** यह परियोजना तेज प्रोसेसिंग, बेहतर सुरक्षा और सरकारी प्लेटफॉर्मों के साथ आसान एकीकरण को बढ़ावा देती है। PAN अब डिजिटल बिजनेस आइडेंटिफायर की भूमिका निभाएगा।
3. **नए फीचर्स बिना किसी शुल्क के:** QR कोड जैसी नई सुविधाएं सभी PAN उपयोगकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिलेंगी।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' योजना / One Nation, One Subscription: Scheme

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में छात्रों और संस्थानों को 13,000 से अधिक शोध पत्रिकाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है।

योजना की मुख्य बातें:

- बजट आवंटन:** 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
- लाभार्थी:** यह योजना 6,300 संस्थानों और 1.8 करोड़ छात्रों को लाभ पहुंचाएगी।
- उद्देश्य:** शोध को प्रोत्साहित करना और देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का वातावरण तैयार करना।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना:

वन नेशन (भारत) और वन सब्सक्रिप्शन का अर्थ है एक ऐसा सिस्टम, जहां आपको विभिन्न प्लेटफार्मों पर अलग-अलग सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही सब्सक्रिप्शन के जरिए आप सभी जरूरी शैक्षिक सामग्री और सेवाओं तक पहुंच सकेंगे, जिससे आपका अनुभव सरल और समय की बचत वाला होगा।

ONOS योजना के प्रमुख लाभ:

- विस्तृत शैक्षिक संसाधन:** इस योजना के तहत लगभग 13,000 ई-जर्नल्स का एक्सेस मिलेगा, जो 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे। इससे छात्रों और शोधकर्ताओं को एक विशाल शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी।
- लक्षित संस्थान:** ONOS योजना का लाभ 6,300 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों को मिलेगा, जिसमें राज्य और केंद्रीय दोनों प्रकार के संस्थान शामिल हैं।
- डिजिटल और सरल प्रक्रिया:** यह योजना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करना बहुत सरल और उपयोगकर्ता-अनुकूल हो जाएगा।
- केंद्रीय समन्वय:** इस योजना का समन्वय INFLIBNET (Information and Library Network) द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्था संस्थानों की ओर से प्रकाशकों को भुगतान करने का कार्य करेगी।
- बजट आवंटन:** इस योजना के लिए 2025 से 2027 तक ₹6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो सरकार के शैक्षिक संसाधनों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।
- जागरूकता अभियान:** सरकार ONOS योजना के लाभ और उपयोग के बारे में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाएगी।
- एकीकृत और समान पहुंच:** यह योजना विभिन्न सब्सक्रिप्शन मॉडल्स को एकीकृत करेगी, जिससे उन संस्थानों को भी लाभ मिलेगा जो पहले महंगे या सीमित संसाधनों की वजह से गुणवत्तापूर्ण जर्नल्स तक पहुंच नहीं पा रहे थे।
- लॉन्च तिथि:** ONOS योजना 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जो भारत में शैक्षिक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

प्रावधान और पात्रता मापदंड

- पात्र संस्थान:** सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थान इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- जर्नल्स की उपलब्धता:** 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से 13,000 जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध होंगे।
- बजट आवंटन:** 2025-2027 के लिए ₹6,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, और प्रकाशकों को भुगतान INFLIBNET द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाएगा।

'वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन' (ONOS) योजना के लाभ-

- छोटे शहरों के छात्रों के लिए बेहतर शैक्षिक संसाधन:** यह योजना छोटे शहरों (Tier 2 और Tier 3) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करती है, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा मिलती है।
- 13,000 से अधिक जर्नल्स की पहुंच:** छात्रों को 13,000 से अधिक शैक्षिक जर्नल्स तक पहुंच प्राप्त होगी, जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों से होंगे, जिससे वे अपने अध्ययन और अनुसंधान में मदद प्राप्त कर सकेंगे।
- शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच समानता:** यह योजना शहरी और ग्रामीण संस्थानों के बीच अंतर को कम करेगी, जिससे छोटे शहरों के छात्रों को महानगरों के छात्रों जैसी शैक्षिक सुविधाएं मिल सकेंगी।
- नवीनतम विषयों पर शोध:** इस योजना के तहत छात्रों को उभरते हुए विषयों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन पर शोध करने का अवसर मिलेगा।
- उद्यमिता और रोजगार के अवसर:** बेहतर शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता छात्रों को महत्वपूर्ण कौशल सिखाएगी, जो नौकरी के बाजार में मांग में हैं, साथ ही उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा।
- आर्थिक विकास में योगदान:** यह योजना छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करके स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान करेगी, जिससे समग्र रूप से राष्ट्र की प्रगति होगी।
- शैक्षिक परिदृश्य में सुधार:** ONOS योजना शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे भारत भर में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच संभव हो सकेगी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन / National Mission on Natural Farming (NMNF)

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (Natural Farming), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को रासायनिक उर्वरकों का उपयोग छोड़कर प्राकृतिक तरीके से अपनी फसलों की खेती करने में मदद करना है।

- ✓ सरकार ने इस मिशन के लिए ₹2,481 करोड़ का बजट आवंटित किया है, जिससे 1 करोड़ किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और 7,50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया जाएगा।
- ✓ किसानों को शून्य बजट प्राकृतिक खेती (Zero Budget Natural Farming) और अन्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (NMNF) के प्रमुख बिंदु:

1. लक्ष्य:

इस मिशन का उद्देश्य **एक करोड़ किसानों** को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना और उन्हें रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक पद्धतियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना है।

2. क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:

योजना के कार्यान्वयन के लिए **15,000 ग्राम पंचायतों** में **क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण** अपनाया जाएगा, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

3. जैविक इनपुट संसाधन केंद्र (BRCs):

10,000 BRCs स्थापित किए जाएंगे, ताकि किसानों को जैविक इनपुट्स जैसे जैविक खाद और कीटनाशक आसानी से मिल सकें और वे प्राकृतिक खेती को अपनाने में सक्षम हों।

4. मॉडल डेमोस्ट्रेशन फार्म्स:

2000 मॉडल डेमोस्ट्रेशन फार्म्स स्थापित किए जाएंगे, जहां **Krishi Vigyan Kendras (KVKs)** और **Agricultural Universities (AUs)** के साथ-साथ किसानों को प्राकृतिक खेती के अभ्यास सिखाए जाएंगे। इन फार्म्स को **प्रशिक्षित किसान मास्टर ट्रेनर्स** द्वारा समर्थित किया जाएगा।

5. प्रमाणन और बाजार पहुंच:

प्राकृतिक खेती के उत्पादों के लिए **सरल प्रमाणन प्रणाली** और **विशेष ब्रांडिंग** विकसित की जाएगी, ताकि किसानों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच मिल सके।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की आवश्यकता:

1. मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार।
2. कृषि लागत को घटाना।
3. जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के लिए।

प्राकृतिक खेती:

प्राकृतिक खेती एक कृषि पद्धति है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के साथ काम करके फसलों की खेती करती है। इसका उद्देश्य स्थायी और समग्र तरीके से कृषि करना है। यह पद्धति स्थानीय पारंपरिक ज्ञान और कृषि-परिस्थितिकी पर आधारित होती है, जिसमें स्थान-विशेष तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक खेती के प्रमुख सिद्धांत:

1. **कम से कम मिट्टी में हलचल:** मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाता है।
2. **जैविक इनपुट्स का उपयोग:** रासायनिक उर्वरकों के बजाय जैविक खाद और सामग्री का उपयोग किया जाता है।
3. **जैव विविधता और बहुविध कृषि:** विभिन्न प्रकार की फसलों को एक साथ उगाने से पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है।
4. **जल संरक्षण:** पानी का बचाव और प्रबंधन प्राथमिकता होती है, ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो।
5. **प्राकृतिक तरीके से कीटों का नियंत्रण:** कीटनाशकों की बजाय प्राकृतिक तरीकों से कीटों को नियंत्रित किया जाता है।
6. **रासायनिक उर्वरक, खरपतवारनाशक और कीटनाशक का त्याग:** इनकी बजाय प्राकृतिक और जैविक विकल्पों का इस्तेमाल किया जाता है।

प्राकृतिक खेती के लाभ:

- पर्यावरण की रक्षा
- जलवायु परिवर्तन से बचाव
- स्वस्थ और सुरक्षित भोजन
- आर्थिक रूप से लाभकारी

प्राकृतिक खेती की चुनौतियाँ:

- स्थानीय पारिस्थितिकी को समझना
- अधिक श्रम की आवश्यकता
- बाजार की मान्यता की कमी

इसरो द्वारा प्रोबा-3 का प्रक्षेपण / PROBA-3 LAUNCH BY ISRO

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा स्थित अपने लॉन्च केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा-3 मिशन को PSLV रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित करेगा।

प्रोबा-3 मिशन के बारे में-

- विवरण:** प्रोबा-3 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा विकसित एक उन्नत सौर मिशन है।
- लक्ष्य:** इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोनल परत (सूर्य का बाहरी और सबसे गर्म वायुमंडलीय स्तर) का अध्ययन करना है। यह मिशन 4 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- ऑर्बिट और कक्षा:** मिशन को 600 किमी x 60,530 किमी की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसका कक्षा काल 19.7 घंटे होगा।
- विश्व का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइटिंग":** प्रोबा-3 मिशन दुनिया का पहला "प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइटिंग" करेगा, जिसमें दो उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में एक निश्चित संरचना बनाए रखते हुए काम करेंगे।

प्रोबा-3 मिशन पर कौन से उपकरण हैं?

- ASPIICS:** यह उपकरण सूर्य के कोरोना (सूर्य के बाहरी वायुमंडल) का अवलोकन करता है, खासकर सूर्यग्रहण के दौरान।
- DARA:** यह उपकरण सूर्य से निकलने वाली कुल सौर विकिरण को मापता है।
- 3DEES:** यह उपकरण इलेक्ट्रॉन फ्लक्स (इलेक्ट्रॉन की गति और घनत्व) का अध्ययन करता है, जो अंतरिक्ष मौसम को समझने में मदद करता है।

प्रोबा-3 मिशन की विशेषताएँ:

- प्रोबा-3 मिशन में दो उपग्रह शामिल हैं -
 - ऑक्लूटर उपग्रह (200 किलोग्राम):** यह उपग्रह सूर्य पर कृत्रिम सूर्यग्रहण बनाने के लिए छाया डालता है।
 - कोरोनाग्राफ उपग्रह (340 किलोग्राम):** यह उपग्रह सूर्य के कोरोना का अध्ययन करता है और सूर्य के बाहर के वातावरण की तस्वीरें खींचता है।
- सटीक संरेखण:** दोनों उपग्रह एक-दूसरे से लगभग 150 मीटर की दूरी पर समानांतर गति करेंगे और प्रतिदिन 6 घंटे तक सूर्य के कोरोना का निरंतर अवलोकन करेंगे। इस सटीक संरेखण को बनाए रखने के लिए, एक उपग्रह से दूसरे उपग्रह पर लेजर प्रकाश का उपयोग किया जाएगा।
- कृत्रिम सूर्यग्रहण:** प्राकृतिक सूर्यग्रहण केवल 10 मिनट तक होते हैं, लेकिन प्रोबा-3 मिशन में उपग्रह हर दिन 6 घंटे तक सूर्यग्रहण जैसी परिस्थितियाँ प्रदान करेंगे, जो लगभग 50 सूर्यग्रहणों के बराबर है। यह सूर्य के कोरोना का विस्तृत अध्ययन करने में मदद करेगा।
- सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग:** मिशन में एक विशाल सौर कोरोनाग्राफ का उपयोग किया जाएगा, जो सूर्य के प्रकाश को रोककर, सूर्य के कोरोना और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों को सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा।

प्रोबा-3 मिशन भारत के लिए लाभकारी-

- भारत की प्रक्षेपण क्षमता को प्रदर्शित करेगा:** प्रोबा-3 मिशन भारत के PSLV रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष प्रक्षेपण की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
- भारत और ESA के बीच अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देगा:** यह मिशन भारत और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के बीच सहयोग को और विस्तारित करेगा।
- भारतीय वैज्ञानिकों को नए अवसर प्रदान करेगा:** प्रोबा-3 भारत के वैज्ञानिकों को सौर भौतिकी और अंतरिक्ष मौसम के अध्ययन में नए अवसर प्रदान करेगा, जिससे भारत की अंतरिक्ष वैज्ञानिकता को मजबूती मिलेगी।

ISRO के बारे में जानकारी:

- स्थापना:** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से INCOSPAR के रूप में की गई थी।
- मुख्यालय:** ISRO का मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है।
- वर्तमान अध्यक्ष:** ISRO के वर्तमान अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ हैं।
- पहला उपग्रह:** 'आर्यभट्ट' भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया।
- मार्स ऑर्बिटर मिशन:** 5 नवम्बर 2013 को भारत ने मंगल पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया, और ISRO ने भारत को पहला ऐसा देश बनाया जो मंगल पर अपनी पहली कोशिश में सफलता प्राप्त कर पाया।
- वर्ल्ड रिकॉर्ड:** 15 फरवरी 2017 को ISRO ने एक ही रॉकेट (PSLV-C37) से 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया।

मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए संयुक्त राष्ट्र समिति का प्रस्ताव / U.N. COMMITTEE RESOLUTION FOR CRIMES AGAINST HUMANITY

संयुक्त राष्ट्र महासभा की कानूनी समिति ने मानवता के खिलाफ अपराधों को रोकने और दंडित करने के लिए पहली बार एक ऐतिहासिक संधि की बातचीत शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी।

- यह कदम लंबे समय तक चली कड़ी बातचीत के बाद उठाया गया, जिसमें रूस ने उन संशोधनों को वापस ले लिया, जो इस प्रक्रिया को बाधित कर सकते थे।
- इस प्रस्ताव से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है ताकि मानवता के खिलाफ अपराधों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके और अपराधियों को सजा दिलाई जा सके।

U.N. प्रस्ताव: मानवता के खिलाफ अपराध:

- **समर्थन:** इस प्रस्ताव को 98 देशों, जिनमें मेक्सिको और गाम्बिया शामिल हैं, का समर्थन प्राप्त हुआ है।
 - यह प्रस्ताव मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून में मौजूद कमी को दूर करने की आवश्यकता को दर्शाता है, क्योंकि वर्तमान संधियाँ युद्ध अपराध, जातीय सफाया और यातना को ही कवर करती हैं।
- **ICC की भूमिका:** अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) युद्ध अपराध, जातीय सफाया और मानवता के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करता है, लेकिन इसके पास कई देशों में न्यायिक अधिकार (jurisdiction) नहीं है।
- **नई संधि का उद्देश्य:** इस प्रस्तावित संधि का उद्देश्य उन देशों में मानवता के खिलाफ अपराधों को दंडित करना है जो ICC के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- **महत्व:** इस प्रस्ताव को अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह इथियोपिया, सूडान, यूक्रेन, गाजा और म्यांमार जैसे देशों में मानवता के खिलाफ अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक मजबूत पहल है।

मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अलग संधि:

1. **वैश्विक अत्याचार:** संघर्षों और अत्याचारों के बढ़ने के कारण एक अंतरराष्ट्रीय संधि की आवश्यकता है।
2. **ICC की सीमाएँ:** ICC कई देशों में कार्यवाही नहीं कर सकता, एक संधि इसे वैश्विक स्तर पर लागू करेगी।
3. **कानूनी अंतराल:** मौजूदा संधियाँ मानवता के खिलाफ अपराधों को कवर नहीं करतीं, जिससे अपराधी सजा से बच जाते हैं।
4. **व्यापक दायरा:** मानवता के खिलाफ अपराधों में हत्या, बलात्कार, यातना, निर्वासन जैसे अपराध शामिल हैं।
5. **सार्वभौमिक जिम्मेदारी:** संधि से अपराधियों के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं रहेगा, और न्याय सुनिश्चित होगा।

संघर्षों को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानून:

1. **1949 जिनेवा कन्वेंशन:**
 - यह चार अंतरराष्ट्रीय संधियाँ सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवीय सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करती हैं।
 - ये घायल सैनिकों, युद्ध बंदियों, और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं, और मानवीय व्यवहार और गैर-लड़ाई करने वालों के अधिकारों को बनाए रखती हैं।
 - 196 देशों द्वारा अनुमोदित, यह अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की नींव बनाती है और युद्ध के खतरों को सीमित करती है।
2. **जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल (1977):**
 - ये दो प्रोटोकॉल नागरिक संघर्षों और गैर-अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाए गए।
 - इन प्रोटोकॉल का उद्देश्य मानवीय सिद्धांतों को मजबूत करना और युद्ध के दौरान अधिक व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3. **अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (IHL):**
 - इसे युद्ध कानून (LOAC) भी कहा जाता है, जो सशस्त्र संघर्षों में युद्ध की कार्यविधि को नियंत्रित करता है।
 - इसका उद्देश्य उन लोगों की सुरक्षा करना है जो युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं, जैसे नागरिक, चिकित्सा कर्मी, और युद्ध बंदी।
 - यह कानून युद्ध के तरीकों और साधनों को सीमित करता है, ताकि मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित हो और पीड़ाओं को कम किया जा सके।
 - जिनेवा कन्वेंशन और हेग नियम इसके मुख्य आधार हैं।
4. **हेग कन्वेंशन (1899, 1907):**
 - ये कन्वेंशन युद्ध के नियमों और युद्ध अपराधों से संबंधित हैं।
 - इसका ध्यान युद्ध संचालन, बंदियों के उपचार, और नागरिकों तथा सांस्कृतिक संपत्तियों की सुरक्षा पर है।
5. **अंतरराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय (ICC) का विधेयक (1998):**
 - ICC युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, और जातीय सफाया जैसे गंभीर अपराधों के लिए व्यक्तियों को न्याय दिलाने हेतु स्थापित किया गया था।
 - इसका उद्देश्य IHL के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
6. **संयुक्त राष्ट्र चार्टर (1945)**
 - यह चार्टर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग को नियंत्रित करता है।
 - इसमें आक्रामक युद्ध पर प्रतिबंध और आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की गई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जा सके।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 / Global Cooperative Conference 2024

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 2024 ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।

- ✦ **उद्घाटन:** प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2024 ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया।
- ✦ **संयुक्त राष्ट्र की पहल:** पीएम मोदी ने 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' की शुरुआत की।
- ✦ **डाक टिकट विमोचन:** एक विशेष डाक टिकट का विमोचन किया गया।
- ✦ **उपस्थिति:** गृह मंत्री अमित शाह, भूटान के प्रधानमंत्री, फीजी के उप प्रधानमंत्री, और ICA के अध्यक्ष सहित कई अन्य प्रमुख व्यक्तित्व उपस्थित थे।

वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024

स्थान और तिथि: ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 25-30 नवम्बर 2024 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

मुख्य घटनाएँ:

- भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में 'संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025' की शुरुआत करेंगे।
- आईसीए (ICA) के 130 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने इस सम्मेलन में भाग लिया है।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्री इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
- इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन का विषय:

मुख्य विषय: 'सहकारी सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करते हैं'

उप-विषय:

1. नीति और उद्यमिता परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाना
2. सभी के लिए समृद्धि बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को पोषित करना
3. सहकारी पहचान की पुष्टि करना
4. 21वीं सदी में सभी के लिए समृद्धि को साकार करने की दिशा में भविष्य को आकार देना

उद्देश्य:

- सहकारी संस्थाओं की भूमिका को प्रदर्शित करना, जो समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।
- वैश्विक सहकारी विकास के लिए नवोन्मेषी रणनीतियों का पता लगाना।
- संयुक्त राष्ट्र के "अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष-2025" का शुभारंभ करना।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA) के प्रमुख बिंदु:

1. स्थापना और इतिहास:

- ICA की स्थापना 1895 में हुई थी।
- यह दुनिया के सबसे पुराने गैर-सरकारी संगठनों में से एक है।

2. मुख्य उद्देश्य:

- ICA सहकारी संस्थाओं को एकजुट करता है और उनका प्रतिनिधित्व करता है।
- यह सहकारी संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।

3. सहकारी पहचान:

- ICA सहकारी पहचान पर एक बयान का संरक्षक है, जिसमें 10 मूल्यों और 7 सिद्धांतों का उल्लेख है।

4. सदस्य और संरचना:

- ICA के 306 से अधिक सदस्य संगठन हैं, जो 105 देशों से आते हैं।
- सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी संस्थाएं हैं।

5. कार्यालय:

- ICA का केंद्रीय कार्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है।
- इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय अफ्रीका, अमेरिका, एशिया-प्रशांत और यूरोप में हैं।

6. क्षेत्रीय संगठनों का संचालन:

- ICA के पास कृषि, उद्योग, सेवाएं, बैंकिंग, स्वास्थ्य, आवास, और बीमा जैसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय सहकारी संगठन हैं।

अटल नवाचार मिशन / Atal Innovation Mission

केंद्र सरकार ने NITI आयोग (राष्ट्रीय संस्थान फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के तहत अटल नवाचार मिशन (AIM) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 2,750 करोड़ रुपये का बड़ा हुआ बजट आवंटित किया गया है, जिससे AIM 2.0 की शुरुआत की जा रही है। यह मिशन भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को 2028 तक मजबूत करेगा।

अटल नवाचार मिशन 2.0 के बारे में:

- मंत्रालय/विभाग: NITI आयोग
- बजट: ₹2,750 करोड़
- अवधि: 31 मार्च 2028 तक

उद्देश्य: भारत के नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, नवाचार में गुणवत्ता के इनपुट, थ्रूपुट और आउटपुट को सुधारना।

मुख्य विशेषताएँ-

1. इनपुट बढ़ाना (अधिक नवाचारकर्ता और उद्यमियों को लाना):

- **भाषा-संवेदनशील नवाचार कार्यक्रम (LIPI):** तय भाषाओं में नवाचार केंद्र।
- **फ्रंटियर कार्यक्रम:** जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तर-पूर्वी राज्यों और प्रेरणादायक जिलों के लिए योजनाएँ।

2. सफलता दर (थ्रूपुट) में सुधार:

- **मानव संसाधन विकास कार्यक्रम:** प्रशिक्षकों, प्रबंधकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- **डीपटेक रिक्टर:** डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए परीक्षण सुविधाएँ।
- **राज्य नवाचार मिशन (SIM):** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को NITI आयोग की सहायता।
- **अंतरराष्ट्रीय नवाचार सहयोग:** वैश्विक टिकरिंग ओलंपियाड और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियाँ।

3. आउटपुट में सुधार:

- **उद्योग तेज़ी कार्यक्रम:** PPP मोड में उद्योग त्वरक।
- **अटल क्षेत्रीय नवाचार लांचपैड (ASIL):** IDEX जैसे प्लेटफार्मों का निर्माण।

अटल इनोवेशन मिशन 1.0:

1. **अटल टिकरिंग लैब्स (ATL):** 10,000+ लैब्स स्कूलों में स्थापित, छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
2. **अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs):** विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता।
3. **अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर:** हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना।

अटल इनोवेशन मिशन (AIM):

परिचय: अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2016 में NITI आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों में समस्या हल करने की सोच को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों में उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

AIM के प्रमुख कार्यक्रम:

1. अटल टिकरिंग लैब्स (ATLs):

- स्कूलों में स्थापित, जिनका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में नवाचार को बढ़ावा देना।
- छात्रों को 3D प्रिंटिंग जैसे उपकरणों का उपयोग करके रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना।

2. अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AICs):

- व्यापार इनक्यूबेटर्स जो स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, और तकनीकी समर्थन प्रदान करते हैं।
- नवप्रवर्तनशील और युवा उद्यमियों के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण बनाना।

3. अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACICs):

- यह कार्यक्रम विशेष रूप से हाशिये पर रहने वाले क्षेत्रों (Tier 2/3 शहरों, आदिवासी क्षेत्रों) में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- इन क्षेत्रों में समाजिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए नवाचार की संभावना तलाशता है।

4. अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC):

- यह कार्यक्रम उन तकनीकी नवाचारों को समर्थन देता है, जो राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं।
- स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरशिप प्रदान करता है।

5. मेंटर इंडिया:

- AIM के तहत 6,200 से अधिक मेंटर्स को विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ता है, जो उद्यमियों और नवप्रवर्तकों को मार्गदर्शन देते हैं।
- इनमें से अधिकांश मेंटर्स ने अपनी विशेषज्ञता से नवाचार और उद्यमिता को मजबूत किया है।

रियाद डिजाइन कानून संधि / Riyadh Design Law Treaty

भारत ने समावेशी विकास और बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रियाद डिजाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं।

डिजाइन लॉ संधि (DLT) के प्रमुख विशेषताएँ:

- उद्देश्य:** डिजाइन मानकों की सुरक्षा को समान और बेहतर बनाने के लिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- संधि का लागू होना:** संधि को लागू होने के लिए 15 सदस्य देशों की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

- इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण:** डिजाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब डिजाइन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल किया जा सकता है।
- ग्रेस पीरियड:** डिजाइन का खुलासा करने के बाद 12 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, इस दौरान डिजाइन के पंजीकरण की वैधता प्रभावित नहीं होती।
- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा:** यह डिजाइनर्स को कई देशों में अपनी डिजाइन के लिए सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करता है, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- समय सीमा चूकने पर राहत:** यदि आवेदनकर्ता किसी समय सीमा को चूक जाते हैं, तो संधि उन्हें अपने अधिकारों को खोने से बचने के लिए राहत उपाय प्रदान करती है।

डिजाइन लॉ संधि के लाभ:

- सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (SMEs) को लाभ:** डिजाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर, यह छोटे व्यवसायों, स्टार्ट-अप्स और स्वतंत्र डिजाइनर्स को लाभ पहुंचाता है।
- पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण:** डिजाइन पंजीकरण के दौरान पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की रक्षा करता है।
- सुविधाजनक और किफायती प्रक्रिया:** डिजाइन सुरक्षा प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और किफायती बनाता है, जिससे डिजाइनर्स के लिए प्रक्रिया सस्ती और सरल होती है।
- वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा:** समान प्रक्रियाओं के कारण कानूनी निश्चितता मिलती है, जो वैश्विक स्तर पर डिजाइन में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है।
- भारत में डिजाइन नीति:** भारत ने 2007 में राष्ट्रीय डिजाइन नीति को अपनाया, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिलता है। पिछले दस वर्षों में, भारत में डिजाइन पंजीकरण तीन गुना बढ़ गए हैं।



विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के बारे में:

1. स्थापना और स्थान:

यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसे 1967 में WIPO कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था।

2. मिशन:

इसका मिशन एक संतुलित और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) प्रणाली का विकास करना है, जो सभी के लाभ के लिए नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।

3. सदस्य:

WIPO के वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं।

4. वैश्विक नीति मंच:

यह एक वैश्विक नीति मंच प्रदान करता है, जहां सरकारें, अंतरसरकारी संगठन, उद्योग समूह और नागरिक समाज मिलकर बौद्धिक संपदा से जुड़े बदलते मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

5. सदस्यों की बैठकें:

इसके सदस्य राज्य और पर्यवेक्षक नियमित रूप से विभिन्न स्थायी समितियों और कार्य समूहों में मिलते हैं।

✓ इन बैठकों में सदस्य सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में बदलाव और नए नियमों पर चर्चा करते हैं, ताकि यह प्रणाली बदलते समय के साथ मेल खाती रहे और नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती रहे।

26/11 हमलों की 16वीं वर्षगांठ / 16th Anniversary of 26/11 Attacks

26 नवंबर 2008 को हुए मुंबई आतंकवादी हमलों की 16वीं बरसी के अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सहित अनेक नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हमलों में जान गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों की वीरता को याद किया।

26/11 मुंबई हमला:

26/11 मुंबई हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने लश्कर-ए-तैयबा के तहत 26 नवंबर 2008 को मुंबई के प्रमुख स्थानों, जैसे ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, पर हमला किया था। इस आतंकवादी हमले में 166 लोगों की मौत हुई और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह हमला समुद्र के रास्ते हुआ था।

26/11 मुंबई हमले ने भारत की सुरक्षा कमजोरियों को उजागर किया। मुख्य कमजोरियाँ:

- **खुफिया विफलताएँ:** सुरक्षा एजेंसियों के बीच जानकारी का सही समय पर आदान-प्रदान न होना।
- **सामुद्रिक सुरक्षा:** भारत के समुद्री सीमा की सुरक्षा कमजोर थी, आतंकवादी समुद्र के रास्ते पहुंचे थे।
- **संयोजन की कमी:** भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और पुलिस के बीच समन्वय की कमी थी।
- **डिजिटल कमजोरियाँ:** ऑनलाइन कट्टरपंथी प्रचार और समर्थन का मुकाबला करने में असमर्थता।
- **विशेषीकृत प्रशिक्षण की कमी:** सुरक्षा बलों को शहरी आतंकवादी हमलों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं था।
- **धीमी प्रतिक्रिया:** सुरक्षा बलों की देरी से प्रतिक्रिया ने हमलावरों को कई घंटों तक सक्रिय रहने का अवसर दिया।
- **साइबर सुरक्षा की कमी:** हमलावरों ने उपग्रह फोन का उपयोग कर पाकिस्तान से संपर्क बनाए रखा।

26/11 हमले के बाद सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम:

1. समुद्री सुरक्षा सुधार:

- भारतीय नौसेना को समुद्र की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया।
- तटरक्षक बल और समुद्री पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया गया।
- सागर प्रहरी बल की स्थापना की गई और तटीय सुरक्षा अभ्यास नियमित रूप से किए गए।

2. खुफिया समन्वय में सुधार:

- **मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC)** को मजबूत किया गया, जिससे केंद्रीय एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच बेहतर जानकारी साझा की गई।
- आतंकवाद और कट्टरपंथ पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3. संस्थागत उपाय:

- **राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र (NCTC)** की स्थापना की गई, जो आतंकवाद से निपटने के लिए रणनीति तैयार करता है।
- CCTNS प्रणाली और NATGRID प्रणाली को लागू किया गया, जिससे अपराध और आतंकवाद के खिलाफ डेटा साझा किया जा सके।

4. कानूनी सुधार:

- UAPA कानून में संशोधन किया गया, ताकि आतंकवाद के खिलाफ अधिक प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
- **NIA Act, 2008** के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाई गई, जो राज्यों में आतंकवाद के मामलों की जांच करती है।

5. पुलिस बलों का आधुनिकीकरण:

- पुलिस बलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया और आतंकवाद से निपटने के लिए NSG के चार क्षेत्रीय हब बनाए गए।

6. अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- **अमेरिका** ने भारत को वास्तविक समय में जानकारी प्रदान की, जिससे पाकिस्तान पर दबाव डाला जा सका।
- FATF के दबाव में पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया।

भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा बैठक / India-Tanzania Joint Defence Meeting

तीसरी भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) की बैठक 26 नवंबर, 2024 को गोवा में हुई, जिसमें प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग और रक्षा उद्योग सहयोग सहित रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

भारत और तंजानिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बैठक

1. महत्वपूर्ण बैठक:

- 26 नवंबर, 2024 को भारत और तंजानिया के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।
- बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना था।

2. बैठक का मुख्य विषय:

- **ट्रेनिंग साझेदारी:** दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाने पर चर्चा।
- **सर्विस-टू-सर्विस सहयोग:** सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।
- **समुद्री सहयोग:** समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर जोर।
- **रक्षा उद्योग सहयोग:** रक्षा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग बढ़ाना।

3. बैठक की प्रगति और समीक्षा:

- जेडीसीसी (संयुक्त रक्षा सहयोग समिति) की तीसरी बैठक।
- पिछले निर्णयों की प्रगति की समीक्षा और नए क्षेत्रों की पहचान।

4. भारतीय प्रतिनिधिमंडल:

- भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया।
- प्रतिनिधिमंडल में सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

5. तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल:

- तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व थल सेना के कमांडर मेजर जनरल फदिल ओमारी नोडो ने किया।
- तंजानियाई प्रतिनिधिमंडल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और नेवी के समुद्री जहाज आईएनएस हंसा का दौरा करेगा।

6. घनिष्ठ रिश्ते और सहयोग:

- भारत और तंजानिया के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।
- दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए पांच वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया।

7. हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा:

- भारतीय नौसेना प्रमुख ने तंजानिया समेत कई देशों से महासागर विषयक वर्चुअल इंटरएक्शन किया।
- इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग था।

तंजानिया का परिचय:

1. स्थान:

- तंजानिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है।
- उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुर्ंडी और कांगो, दक्षिण में ज़ाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से सीमाएँ साझा करता है।
- पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित है।

2. राजधानी:

- सरकारी राजधानी: डोडोमा (1996 से)।

3. इतिहास:

- तंजानिया का नाम 1964 में तंगानयिका और ज़ांज़ीबार के एकीकरण से आया।
- तंगानयिका और ज़ांज़ीबार का संयुक्त गणराज्य अस्तित्व में आया, जिसका नाम बाद में तंजानिया का संयुक्त गणराज्य रखा गया।

4. शासन:

- तंजानिया एक गणराज्य है।
- **राष्ट्रपति:** सामिया सुलुहू हसन।
- **प्रधानमंत्री:** कासिम माजलीवा।

5. आधिकारिक भाषा:

- स्वाहिली (मुख्य भाषा)।

6. मुद्रा:

- तंजानिया शिलिंग (TZS)।

7. प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन:

- तंजानिया में प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थल जैसे सेरेंगेती नेशनल पार्क और किलिमंजारो पर्वत हैं।

8. आर्थिक महत्व:

- दार-ए-सलाम शहर तंजानिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक केंद्र और बंदरगाह है।

9. संविधान और संस्थाएँ:

- तंजानिया का संविधान और सरकारी संरचना लोकतांत्रिक है, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएँ हैं।

पेन्नार नदी जल विवाद / Pennar river water dispute

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पन्नियार नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद पर बातचीत करने वाली समिति की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। यह मामला न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एस.वी.एन. की पीठ के सामने था।

पन्नियार नदी जल विवाद: मुख्य बिंदु

1. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:

- जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने निर्देश दिया कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद पर हुई बातचीत विफल होने की जानकारी के बाद इस मामले को सुलझाने के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

2. जल शक्ति मंत्रालय की पहल:

- जल शक्ति मंत्रालय ने नदी बेसिन में जल की उपलब्धता का आकलन करने, राज्यों के बीच जल साझा करने के समझौतों की समीक्षा करने और कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों से बातचीत के लिए एक पैनल बनाया।

3. तमिलनाडु की आपत्ति:

- तमिलनाडु ने कर्नाटक के कोलार जिले में मार्कंडेय नदी (जो दक्षिण पेन्नार की सहायक नदी है) पर 0.5 टीएमसीएफटी जल संग्रहण परियोजना का विरोध किया।
- यह परियोजना लगभग 80% पूरी हो चुकी है और इसका उद्देश्य मालूर, बांगारपेट, कोलार और आसपास के 48 गांवों को जल आपूर्ति करना है।
- तमिलनाडु का आरोप है कि यह बांध प्राकृतिक जल प्रवाह को बाधित करेगा, जिससे पन्नियार नदी के निचले इलाकों में पानी की कमी होगी।

4. अदालत में तमिलनाडु की अपील:

- तमिलनाडु ने नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन देकर कर्नाटक को मार्कंडेय नदी पर बांध बनाने से रोकने का निर्देश देने की मांग की।

5. जल विवाद समाधान के लिए ट्रिब्यूनल की मांग:

- तमिलनाडु ने केंद्र से जल विवाद को सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) गठित करने की मांग की।
- केंद्र ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए तैयार है।
- हालांकि, कर्नाटक ने केंद्र से नई वार्ता समिति बनाने का अनुरोध किया।

पेन्नार नदी जल विवाद पर वर्तमान स्थिति:

1. बातचीत का प्रयास (2023 के बाद):

मई 2023 में कर्नाटक में नई सरकार बनने के बाद, कर्नाटक ने पहल करते हुए विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों राज्य बातचीत के रास्ते पर आए।

2. सुप्रीम कोर्ट का आदेश (2024):

जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत एक नई वार्ता समिति का गठन करे। इस समिति का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने के लिए गंभीर प्रयास करना है।

3. तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट में मामला (2018):

- तमिलनाडु ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
- तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक द्वारा नदी पर चेक डैम (छोटे बांध) और अन्य संरचनाओं का निर्माण राज्य के लोगों के लिए नुकसानदायक है।
- तमिलनाडु ने तर्क दिया कि अंतर-राज्यीय नदी का बहता पानी राष्ट्रीय संपत्ति है और किसी एक राज्य का इस पर एकाधिकार नहीं हो सकता।

4. 1892 का समझौता:

- तमिलनाडु ने कहा कि 1892 का समझौता अभी भी वैध और बाध्यकारी है।
- उनके अनुसार, एक नदी में केवल मुख्य धारा ही नहीं बल्कि उसकी सहायक नदियां और जलधाराएं भी शामिल होती हैं, जो सीधे या परोक्ष रूप से नदी में जल का योगदान करती हैं।

ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन पर टैरिफ लगाने की योजना बनाई / Trump plans tariffs on Canada, Mexico,

China

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 जनवरी को पद संभालने के बाद कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ (कर) लगाने की योजना बनाई है। उन्होंने यह कदम **आव्रजन (immigration)** और **मादक पदार्थों की तस्करी (drug trade)** से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाने का प्रस्ताव दिया है।

- डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको से आने वाली सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ और चीन से आयातित वस्तुओं पर 10% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया।

टैरिफ क्या होता है?

टैरिफ का मतलब है आयातित (दूसरे देशों से लाई गई) या निर्यातित (दूसरे देशों को भेजी गई) वस्तुओं पर सरकार द्वारा लगाया गया कर। इसे **आयात शुल्क** या **सीमा शुल्क** भी कहा जाता है।

टैरिफ के मुख्य उद्देश्य:

- देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा:** घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जाता है।
- राजस्व जुटाना:** सरकार इस कर से आय अर्जित करती है।
- विदेशी व्यापार को नियंत्रित करना:** विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर उनका आयात कम किया जा सकता है।

ट्रंप टैरिफ क्यों बढ़ाना चाहते हैं?

डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। इसके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

- अवैध प्रवासी और ड्रग्स की समस्या:**
 - ट्रंप का मानना है कि कनाडा और मैक्सिको अवैध प्रवासियों और ड्रग्स (जैसे फेंटेनाइल) को अमेरिका में भेजने में मदद कर रहे हैं।
 - चीन से भी भारी मात्रा में फेंटेनाइल का अमेरिका में अवैध तरीके से आयात हो रहा है।
- ड्रग्स की वजह से मौतें:**
 - हर साल अमेरिका में लगभग 75,000 मौतें फेंटेनाइल ड्रग के कारण होती हैं।
 - अप्रैल 2024 से अगस्त तक अमेरिकी कस्टम विभाग ने करीब 8900 किलो फेंटेनाइल जब्त किया है।
- पिछले प्रयासों का विफल होना:**
 - ट्रंप ने पहले भी इन देशों को ड्रग्स पर नियंत्रण लगाने को कहा था, लेकिन इन देशों ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

भारत में उच्च आयात शुल्क के प्रभाव और सरकार की नीति:

भारत ने 2014 के बाद से लगभग 3,200 बार आयात शुल्क में वृद्धि की है, जिससे औसत शुल्क **13% से बढ़कर 18%** हो गया है। भारत का आयात शुल्क अब **चीन (7.5%), वियतनाम (9.6%),** और **बांग्लादेश (14.1%)** से भी अधिक है। यह वृद्धि 1990-91 में **125%** से घटाकर **13%** तक लाने की नीति के विपरीत है।

उच्च आयात शुल्क के प्रभाव:

- निर्माण लागत में वृद्धि:** उच्च आयात शुल्क से निर्माण लागत बढ़ जाती है, जिससे भारत की **निर्यात प्रतिस्पर्धा** कमजोर होती है, विशेष रूप से उन देशों के मुकाबले जिनका शुल्क कम है।
- उपभोक्ताओं पर असर:** उच्च शुल्क के कारण **उत्पाद महंगे** हो जाते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को **ऊंची कीमतें** और **सीमित विकल्प** मिलते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल्स सेक्टर में असर:** चीन से आयातित घटकों पर निर्भर **इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल्स** क्षेत्र में लागत बढ़ जाती है, जैसे कि सर्किट बोर्ड और चार्जर पर उच्च शुल्क।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव:** उच्च आयात शुल्क से **वियतनाम, थाईलैंड, और मैक्सिको** जैसे देशों के मुकाबले भारत कम आकर्षक बनता है, क्योंकि इन देशों का शुल्क भारत से कम है।

सरकार की नीति:

भारत सरकार ने आयात शुल्क में पुनर्विचार शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर, मोबाइल फोन घटकों पर आयात शुल्क **15% से घटाकर 10%** कर दिया गया है। इसके अलावा, भारत ने **यूईई** और **ऑस्ट्रेलिया** के साथ व्यापार समझौते किए हैं, और **यूके** से बातचीत चल रही है। यह नीति **वैश्विक व्यापार** में संतुलन बनाने की दिशा में कदम है।

ट्रंप का प्रभाव:

अमेरिकी राष्ट्रपति **डोनाल्ड ट्रंप** ने अपने पहले कार्यकाल में भारत से आयातित स्टील और एल्युमिनियम पर उच्च शुल्क लगाया था, जिसके जवाब में भारत ने **बादाम और सेब** जैसे उत्पादों पर शुल्क लगाया। यदि ट्रंप अपनी नीतियों को लागू करते हैं, तो व्यापार विवादों का खतरा बढ़ सकता है।

भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस संकट / Corneal blindness crisis in India

"भारत में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस संकट" पर एक रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के बढ़ते मामलों को उजागर किया गया है। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और डोनर कॉर्निया की कमी जैसे प्रमुख कारणों पर चर्चा की गई है।

मुख्य बिंदु:

1. मामले:

- भारत में हर साल 20,000 से 25,000 नए मामले सामने आते हैं।
- यह देश में कुल अंधेपन के लगभग 7.5% मामलों का कारण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक है, जहाँ नेत्र देखभाल सेवाओं की कमी है।
- भारत में लगभग 1.2 मिलियन लोग कॉर्नियल अंधापन से प्रभावित हैं।

2. मुख्य कारण और प्रभावित समूह:

- पहले संक्रमणजनित रोग (जैसे केराटाइटिस) प्रमुख कारण थे, लेकिन अब आँखों में चोट और जटिलताएँ मुख्य कारण बन गए हैं।
- विटामिन ए की कमी, खराब स्वच्छता और देरी से चिकित्सा देखभाल इस समस्या को बढ़ाते हैं।
- इसका प्रभाव विशेष रूप से बच्चों और कार्यशील आयु वर्ग के लोगों पर अधिक है।

3. स्वास्थ्य सेवाओं में अंतर:

- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च-गुणवत्ता वाली नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुँच सीमित है।
- चिकित्सा सेवाओं और स्वास्थ्यकर्मियों के पास प्रशिक्षण और संसाधनों की कमी है।
- समय पर देखभाल न मिलने से लोगों को अपरिवर्तनीय कॉर्नियल क्षति होती है।

4. डोनर कॉर्निया की कमी:

- हर साल लगभग 1,00,000 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, लेकिन केवल 25,000-30,000 कॉर्निया ही दान किए जाते हैं।
- यह कमी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इलाज में एक बड़ी बाधा है।

5. नीति सुधार की दिशा:

- भारतीय नीति निर्माताओं ने अंगदान के लिए 'प्रेज़्यूम्ड कंसेंट' मॉडल लागू करने पर विचार किया है।
- इसका उद्देश्य डोनर कॉर्निया की उपलब्धता बढ़ाना और आवश्यक इलाज तक पहुँच में सुधार करना है।

कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या है?

कॉर्नियल ब्लाइंडनेस (Corneal Blindness) तब होती है जब आँख के कॉर्निया (आँख की पारदर्शी परत) में किसी कारण से क्षति या रोग हो जाए। यह स्थिति व्यक्ति की दृष्टि को प्रभावित करती है और गंभीर मामलों में पूरी तरह अंधत्व का कारण बन सकती है।

मुख्य कारण:

1. **चोट:** आँखों में चोट लगने से कॉर्निया प्रभावित हो सकता है।
2. **संक्रमण:** जैसे बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण (केराटाइटिस)।
3. **पोषण की कमी:** विशेष रूप से विटामिन ए की कमी।
4. **अनुचित स्वच्छता:** आँखों की सफाई में लापरवाही।
5. **इलाज में देरी:** समय पर उचित चिकित्सा न मिलना।

कॉर्निया में खराबी के लक्षण:

1. **आँखों में तेज दर्द:** कॉर्निया में किसी समस्या के कारण आँखों में तेज और असहनीय दर्द हो सकता है।
2. **आँखों में खुजली:** आँखों में लगातार खुजली महसूस होना कॉर्निया में संक्रमण या चोट का संकेत हो सकता है।
3. **आँखों का लाल होना:** कॉर्निया में समस्या होने पर आँखें लाल और सूजी हुई दिखाई देती हैं।
4. **आँखों से अधिक पानी आना:** कॉर्निया के प्रभावित होने पर आँखों से अत्यधिक पानी बहने लगता है।

कॉर्निया क्या है?

कॉर्निया आँख की एक पारदर्शी परत होती है, जो आँखों में आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर उसे फोकस करने में मदद करती है। यह आँखों को बाहरी नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने का काम भी करता है।

अगर कॉर्निया में कोई खराबी हो जाए और समय पर इलाज न कराया जाए, तो यह अंधेपन का कारण बन सकता है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 / India Employment Report 2024

हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार की ओर इशारा किया गया है।

भारत रोजगार रिपोर्ट 2024: रोजगार और बेरोजगारी के प्रमुख तथ्य-

1. वैश्विक स्तर पर युवा बेरोजगारी में गिरावट:

2021 में, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 15.6% थी। 2023 तक, यह दर घटकर 13.3% हो गई, जो दुनिया भर में रोजगार के क्षेत्र में सुधार को दर्शाती है।

2. भारत में युवा बेरोजगारी का स्तर:

भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2023-24 के लिए किए गए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार, 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 10.2% थी। यह दर वैश्विक औसत से कम है, जो भारत में रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत देता है।

3. श्रमिक आबादी अनुपात में बढ़ोतरी:

भारत में 2017-18 के दौरान युवा श्रमिक आबादी अनुपात (वर्कर पॉपुलेशन रेशियो) 31.4% था। 2023-24 तक यह आंकड़ा बढ़कर 41.7% हो गया, जो रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि को दिखाता है।

4. औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते अवसर:

2023-24 के दौरान, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में 1.3 करोड़ नए सदस्य शामिल हुए।

इसके अतिरिक्त, सितंबर 2017 से अगस्त 2024 तक कुल 7.03 करोड़ नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े। यह भारत में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार में तेजी से हो रही वृद्धि को दर्शाता है।

भारत सरकार की रोजगार सृजन पहलें:

- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY)
- ग्रामीण आत्मनिर्भरता और प्रशिक्षण संस्थान (RSETIs)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

मानव विकास संस्थान (IHD): एक परिचय

1. स्थापना और उद्देश्य: मानव विकास संस्थान (IHD) भारत का एक प्रमुख शोध संगठन है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य श्रम, रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन और शोध करना है।

2. प्रमुख अनुसंधान क्षेत्र: IHD उन मुद्दों पर शोध करता है जो समाज और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करते हैं, जैसे:

- **अनौपचारिक श्रम:** संगठित क्षेत्र से बाहर काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति।
- **प्रवास (माइग्रेशन):** काम और बेहतर जीवन की तलाश में लोगों के स्थानांतरण का अध्ययन।
- **सामाजिक सुरक्षा (Social Protection):** समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा योजनाएँ।
- **मानव विकास:** शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवन स्तर में सुधार के लिए नीतिगत सुझाव।

3. प्रमुख रिपोर्ट: IHD को उसकी प्रतिष्ठित "इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट" के लिए जाना जाता है। यह रिपोर्ट भारत में मानव विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जानकारी और समाधान प्रस्तुत करती है।

4. साझेदारी और सहयोग: संस्थान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ये सहयोग नीतिगत बदलाव लाने और गरीबी व असमानता को कम करने में सहायक होते हैं।

5. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: IHD शोध और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं और पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है। यह संगठनों और सरकारी एजेंसियों के लिए नीति निर्माण में सहायक विशेषज्ञता प्रदान करता है।

6. सामाजिक न्याय और समानता पर ध्यान: संस्थान सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, और हाशिए पर मौजूद समुदायों के उत्थान के लिए नीतिगत सुझाव देने पर विशेष ध्यान देता है।

7. वैश्विक दृष्टिकोण: IHD वैश्विक स्तर पर श्रम बाजार और सामाजिक विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। इसके शोध और सुझाव विकासशील देशों के लिए भी उपयोगी होते हैं।

फेंगल तूफान / Cyclone Fengal

हाल ही में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा फेंगल तूफान, चक्रवात में बदल गया है और अगले दो दिनों में तमिलनाडु तक पहुंचने की संभावना है।

○ इस दौरान 75-80 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना।

संभावित चक्रवात 'फेंगल' की जानकारी:

- नामकरण और उत्पत्ति:** संभावित चक्रवात 'फेंगल' का नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है।
- ✓ यह बंगाल की खाड़ी से बना है।
- शुरुआत:** यह प्रणाली 21 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर के पास चक्रवाती परिसंचरण के रूप में शुरू हुई।
- अनुमानित मार्ग** यह चक्रवात पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की दिशा में तमिलनाडु और श्रीलंका की ओर बढ़ने की संभावना है, और 26-27 नवंबर के आसपास तट से टकरा सकता है। इसके तट तक पहुँचने से पहले इसकी शक्ति कम होने की संभावना है।
- वर्षा का पूर्वानुमान:** दक्षिणी तमिलनाडु में 25 से 27 नवंबर तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। केरल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम वर्षा हो सकती है।
- पिछले प्रभाव:** यह चक्रवात अक्टूबर 2024 में ओडिशा को प्रभावित करने वाले चक्रवात 'दाना' के बाद बन रहा है।

तूफान का नाम 'फेंगल' और इसका महत्व:

- नामकरण:** सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित तूफान का नाम 'फेंगल' रखा गया है।
- ✓ यह एक अरबी शब्द है, जो सांस्कृतिक पहचान और भाषाई परंपरा का मिश्रण है।
- नामकरण पैनल:** 'फेंगल' नाम वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) के नामकरण पैनल द्वारा स्वीकृत किया गया है।
- ✓ यह नाम क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है।

चक्रवात क्या है?

चक्रवात एक शक्तिशाली वायवीय प्रणाली है, जो कम दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है। यह उत्तर में वामावर्त और दक्षिण में दक्षिणावर्त घूमती है। इसका निर्माण समुद्र के गर्म जल से ऊर्जा लेकर होता है।

चक्रवात कैसे बनते हैं?

- गर्म हवा का ऊपर उठना:** महासागर की गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है, जिससे नीचे कम दबाव क्षेत्र बनता है।
- हवा का बहाव:** आसपास के उच्च दबाव से हवा इस क्षेत्र की ओर बहती है, गर्म होती है, और चक्र बनाने लगती है।
- बादलों का निर्माण:** गर्म हवा लगातार ऊपर उठती है, वाष्पित होती है और बादल बनाती है, जिससे हवा का सिस्टम घूमने लगता है।
- चक्रवात की आँख:** जब हवा तेज़ी से घूमती है, तो केंद्र में "आँख" बनती है, जहाँ मौसम शांत रहता है।
- चक्रवात का बनना:** जब हवा की गति 63 किमी/घंटा हो, तो इसे 'ट्रोपिकल स्टॉर्म' और 119 किमी/घंटा से अधिक पर 'ट्रोपिकल साइक्लोन' कहा जाता है।

चक्रवात का नामकरण (Naming of Cyclones)

- चक्रिय प्रक्रिया:** चक्रवातों का नाम पहले से तय सूची के अनुसार चक्रिय तरीके से रखा जाता है।
- क्षेत्रीय मौसम केंद्र:** दुनिया में 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RSMC) और 5 उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र (TCWC) नामकरण का कार्य करते हैं।
- IMD की भूमिका:** भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए नामकरण और चेतावनी प्रदान करता है।
- सदस्य देश:** IMD, WMO/ESCAP पैनल के तहत 13 देशों को सेवा देता है: बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, और यमन।
- नामों की सूची:** कुल 169 नामों की सूची है, जिसमें प्रत्येक सदस्य देश ने 13 नाम दिए हैं।

बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 / Basic Animal Husbandry Statistics 2024

हाल ही में **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय** ने **बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024** (BAHS) जारी की। इसे **राष्ट्रीय दुग्ध दिवस** (26 नवंबर) के अवसर पर जारी किया गया। यह दिन **डॉ. वर्गोज कुरियन** (भारत में श्वेत क्रांति के जनक) की जयंती मनाए के लिए समर्पित है।

बेसिक एनिमल हसबैंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024: मुख्य बिंदु

1. दूध उत्पादन:

- **2023-24 में कुल उत्पादन:** 239.30 मिलियन टन, जो 2022-23 की तुलना में 3.78% अधिक है।
- **भारत का स्थान:** दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश।
- **शीर्ष राज्य:** उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश।
- **प्रति व्यक्ति उपलब्धता:** 2022-23 में 459 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन।

2. अंडा उत्पादन:

- **2023-24 में कुल उत्पादन:** 142.77 अरब अंडे, 2022-23 की तुलना में 3.18% अधिक।
- **भारत का स्थान:** वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक।
- **शीर्ष राज्य:** आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना।

3. मांस उत्पादन:

- **2023-24 में कुल उत्पादन:** 10.25 मिलियन टन, जो 2022-23 की तुलना में 4.95% अधिक है।
- **शीर्ष राज्य:** पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र।

4. ऊन उत्पादन:

- **2023-24 में कुल उत्पादन:** 33.69 मिलियन किलोग्राम, पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% वृद्धि।
- **शीर्ष राज्य:** राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और गुजरात।

5. पशुधन क्षेत्र की प्रगति:

- **वृद्धि दर (2014-15 से 2022-23):** 7.38% (वार्षिक चक्रवृद्धि दर)।
- **कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) में हिस्सेदारी:** 2014-15 में 24.32% से बढ़कर 2022-23 में 30.38%।
- **21वां पशुधन गणना अभियान:** वर्तमान में चल रहा है, जो पशुधन से जुड़े नए आंकड़े उपलब्ध कराएगा।

पशुपालन: एक परिचय

पशुपालन का मतलब पशुओं को पालना और उनकी नस्ल सुधार करना है, जिससे उनकी गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाया जा सके।

पशुपालन का महत्व

1. **आर्थिक योगदान:** 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में पशुपालन का योगदान 30.19% रहा।
2. **जीविका का साधन:** लगभग 8 करोड़ किसान और भूमिहीन मजदूर इससे अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।
3. **स्वास्थ्य सुरक्षा:** दूध, मांस, अंडे आदि का उत्पादन कर स्वास्थ्य सुरक्षा में मदद करता है।

पशुपालन से जुड़े प्रमुख चुनौतियां:

1. **बढ़ती बीमारियां:** लंपी स्किन डिजीज और फुट एंड माउथ डिजीज जैसी बीमारियां पशुओं को प्रभावित कर रही हैं।
2. **कम उत्पादकता:** देशी नस्लों की उत्पादकता कम है, जिससे पशुपालन की आय सीमित हो जाती है।
3. **टीकाकरण की कमी:** पशुओं में पर्याप्त टीकाकरण नहीं होने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

पशुपालन में सुधार के लिए सरकारी कदम:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM):** देशी गायों की उत्पादकता और नस्ल सुधार के लिए शुरू किया गया।
2. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):** पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, उनके स्वास्थ्य में सुधार, और चारे की व्यवस्था पर ध्यान।
3. **डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास कोष (DIDF):** दूध प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए आधारभूत संरचना को समर्थन।
4. **पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (AHIDF):** डेयरी और मांस प्रसंस्करण में निजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता।
5. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LHDC):** बीमारियों की निगरानी, निदान, और इलाज के लिए कार्यक्रम।
6. **पशु आधार:** पशुओं की बेहतर प्रबंधन और ट्रेकिंग के लिए एक अनोखी पहचान प्रणाली।

SAREX-24: भारतीय तटरक्षक अभ्यास / SAREX-24: Indian Coast Guard Exercise

भारतीय तटरक्षक बल का 11वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास (SAREX-24) 28-29 नवंबर, 2024 को कोच्चि, केरल में आयोजित होगा।

SAREX-24 के मुख्य बिंदु-**1. आयोजन की जानकारी:**

- राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला (SAREX-24) का 11वां संस्करण 28-29 नवंबर, 2024 को कोच्चि, केरल में होगा।
- इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तहत होगा।
- 40 से अधिक अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक इस अभ्यास में भाग लेंगे।

2. थीम:

- थीम है 'क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना।'
- यह भारतीय तटरक्षक बल (ICG) की आपातकालीन स्थिति में मदद के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

3. पहले दिन के कार्यक्रम:

- कार्यशाला, सेमिनार और टेबल-टॉप अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
- इसमें सरकारी एजेंसियों, सशस्त्र बलों, मंत्रालयों और विदेशी प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी।

4. दूसरे दिन के कार्यक्रम:

- कोच्चि के तट पर दो बड़े समुद्री आपातकालीन अभ्यास किए जाएंगे:
 - पहला परिदृश्य:** 500 यात्रियों वाले जहाज में आपात स्थिति का अभ्यास।
 - दूसरा परिदृश्य:** 200 यात्रियों वाले नागरिक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का अभ्यास।
- नई तकनीकों का प्रदर्शन:**
 - सैटेलाइट डिस्ट्रेस बीकन, ड्रोन से लाइफ बॉय फेंकने, एयर-ड्रॉपेबल लाइफ राफ्ट और रिमोट-कंट्रोल लाइफ बॉय का उपयोग।
- विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय और संचालन क्षमता का परीक्षण।

5. भारतीय तटरक्षक बल की भूमिका:

- ICG को भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) सदस्य देशों के साथ SAR (Search and Rescue) समन्वय के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है।
- ICG को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में SAR गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी भी घोषित किया गया है।

6. प्रधानमंत्री की SAGAR पहल:

- ICG का यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के **SAGAR (Security and Growth for All in the Region)** दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की वैश्विक जिम्मेदारी को मजबूत करता है।

SAREX-24: भारत और विश्व के लिए महत्व-**1. समुद्री सुरक्षा में सुधार:**

- यह अभ्यास भारत को बेहतर खोज और बचाव (SAR) रणनीतियां विकसित करने में मदद करेगा।
- समुद्री संचालन को सुरक्षित और प्रभावी बनाएगा।

2. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा:

- SAREX-24 विभिन्न देशों को एक मंच पर लाएगा।
- समुद्री सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे साझा मुद्दों का समाधान करने में सहयोग बढ़ाएगा।

3. नई तकनीकों का परीक्षण:

- वास्तविक परिदृश्यों पर आधारित अभ्यास के माध्यम से आपदाओं और दुर्घटनाओं से निपटने की नई तकनीकों को परखा और विकसित किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी नवाचार:

- समुद्र अभ्यास में नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- सैटेलाइट डिस्ट्रेस बिकेन्स का उपयोग संचार के लिए होगा।
- ड्रोन आपातकाल में लाइफ बुइज तैनात करेंगे।
- रिमोट-कोण्ट्रोल लाइफ-सेविंग उपकरण भी प्रदर्शित किए जाएंगे।
- इन नवाचारों का उद्देश्य बचाव अभियानों की दक्षता बढ़ाना है।

सामरिक लक्ष्य:

- राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय को बेहतर बनाना।
- पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को मजबूत करना।
- आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय को सुधारना।
- SAREX-24 का उद्देश्य भारत की समुद्री खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना है।

रियांग समुदाय / Reang community

त्रिपुरा सरकार ने सभी भाषाओं के विकास और उनके संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। यह घोषणा तब की गई जब रींग समुदाय, जो भारत के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है, ने अपनी मौखिक भाषा **कौबुरु** (Kaubru) को मान्यता देने की मांग की।

- रींग समुदाय, जिसे ब्रू भी कहा जाता है, ने त्रिपुरा सरकार से **होजागिरी दिवस** पर अवकाश घोषित करने का अनुरोध किया है। **होजागिरी दिवस**: यह रींग समुदाय के पारंपरिक **होजागिरी नृत्य** का उत्सव है।

रींग जनजाति: परिचय-

पहचान और जनसंख्या:

- रींग जनजाति, जिसे स्थानीय रूप से "ब्रू" कहा जाता है, त्रिपुरा में दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, पहले स्थान पर त्रिपुरी कबीला है।
- यह त्रिपुरा में एकमात्र **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- त्रिपुरा के अलावा, रींग समुदाय के लोग मिज़ोरम और असम के कुछ हिस्सों में भी पाए जाते हैं।
- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, उनकी कुल जनसंख्या लगभग 1,88,080 है।

ऐतिहासिक उत्पत्ति:

- ऐसा माना जाता है कि रींग जनजाति ने वर्तमान म्यांमार के शान राज्य से चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स होते हुए दक्षिण त्रिपुरा में कई चरणों में प्रवास किया।
- रींग समुदाय का एक अन्य समूह 18वीं शताब्दी के दौरान असम और मिज़ोरम के रास्ते त्रिपुरा पहुंचा।

आर्थिक गतिविधियां:

- रींग जनजाति परंपरागत रूप से "हुक" या झूम खेती (स्थानांतरित कृषि) करती थी।
- समय के साथ, उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाई हैं।

धार्मिक मान्यताएं:

- त्रिपुरा में अधिकांश रींग समुदाय के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं।

सांस्कृतिक महत्व:

- रींग समुदाय का होजागिरी लोक नृत्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है।

सर्फेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) तकनीक

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने सर्फेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (SHKT) तकनीक को हाइड्रो श्रेणी के तहत मान्यता दी है। यह तकनीक शून्य-उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने और बिजली क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देती है।

मुख्य बिंदु:

- तकनीक की विशेषता:** SHKT प्रवाहित पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है और इसके लिए किसी बांध, बैराज या संरचना की आवश्यकता नहीं होती।
 - पारंपरिक जल विद्युत इकाइयों के विपरीत, इसे शून्य हेड (Zero Head) वाले क्षेत्रों में लगाया जा सकता है।
- लाभ:** यह तकनीक लागत प्रभावी है, जिसमें बिजली उत्पादन का खर्च ₹2-3 प्रति यूनिट है।
 - इसे स्थापित करना आसान और सस्ती प्रक्रिया है।
 - यह क्षेत्रों में भी उपयोगी है जहां ग्रिड की पहुंच सीमित है।
- सतत ऊर्जा का स्रोत:** यह तकनीक भारत के व्यापक जल अवसंरचना जैसे नहरों और हाइड्रोपावर टेलरेस चैनलों का उपयोग कर बड़ी मात्रा में (GW स्तर) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन करने में सक्षम है।
 - यह बिजली क्षेत्र को सतत ऊर्जा उत्पादन में मदद कर सकती है।
- महत्व:** SHKT तकनीक 24x7 नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी।
 - यह ऊर्जा उत्पादकों और खरीदारों दोनों के लिए लाभदायक समाधान प्रदान करती है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority - CEA)

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जो बिजली मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत की गई है।

मुख्य कार्य:

- नीति निर्माण:** बिजली क्षेत्र से संबंधित नीतियों और योजनाओं का मसौदा तैयार करना।
- तकनीकी सलाह:** बिजली उत्पादन, पारेषण, और वितरण के लिए तकनीकी सलाह देना।
- डेटा प्रबंधन:** विद्युत क्षेत्र से जुड़ा डेटा एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और प्रकाशित करना।
- प्रणाली का निगरानी:** बिजली ग्रिड की विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करना।
- विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण:** नई परियोजनाओं की स्वीकृति और उनके कार्यान्वयन की निगरानी।

शुक्र मिशन "शुक्रयान" / Venus mission "Shukrayaan"

अंतरिक्ष विभाग द्वारा लॉन्च किया गया मिशन शुक्रयान, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करेगा, साथ ही इसका सूर्य के साथ होने वाले संपर्क की भी जांच करेगा।

वीनस ऑर्बिटर मिशन (Venus Orbiter Mission - VOM) क्या है?

परिचय:

भारत का पहला वीनस मिशन, "शुक्रयान-1", शुक्र ग्रह के वायुमंडल, सतह और भूगर्भीय विशेषताओं का अध्ययन करेगा। इसमें उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।

लक्ष्य:

1. वीनस की सतह पर होने वाली प्रक्रियाओं और उपसतह संरचना का अध्ययन करना।
2. वीनस के वायुमंडल की संरचना, संघटन और गतिशीलता का अध्ययन करना।
3. सूर्य की हवाओं और वीनस के आयनमंडल के बीच के संपर्क का अन्वेषण करना।

मिशन की मुख्य विशेषताएँ:

- **समयरेखा:** भारत का वीनस मिशन, जिसे पहले 2023 में लॉन्च किया जाना था, अब मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी और वीनस हर 19 महीने में निकटतम आते हैं, इसलिए यह समयरेखा महत्वपूर्ण है।
- **पेलोड:** मिशन में लगभग 100 किलोग्राम वैज्ञानिक पेलोड होंगे। ये पेलोड वीनस के वायुमंडल के तापीय अवस्था, संरचना और विविधताओं का अध्ययन करेंगे, और ग्रह के आयनमंडल में प्रवेश करने वाली उच्च-ऊर्जा कणों का विश्लेषण करेंगे।

प्रक्षेपण प्रक्रिया:

सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में गति प्राप्त करेगा और वीनस की कक्षा में लगभग 140 दिनों में पहुंच जाएगा।

मिशन के पेलोड्स:

- **16 भारतीय पेलोड्स:** इन पेलोड्स का उद्देश्य वीनस के वायुमंडल और सतह के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है।
- **2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड्स (VISWAS और RAVI):** ये पेलोड्स भारत और अन्य देशों के बीच सहयोग के तहत विकसित किए गए हैं।
- **1 अंतर्राष्ट्रीय पेलोड (VIRAL):** यह पेलोड अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय के साथ मिलकर वीनस के अध्ययन में मदद करेगा।

मिशन का महत्व:

1. **वैज्ञानिक अन्वेषण:** सूर्यमंडल के विकास और ग्रहों के वायुमंडल के गतिशीलता को समझने में मदद करेगा।
2. **जलवायु परिवर्तन को समझना:** वीनस का वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 से बना है, इसलिए इसकी संरचना का अध्ययन ग्रीनहाउस प्रभाव और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में सहायक होगा।
3. **अन्य महत्व:** वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के विकास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

मिशन के लिए चुनौतियाँ:

1. **चरम स्थितियाँ:** अत्यधिक तापमान और दबाव, जो अंतरिक्ष यान के घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
2. **क्षारीय वायुमंडल:** वीनस की सतह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल जो स्टील और टाइटेनियम जैसे सामग्रियों को जंग लगा सकते हैं।
3. **अन्य चुनौतियाँ:** कठिन भौतिक परिस्थितियाँ, सौर पैनलों के लिए पर्याप्त सूर्य की रोशनी का अभाव, तकनीकी समस्याएँ आदि।

वीनस पर अन्य देशों द्वारा लॉन्च किए गए मिशन:

1. **अतीत में किए गए मिशन:**
 - संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ (USSR), जापान और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) ने वीनस पर कई मिशन भेजे हैं।
2. **हाल ही में घोषित मिशन:**
 - **NASA:** "DaVinci" (2029 में) और "Veritas" (2031 में) मिशन।
 - **ESA:** "EnVision" मिशन (2030 के दशक की शुरुआत में योजना)।
 - **रूस:** "Venera-D" मिशन (विकसित हो रहा है)।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 / Network Readiness Index (NRI) 2024

भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 में 11 पायदान की बढ़त हासिल करते हुए 49वां स्थान प्राप्त किया है। NRI 2023 में भारत का स्थान 60वां था, जबकि 2024 को जारी रिपोर्ट में यह सुधार हुआ।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024: मुख्य बिंदु-

1. रैंकिंग में सुधार:

- भारत ने 11 स्थान की छलांग लगाई और अब 49वें स्थान पर है (2023 में 60वां स्थान)।
- स्कोर में भी सुधार हुआ: 2023 में 49.93 से 2024 में 53.63।

2. रिपोर्ट का प्रकाशन:

- यह रिपोर्ट पोर्टुगालिस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई, जो वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र अनुसंधान संस्था है।
- 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन 4 स्तंभों (तकनीक, लोग, गवर्नेंस और प्रभाव) और 54 मापदंडों पर किया गया।

3. प्रमुख उपलब्धियां:

- भारत ने इन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया:
 - पहला स्थान: एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन, एआई टैलेंट कंसन्ट्रेशन, आईसीटी सर्विसेज एक्सपोर्ट।
 - दूसरा स्थान: एफटीटीएच/इंटरनेट सब्सक्रिप्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड ट्रैफिक, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ।
 - तीसरा स्थान: घरेलू बाजार पैमाना।
 - चौथा स्थान: टेलीकॉम सेवाओं में वार्षिक निवेश।

4. लोअर-मिडिल इनकम देशों में स्थान:

- वियतनाम के बाद भारत 2वें स्थान पर है।
- रिपोर्ट में भारत की तकनीकी नवाचार और डिजिटल बदलाव में सफलता को सराहा गया।

5. टेलीकॉम क्षेत्र में सुधार:

- टेली-डेंसिटी: पिछले दशक में 75.2% से 84.69%।
- वायरलेस कनेक्शन: 119 करोड़।
- इंटरनेट सब्सक्राइबर्स: 25.1 करोड़ से बढ़कर 94.4 करोड़।
- डिजिटल इंडिया: ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाई।
- स्पेक्ट्रम प्रबंधन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार।

2024 के शीर्ष 5 देश:

1. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
2. सिंगापुर (Singapore)
3. फिनलैंड (Finland)
4. स्वीडन (Sweden)
5. कोरिया गणराज्य (Republic of Korea)

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) के बारे में:

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में देशों को चार ग्रुप में डिवाइड करके इस रैंक को तैयार किया गया है।

कैटेगरी में वर्गीकरण-

1. हाई इनकम कंट्रीज-
2. अपर-मिडिल इनकम कंट्रीज-
3. लो-मिडिल इनकम कंट्रीज-
4. लो इनकम कंट्रीज-

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कैसे कार्य करता है?

- बहुआयामी संरचना: यह एक समग्र (Composite) इंडेक्स है, जो डिजिटल नेटवर्क की प्रगति और प्रभाव का विश्लेषण करता है।

तीन स्तरों पर आधारित प्रक्रिया:

1. प्राथमिक स्तर (Primary Level):

- चार मुख्य स्तंभ:
- तकनीक (Technology): नेटवर्क और डिजिटल तकनीकों का विकास।
- लोग (People): डिजिटल टैलेंट और स्किल्स।
- गवर्नेंस (Governance): नीतियां और साइबर सुरक्षा।
- प्रभाव (Impact): डिजिटल तकनीकों का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव।

2. द्वितीय स्तर (Secondary Level):

- डेटा को चार स्तंभों के माध्यम से एकीकृत और व्यवस्थित किया जाता है।

3. तृतीय स्तर (Tertiary Level):

- इन स्तंभों को 54 सूचकांक (Indicators) में विभाजित किया जाता है।

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 / Global Salary Report 2024-25

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी वैश्विक वेतन रिपोर्ट (2024-25) दुनिया भर में मजदूरी के रुझानों, असमानता, और वास्तविक मजदूरी वृद्धि पर प्रकाश डालती है। यह रिपोर्ट श्रम बाजार की चुनौतियों और समाधान पर विचार-विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

मुख्य निष्कर्ष:

वेतन वृद्धि के रुझान:

- वैश्विक परिदृश्य:** 2022 में गिरावट के बाद, 2023 में वैश्विक वास्तविक मजदूरी वृद्धि में सुधार हुआ।
- क्षेत्रीय रुझान:**
 - तेजी से वृद्धि:** एशिया-प्रशांत, मध्य और पश्चिमी एशिया, और पूर्वी यूरोप।
 - अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ मजदूरी वृद्धि अधिक है।
- भारत का संदर्भ:** लगभग **9.5% भारतीय श्रमिक** कम वेतन वाले श्रमिकों की श्रेणी में आते हैं।

श्रम आय असमानता के रुझान:

- वैश्विक वेतन असमानता:**
 - असमानता में कुल मिलाकर **गिरावट** का रुझान देखा गया।
 - निम्न आय वाले देशों में यह सबसे अधिक है।
 - उच्च आय वाले देशों में असमानता अपेक्षाकृत कम है।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था:**
 - मजदूरी वितरण के निचले स्तर पर महिलाओं और श्रमिकों का अधिक प्रतिनिधित्व।
 - औपचारिक रोजगार सृजन की कमी से अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि।
- श्रम उत्पादकता (1999-2024):** उच्च आय वाले देशों में श्रम उत्पादकता वृद्धि, वास्तविक मजदूरी वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी।

अगे बढ़ने का रास्ता:

- अनुसंधान में वृद्धि:** असमानता के बदलाव को मापने के लिए बेहतर डेटा और सांख्यिकी का उपयोग।
- राष्ट्रीय रणनीतियाँ:**
 - मजदूरी निर्धारण में आर्थिक और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
 - लैंगिक समानता** और **गैर-भेदभाव** को प्राथमिकता दी जाए।
- आय का पुनर्वितरण:**
 - कर और सामाजिक हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से।
 - उत्पादकता बढ़ाने, सभ्य कार्य सुनिश्चित करने और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ अपनाई जाएं।
- पाल्मा अनुपात:** असमानता का एक माप।
 - यह वेतन वितरण के **शीर्ष 10%** और **निचले 40%** के प्रति घंटा वेतन के कुल हिस्से के अनुपात से मापा जाता है।



अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) एक वैश्विक संस्था है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और कार्यस्थल पर बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करना है। ILO के संस्थापक मिशन के अनुसार, "श्रम शांति" समृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। ILO का मानना है कि जब श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है, तब ही सामाजिक और आर्थिक शांति, समृद्धि और प्रगति संभव हो सकती है।

ILO का इतिहास और उद्देश्य:

- स्थापना:** ILO की स्थापना 1919 में वर्सेल्स की संधि के तहत की गई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने का प्रयास था।
- संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा:** 1946 में, ILO संयुक्त राष्ट्र (UN) का एक विशेष एजेंसी बन गया।
- प्रेरणा:** ILO का मानना है कि स्थायी शांति तभी संभव है जब यह **सामाजिक न्याय** पर आधारित हो।

ILO का त्रिपक्षीय ढांचा:

ILO की विशेषता इसकी **त्रिपक्षीय संरचना** है, जिसमें तीन प्रमुख पक्षों की समान भागीदारी होती है:

- श्रमिक (Workers)**
- नियोक्ता (Employers)**
- सरकार (Governments)**

'एकलव्य' ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म/ 'Eklavya' online digital platform

भारतीय सेना ने 'एकलव्य' ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जो आधुनिक और प्रौद्योगिकी-समर्थित सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्लेटफॉर्म सेना के प्रशिक्षण को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और अधिकारियों को आधुनिक युद्ध कौशल और व्यावसायिक विकास के लिए तैयार करने का उद्देश्य रखता है।

एकलव्य की प्रमुख विशेषताएं:**1. विकास और होस्टिंग:**

- सेना प्रशिक्षण कमान मुख्यालय के तत्वाधान में विकसित।
- भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) द्वारा शून्य लागत पर बनाया गया।
- आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया, जिससे यह पूरी तरह से सुरक्षित और स्केलेबल है।

2. एकीकृत आर्किटेक्चर:

- सेना के सभी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों को सहजता से जोड़ने में सक्षम।
- 17 श्रेणी 'ए' प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों द्वारा अब तक **96 पाठ्यक्रम** प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध।

3. पाठ्यक्रम श्रेणियां:

- **प्री-कोर्स प्रिपरेटरी कैम्पस:**
 - ऑफलाइन पाठ्यक्रमों से पहले मूलभूत ज्ञान ऑनलाइन उपलब्ध।
 - उभरते विषयों को जोड़ने के लिए दस्तावेजी पाठ्यक्रमों में अधिक समय उपलब्ध कराना।
- **विशिष्ट असाइनमेंट-संबंधी पाठ्यक्रम:**
 - नियुक्तियों से संबंधित कौशल को कार्यस्थल पर तैनाती से पहले ऑनलाइन सीखने की सुविधा।
 - सूचना युद्ध, वित्तीय योजना, अनुशासन, सतर्कता आदि के लिए उपयोगी।
- **प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट:** रणनीति, नेतृत्व, उभरती प्रौद्योगिकी, पावर राइटिंग और संगठनात्मक व्यवहार पर पाठ्यक्रम।

4. नॉलेज हाईवे:

- खोज योग्य सामग्री जैसे शोध पत्र, पत्रिकाएं और लेख एक ही प्लेटफॉर्म पर।
- सतत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा को बढ़ावा।

5. पंजीकरण की स्वतंत्रता:

- अधिकारी किसी भी समय, सेवा के किसी भी चरण में, अपनी पसंद के पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।
- ऑनलाइन और दस्तावेजी पाठ्यक्रमों के लिए अलग-अलग पंजीकरण की सुविधा।

निष्कर्ष: 'एकलव्य' प्लेटफॉर्म भारतीय सेना को आधुनिक तकनीकी युग में एक कदम आगे ले जाने की दिशा में एक प्रभावशाली प्रयास है। यह प्लेटफॉर्म न केवल प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, बल्कि अधिकारियों को भविष्य के लिए अधिक सक्षम और कुशल बनाएगा।

**एकलव्य के लाभ:****1. प्रशिक्षण में सुधार:**

- आधुनिक युद्ध की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण।
- अधिक समकालीन विषयों को शामिल करने की क्षमता।


2. डोमेन विशेषज्ञता: अधिकारियों को विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त करने और बेहतर नियोजन में मदद।

3. प्रोफेशनल विकास: नेतृत्व, रणनीति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अधिकारी कौशल बढ़ाने में सक्षम होंगे।

4. सतत शिक्षा: सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों और अध्ययन सामग्री तक निरंतर पहुंच।

5. समय और संसाधन की बचत: दस्तावेजी पाठ्यक्रमों को कम करना और ऑनलाइन माध्यम से व्यापक पहुंच।

अमृत 2.0 योजना/ Amrit 2.0 scheme



अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना का उद्देश्य भारतीय शहरों को जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, और आत्मनिर्भरता की दिशा में सक्षम बनाना है। यह मिशन 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत शहरी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए ₹2,99,000 करोड़ के परिस्य के साथ पांच वर्षों में ₹76,760 करोड़ की केंद्रीय भागीदारी का प्रावधान है।

मुख्य लक्ष्य और प्राथमिकताएँ:

- सीवरेज और सेरेज प्रबंधन:** 500 अमृत शहरों में इस क्षेत्र की सार्वभौमिक कवरेज।
- जल निकायों का कायाकल्प:** पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण।
- हरित क्षेत्र और पार्कों का विकास:** शहरी हरित स्थानों को बढ़ावा देना।
- प्रौद्योगिकी उप-मिशन:** जल प्रबंधन में नवीनतम तकनीकों का उपयोग।

परियोजनाओं की प्रगति और फंड आवंटन:

- 8,998 परियोजनाओं की स्वीकृति:** ₹1,89,458.55 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- राज्य जल कार्य योजना (SWAP):** मिशन के तहत परियोजनाओं की योजना और मंजूरी की जिम्मेदारी राज्यों पर है।
- फंड आवंटन और उपयोग:**
 - ₹11,756.13 करोड़ की राशि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई।
 - ₹6,539.45 करोड़ के उपयोग की जानकारी प्राप्त हुई।
 - ₹23,016.30 करोड़ की परियोजनाएँ भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं।
- डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट):** 1,198 परियोजनाएँ डीपीआर चरण में हैं।

परियोजनाओं की श्रेणियाँ और निगरानी:

- लंबी अवधि वाली बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ:** जल प्रबंधन और स्वच्छता को प्राथमिकता।
- निगरानी और मूल्यांकन:**
 - राज्य स्तर पर प्रबंधन:** मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति (SHPS) और तकनीकी समिति (SLTC) का गठन।
 - मिशन की शीर्ष समिति:** समग्र योजना की समीक्षा।
 - स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसी (IRMA):** प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट के आधार पर धनराशि का निर्गमन।
- ऑनलाइन पोर्टल:** प्रगति को ट्रैक करने और डेटा साझा करने के लिए समर्पित पोर्टल।

चुनौतियाँ और समाधान:

- चुनौतियाँ:**
 - धीमी गति से डीपीआर तैयार करना।
 - कुछ राज्यों में स्वीकृत केंद्रीय सहायता का पूरा उपयोग नहीं हो पाना।
- समाधान:**
 - कार्यान्वयन तेज़ करने के लिए मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा और मार्गदर्शन।
 - राज्यों के साथ वेबिनार, कार्यशालाएँ, और क्षेत्रीय निरीक्षण।

ई-कोर्ट परियोजना / E-Courts Project

ई-कोर्ट परियोजना भारत की न्यायपालिका में **डिजिटल परिवर्तन** और न्याय तक **सुलभता** को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। इसे न्याय विभाग और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से लागू किया जा रहा है। यह परियोजना **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना** के तहत न्यायपालिका के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) विकास के लिए तैयार की गई है।

ई-कोर्ट परियोजना का विकास:

1. पहला चरण (2011-2015):

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत: 488 न्यायालय परिसरों और 342 जेलों को जोड़ा गया।
- मूलभूत आईसीटी ढांचा:
 - न्यायालयों में आईसीटी का उपयोग शुरू हुआ।
 - डिजिटल केस रिकॉर्डिंग की सुविधा।

2. दूसरा चरण (2015-2023):

- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों का विस्तार:
 - तालुक स्तर के सभी न्यायालय परिसरों में वीसी उपकरण प्रदान किए गए।
 - 14,443 अदालत कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपकरण।
 - 2,506 वीसी केबिन स्थापित।
- सतर्कता केंद्र सुविधाएं: 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों के बीच सतर्कता केंद्र स्थापित।

3. ई-कोर्ट परियोजना का तीसरा चरण (2023-2027): सितंबर 2023 में ₹7,210 करोड़ के बजटीय परिसर के साथ ई-कोर्ट के चरण III को स्वीकृति प्रदान की गई।

परियोजना का प्रभाव:

- समय और संसाधनों की बचत:** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ और सुलभ बनाया।
- नागरिकों के लिए सशक्तिकरण:** डिजिटल प्लेटफॉर्म ने **पारदर्शिता** बढ़ाई और दूरदराज़ के इलाकों में रहने वालों के लिए न्याय तक पहुंच आसान की।
- सुधारात्मक न्यायिक प्रबंधन:** चरण III के माध्यम से न्यायपालिका में **डिजिटल गवर्नेंस** को सुदृढ़ किया जाएगा।

भविष्य की दृष्टि:

ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप **डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी** बनाना है। चरण III की सफलता से न्यायिक कार्यों में **पारदर्शिता, दक्षता, और नागरिक सहभागिता** में सुधार होगा, जिससे न्यायिक प्रणाली अधिक **विश्वसनीय और उत्तरदायी** बनेगी।



मुख्य विशेषताएँ:

1. डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करना:

- 10,200 प्रतिष्ठानों (500 जेल, 700 जिला सरकारी अस्पताल, 9,000 अदालतों) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना का उन्नयन।
- न्यायपालिका के लिए एक केंद्रीकृत और मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म।

2. सुलभता में सुधार:

- न्यायिक प्रक्रिया को **डिजिटल रूप से सक्षम** बनाना।
- नागरिकों और अधिवक्ताओं के लिए न्याय तक आसान पहुँच।

3. ई-फाइलिंग और केस ट्रैकिंग:

- मुकदमों की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी।
- ई-फाइलिंग और दस्तावेजों का डिजिटल प्रबंधन।

4. समावेशी न्याय प्रणाली: न्यायपालिका को सभी के लिए अधिक **सुलभ, कुशल और पारदर्शी** बनाना।

5. ग्रीन कोर्ट पहल: कागज रहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा।

भारत के चुनाव आयोग को मजबूत बनाना / Strengthening the Election Commission of India

हाल ही में, मतदाताओं के बीच विश्वास बढ़ाने और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह आवश्यकता विशेष रूप से चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **संवैधानिक निकाय:** भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना था।
- **अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार:** चुनाव आयोग का कार्यक्षेत्र केंद्र और राज्य सरकारों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- **शक्तियां और कार्य:** चुनाव आयोग को चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्तियां प्राप्त हैं। यह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों पर जिम्मेदारी रखता है।
- **संरचना:** चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अधिकतम दो चुनाव आयुक्त होते हैं। सभी सदस्य समान शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ कार्य करते हैं।
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसमें विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होते हैं।
- **कार्यकाल और शर्तें:** चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **निष्कासन:** मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही निष्कासित किया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग से संबंधित प्रमुख संवैधानिक लेख:

- **अनुच्छेद 324:** चुनाव आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 325:** यह धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर मतदाता सूची में भेदभाव को निषेध करता है।
- **अनुच्छेद 326:** लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 329:** यह चुनावों में न्यायालयों के हस्तक्षेप को निषेध करता है, केवल निर्वाचन याचिकाओं के मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

चुनाव आयोग में सुधार की आवश्यकता:

1. **चुनाव वित्तपोषण पारदर्शिता:** राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर स्वतंत्र ऑडिट और राज्य वित्तपोषण की व्यवस्था लागू करना।
2. **निष्पक्ष नियुक्ति प्रक्रिया:** चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
3. **अपराधीकरण पर रोक:** गंभीर अपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना।
4. **मतदाता शिक्षा और उम्मीदवारों की पारदर्शिता:** मतदाता को शिक्षा देना और उम्मीदवारों के खुलासों में पारदर्शिता लाना।
5. **धन असमानताओं को सीमित करना:** उम्मीदवारों के व्यय पर कठोर सीमा लागू करना और चुनावी खर्चों का ऑडिट करना।
6. **दलबदल विरोधी कानून में सुधार:** राजनीतिक दलबदल और खरीद-फरोख्त के खिलाफ सख्त दंड लागू करना।



भारत की चुनाव प्रणाली में प्रमुख मुद्दे:

1. **मतदाता मतदान में गिरावट:** जागरूकता की कमी, संस्थागत बाधाएं और राजनीतिक मोहभंग के कारण मतदान में कमी आ रही है।
2. **चुनावी हिंसा:** चुनावों के दौरान हिंसा और धमकियाँ मतदान प्रक्रिया को बाधित करती हैं, खासकर ग्रामीण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में।
3. **गलत सूचना और मीडिया का शोषण:** सोशल मीडिया सहित मीडिया का हेरफेर मतदाताओं को विभाजित करता है और चुनावी परिणामों को प्रभावित करता है।
4. **लैंगिक असमानता:** महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिससे उनके राजनीतिक अधिकारों की हनन होती है।
5. **काले धन का प्रयोग:** अनियमित चुनावी वित्तपोषण के कारण काले धन का प्रभाव बढ़ता है।
6. **राजनीतिक अपराधीकरण:** 2024 के चुनावों में 46% निर्वाचित सदस्य पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
7. **दलबदल:** दलबदल विरोधी कानून के बावजूद राजनीतिक दलबदल की समस्या बनी रहती है।

अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी / Auction of Offshore Mineral Blocks

भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अपतटीय खनिज संसाधनों की खोज को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्रालय ने अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली किस्त शुरू की है। यह कदम भारत के अपतटीय खनिज संसाधनों का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।

अपतटीय खनिज नीलामी के मुख्य विवरण:

- **खनिज ब्लॉक:** इस नीलामी में अरब सागर और अंडमान सागर में फैले 13 खनिज ब्लॉकों को शामिल किया गया है।
- **खनिज के प्रकार और संबंधित क्षेत्र:**
 - **निर्माण रेत:** केरल के तट पर अरब सागर में।
 - **चूना-कीचड़:** गुजरात के तट पर अरब सागर में।
 - **बहुधात्विक पिंड और क्रस्ट:** ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के तट पर अंडमान सागर में।



अपतटीय खनिज या गहरे समुद्र में खनिज:

यह प्रक्रिया समुद्र तल से 200 मीटर या उससे अधिक गहराई पर खनिज भंडार को पुनः प्राप्त करने की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने लगभग छह लाख वर्ग किलोमीटर के अपतटीय क्षेत्र की पहचान की है, जिसमें अपतटीय खनिज की संभावना है।

भारत के लिए अपतटीय खनिज का महत्व:

- भारत के अपतटीय खनिज भंडारों में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और दुर्लभ मृदा तत्व** शामिल हैं, जो विकास के लिए आवश्यक हैं।
- **अपतटीय खनिज से खनिजों की उपलब्धता में वृद्धि होगी**, जिससे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आएगी और आयात पर निर्भरता कम होगी।
- ये खनिज **बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च तकनीक विनिर्माण, और हरित ऊर्जा परिवर्तन** के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अपतटीय खनिज में चुनौतियाँ:

- **निजी भागीदारी का अभाव:** अपतटीय खनिज के क्षेत्र में निवेश और विशेषज्ञता की कमी है।
- **कुशल श्रम और पूंजी की आवश्यकता:** अपतटीय खनिज के लिए अत्यधिक उन्नत तकनीकी कौशल और भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में व्यवधान, आवास का विनाश, और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों की संभावना होती है।

अपतटीय खनिज के लिए उठाए गए कदम:

1. **राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा भंडार (एनजीडीआर) पोर्टल:** जीएसआई द्वारा अन्वेषण डेटा को कवर करने वाला पोर्टल।
2. **गहरे महासागर मिशन:** पॉलीमेटेलिक नोड्यूलस (कई धातुओं से बने खनिजों) का अन्वेषण और निष्कर्षण।
3. **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों का अस्तित्व) नियम, 2024:** अन्वेषण के चरणों, खनिज संसाधनों और भंडारों के वर्गीकरण को परिभाषित करने वाले नियम।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) क्या है?

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) समुद्र के एक ऐसे हिस्से को कहा जाता है जो तटीय देशों के समुद्री क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील (लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला होता है। इसे **संयुक्त राष्ट्र समुद्र के कानून सम्मेलन (UNCLOS)** द्वारा परिभाषित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) की प्रमुख विशेषताएँ:

18. **संसाधनों का दोहन:** EEZ में तटीय राज्य को समुद्र के भीतर के **जीवित (जैसे मछली) और निर्जीव (जैसे खनिज, तेल) संसाधनों का खोज और दोहन** करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।
19. **प्रबंधन और रक्षा:** राज्य को अपने EEZ के भीतर प्राकृतिक संसाधनों के **प्रबंधन और रक्षा** की जिम्मेदारी भी दी जाती है। इसका मतलब है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि संसाधनों का उपयोग स्थिर और जिम्मेदार तरीके से हो।
20. **आधिकारिक सीमा: 200 नॉटिकल मील** तक की यह सीमा एक कानूनी अधिकार क्षेत्र के रूप में समझी जाती है, जिसमें तटीय देश को अनन्य अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत, किसी अन्य देश को बिना अनुमति के इन संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होती।
21. **समुद्री जीवन और मछली पकड़ने का नियंत्रण:** **मछली पकड़ने** और अन्य समुद्री जीवन से संबंधित गतिविधियों पर राज्य को संप्रभु अधिकार मिलते हैं। इसका मतलब है कि तटीय देश को अपनी EEZ में मछली पकड़ने के लिए **अनन्य अधिकार** होते हैं। साथ ही, राज्य इस क्षेत्र में मछली पकड़ने को नियंत्रित कर सकता है।



UPI धोखाधड़ी में वृद्धि Rise in UPI frauds

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 2024 के वित्तीय वर्ष में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों में **85% की वृद्धि** हुई है। वर्ष 2022-23 से लेकर अब तक UPI धोखाधड़ी की 2.7 मिलियन घटनाओं के माध्यम से लगभग **2,100 करोड़ रुपये** का नुकसान हुआ है। यह वृद्धि UPI के उपयोगकर्ताओं की संख्या और कुल लेन-देन में बढ़ोतरी के साथ मेल खाती है।

UPI धोखाधड़ी के प्रकार:

- फ़िशिंग हमले:** यह सबसे आम धोखाधड़ी का तरीका है, जिसमें साइबर अपराधी उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए फ़िशिंग ईमेल और संदेश का इस्तेमाल करते हैं।
- मैलवेयर हमले:** स्मार्टफोन पर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के माध्यम से UPI लेन-देन को खतरे में डालने वाले हमले।
- सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी:** धोखेबाज उपयोगकर्ता के विश्वास का फायदा उठाते हैं और उन्हें जल्दी या भय के आधार पर संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- विशिंग/वायस फ़िशिंग:** यहां धोखेबाज बैंक अधिकारी या UPI सेवा प्रदाता होने का दिखावा करते हुए नकली कॉल करते हैं।

UPI और डिजिटल लेनदेन की वृद्धि:

- वित्त वर्ष 2024 में, UPI ने 200 ट्रिलियन रुपये के कुल मूल्य के साथ **131.12 बिलियन लेन-देन** संसाधित किए हैं। वर्तमान में, UPI का उपयोग **400 मिलियन** से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाता है।
- आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में वित्तीय धोखाधड़ी में **166% की वृद्धि** हो सकती है।

डिजिटल लेन-देन और वित्तीय धोखाधड़ी की चुनौतियाँ:

- साइबर सुरक्षा:** भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी का **मूल्य 1.25 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच चुका है।
- तृतीय पक्ष जोखिम:** इंटरनेट प्लेटफॉर्मों या डिजिटल बैंकिंग समाधानों से उत्पन्न होने वाले जोखिम।
- डिजिटल निरक्षरता:** भारत में शहरी क्षेत्रों में **37.1% लोग इंटरनेट** का उपयोग करने में सक्षम हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या सिर्फ 13% है।
- अन्य चुनौतियाँ:** सीमित डिजिटल अवसंरचना और अंतर-संचालन समस्याएँ भी एक बड़ी चुनौती बनती हैं।

पीएम वाणी योजना (PM-WANI)

पीएम-वाणी योजना भारत में सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है, जो डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। यह खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

पीएम वाणी योजना क्या है?

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफ़ेस (PM-WANI) एक सरकारी पहल है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है। इस योजना के तहत इंटरनेट सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए छोटे और स्थानीय व्यवसायों को वाई-फाई प्रदान करने का अवसर दिया गया है।



PM-WANI नेटवर्क का उपयोग कैसे करें?

उपयोगकर्ता एक ऐप डाउनलोड करते हैं, जो उनके पास उपलब्ध वाई-फाई नेटवर्क को दिखाता है। वे एक हॉटस्पॉट चुन सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। जब तक बैलेंस खत्म नहीं हो जाता, वे सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

PM-WANI इकोसिस्टम: PM-WANI सिस्टम चार प्रमुख घटकों से बना है:

- पब्लिक डेटा ऑफिस (PDO):** वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और इंटरनेट प्रदान करने की जिम्मेदारी।
- पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (PDOA):** PDO के लिए प्राधिकरण और लेखा सेवाएं।
- ऐप प्रदाता:** उपयोगकर्ताओं को आस-पास के वाई-फाई हॉटस्पॉट ढूंढने में मदद करने वाले ऐप्स।
- केंद्रीय रजिस्ट्री:** C-DoT द्वारा प्रबंधित, यह PDO, PDOA और ऐप प्रदाताओं का रिकॉर्ड रखती है।

PM-WANI के लाभ:

- इंटरनेट की पहुँच:** इंटरनेट को सस्ते और अधिक सुलभ बनाने में मदद मिलती है, जिससे देश का डिजिटल विकास तेजी से हो सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच बढ़ाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाकर डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सकता है।
- व्यवसायों का समर्थन:** यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों को वाई-फाई सेवाएं प्रदान करने का अवसर देती है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।
- किफायती इंटरनेट:** यह योजना वंचित वर्गों को सस्ती इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है।

उच्च सागर संधि (BBNJ) High Seas Treaty (BBNJ)

हाल ही में भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2024 को राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौते या उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर किए।

क्या है उच्च सागर?

- उच्च सागर, वे महासागरीय क्षेत्र हैं जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, यानी यह प्रादेशिक जल और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (EEZ) से परे होते हैं।
- यह महासागरीय क्षेत्र समुद्र की सतह का 65% और पृथ्वी का 43% हिस्सा बनाते हैं।
- उच्च समुद्र अंतरराष्ट्रीय जल-क्षेत्र का हिस्सा होते हैं और इनका कोई राष्ट्रीय स्वामित्व नहीं होता, इस कारण इनकी सुरक्षा वैश्विक जिम्मेदारी होती है।

उच्च सागर का महत्व:

- महासागर, 3 अरब लोगों के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत और 90% माल हुलाई के लिए जिम्मेदार हैं।
- यह गहरे समुद्र तल में खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों का भंडार रखते हैं, जो उभरती तकनीकों के लिए आवश्यक होते हैं।
- महासागर 50% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और मानव गतिविधियों से उत्पन्न CO2 का 25% अवशोषित करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS):

- यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो महासागरों और उनके संसाधनों के उपयोग के लिए नियम स्थापित करती है।
- UNCLOS का उद्देश्य समुद्री गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करना है और विवादों का समाधान करना है।
- भारत सहित 169 देशों और यूरोपीय संघ ने UNCLOS पर हस्ताक्षर किए हैं।

उच्च सागर संधि (BBNJ) क्या है?

- यह संधि उच्च समुद्र में सभी मानवीय गतिविधियों को विनियमित करती है ताकि महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और उनके लाभों को देशों के बीच समान रूप से साझा किया जा सके।
- इस संधि का उद्देश्य समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) का सीमांकन, महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रक्रिया शुरू करना है।
- यह संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, जिसे अब तक 105 देशों ने हस्ताक्षरित किया है।

भारत के लिए प्रासंगिकता:

- भारत की नौली अर्थव्यवस्था और समुद्री नीतियों के तहत उच्च सागर संधि का पालन भारत की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान कर सकता है।
- यह भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिति को मजबूत करने में सहायक होगी, विशेषकर "सागर" नीति के तहत जो समुद्र की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देती है।

संधि की चुनौतियाँ:

- उच्च सागर के 1.44% हिस्से को ही संरक्षित किया गया है, जबकि 2030 तक 30% हिस्से को संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- महासागरीय आनुवंशिक संसाधनों पर तकनीकी रूप से उन्नत देशों का एकाधिकार और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े विवाद भी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं।
- छोटे द्वीप देशों और स्थल-रुद्ध देशों में संसाधनों की कमी, और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) की उच्च लागत भी एक बड़ी बाधा है।

रेंगमा नागा जनजाति Rengma Naga Tribe

हाल ही में रेंगमा नागा जनजाति ने नागालैंड के सेमिन्यु आरएसए मैदान में नगाडा उत्सव-सह-मिनी हॉर्नबिल महोत्सव का दो दिवसीय समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस समारोह में जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर, परंपराएँ, और त्योहारों की महत्ता को उजागर किया गया।

रेंगमा नागा जनजाति के बारे में:

1. जातीय समूह और स्थान:

- रेंगमा नागा जनजाति एक तिब्बती-बर्मन जातीय समूह है जो मुख्यतः नागालैंड और असम के कुछ हिस्सों में निवास करती है।
- भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, नागालैंड में रेंगमाओं की जनसंख्या 62,951 है, जबकि असम में यह संख्या लगभग 22,000 है।
- रेंगमा लोग खुद को "नजोंग" या "इंजांग" के नाम से बुलाते हैं।
- ये लोग मंगोलॉयड नस्ल से संबंधित हैं और उनका इतिहास दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है।

2. इतिहास:

- रेंगमा नागा जनजाति का मानना है कि वे दक्षिण-पूर्व एशिया से युन्नान पर्वत श्रृंखलाओं के माध्यम से ऊपरी बर्मा क्षेत्र में बस गए थे।
- रेंगमा समाज में दास प्रथा प्रचलित थी, और दासों को आमतौर पर मेणुगेतेन्यू और इत् साकेसा नामों से जाना जाता था। हालांकि, जब अंग्रेज नागा क्षेत्र में पहुंचे, तो यह प्रथा कम होती जा रही थी, और माना जाता है कि उस समय कोई भी रेंगमा गुलाम नहीं था।

अर्थव्यवस्था:

- रेंगमा जनजाति मुख्यतः कृषक होती है और अपनी जीवनशैली के लिए झूम खेती (शिफ्टिंग कल्चिवेशन) और गीली खेती का अभ्यास करती है।
- धान उनकी मुख्य फसल है, जिसके साथ वे मौसमी फसलों और फल भी उगाते हैं।
- कृषि के अलावा, वे स्थानीय स्तर पर अन्य कुटीर उद्योगों में भी सक्रिय होते हैं।

धर्म और आस्था:

- परंपरागत रूप से रेंगमा लोग अलौकिक प्राणियों और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे।
- वर्तमान में, अधिकांश रेंगमा लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, और उनके धार्मिक जीवन में ईसाई विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका है।

त्योहार:

- रेंगमा जनजाति कई मौसमी त्योहारों का आयोजन करती है, जो उनकी कृषि परंपराओं से संबंधित होते हैं।
- "नगाडा" रेंगमा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जो विशेष रूप से कृषि और उर्वरता से जुड़ा हुआ होता है। इस त्योहार के दौरान जनजाति के लोग विभिन्न पारंपरिक अनुष्ठान, नृत्य, संगीत, और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

ओपेक+ क्या है? What is OPEC+?

हाल ही में, अमेरिकी गैसोलीन स्टॉक आपूर्ति में अप्रत्याशित उछाल और उत्पादन नीति पर ओपेक+ की बैठक में देरी के बाद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं।

WORLD

OPEC Member Countries



ओपेक+ के बारे में:

- यह 22 तेल निर्यातक देशों का समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचा जाए, इसका निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।
- इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करने पर मिलकर काम करना है।
- **उत्पत्ति:** ये राष्ट्र 2016 के अंत में एक समझौते पर पहुंचे थे, "नियमित और टिकाऊ आधार पर ओपेक और गैर-ओपेक उत्पादक देशों के बीच सहयोग के लिए एक ढांचे को संस्थागत बनाने के लिए।"
- इस समूह के मूल में ओपेक (तेल निर्यातक देशों का संगठन) के 12 सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से मध्य पूर्वी और अफ्रीकी देश हैं।
- **सदस्य:** इसमें 12 ओपेक देश तथा अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, रूस, मैक्सिको, मलेशिया, दक्षिण सूडान, सूडान और ओमान शामिल हैं।

ओपेक क्या है?

- यह तेल निर्यातक देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है।
- **गठन:** इसकी स्थापना 1960 में पांच संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी।
- वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं, जिनमें अल्जीरिया, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, लीबिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- **अंगोला ने 1 जनवरी 2024** से अपनी सदस्यता वापस ले ली
- **मुख्यालय:** वियना, ऑस्ट्रिया।

'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024' रिपोर्ट 'State of Tax Justice 2024' report

टैक्स जस्टिस नेटवर्क द्वारा 'स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस 2024' रिपोर्ट ने वैश्विक कर दुरुपयोग से संबंधित चिंताओं और सुधारों पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट कर नुकसान के वित्तीय प्रभावों, जिम्मेदार देशों और संभावित समाधान की दिशा में नीतिगत सिफारिशों को रेखांकित करती है।

रिपोर्ट की मुख्य टिप्पणियाँ:

1. कुल नुकसान:

- वैश्विक कर दुरुपयोग से **492 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का वार्षिक नुकसान।
- इसमें से:
 - **347.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ को विदेश में स्थानांतरित करने से।
 - **144.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का नुकसान धनी व्यक्तियों द्वारा संपत्ति छुपाने के कारण।

2. जिम्मेदार देश:

- वैश्विक कर नुकसान का लगभग **43%** आठ OECD सदस्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजरायल, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, और अमेरिका) के कारण होता है।
- ये देश **संयुक्त राष्ट्र कर समझौते** का विरोध कर रहे हैं।

3. प्रभाव का वितरण:

- **वैश्विक उत्तर** के देश निरपेक्ष रूप से सबसे अधिक कर राजस्व खोते हैं।
- **वैश्विक दक्षिण** के देश अपने कर राजस्व के हिस्से के रूप में अधिक नुकसान सहते हैं।

4. परिणाम:

- सार्वजनिक सेवाओं में कटौती।
- देशों के बीच और भीतर असमानता में वृद्धि।
- घरेलू व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव।

नीतिगत सिफारिशें:

1. संयुक्त राष्ट्र कर सम्मेलन:

- समावेशी वैश्विक कर नियमों की स्थापना के लिए।
- सीमा पार कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए।
- प्रगतिशील कराधान को बढ़ावा देने के लिए।

2. अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग: 2025-2027 तक संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर बातचीत की सिफारिश।

3. अतिरिक्त लाभ और संपत्ति कर:

- आर्थिक असमानता कम करने और समाज में समान योगदान सुनिश्चित करने के लिए।
- एकाधिकार शक्ति को सीमित करने के लिए।

DRDO ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण / DRDO successfully test fired long range hypersonic missile

डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने शनिवार रात लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के तट के पास एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इसे लॉन्च किया गया, और फ्लाइट ट्रेजेक्टरी की ट्रैकिंग के बाद परीक्षण को सफल घोषित किया गया।

मुख्य बिंदु

- ✓ DRDO ने लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- ✓ लॉन्चिंग ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से की गई।
- ✓ मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर से अधिक है।
- ✓ इसकी रफ्तार 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज है।
- ✓ यह मिसाइल हवा, पानी और जमीन से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है।
- ✓ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह भारत के समूह में शामिल करता है।
- ✓ यह परीक्षण भारत की रक्षा क्षमताओं और सैन्य तकनीक में बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है।

हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है?

हाइपरसोनिक का मतलब ऐसी गति से है जो ध्वनि की गति से कम से कम पांच गुना तेज हो (जिसे मैक-5 भी कहते हैं)। यह लगभग एक मील प्रति सेकंड की गति है। इन मिसाइलों की एक और मुख्य विशेषता उनकी मैन्युवरेबिलिटी (दिशा बदलने की क्षमता) है, जो उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल से अलग बनाती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित रास्ते या प्रक्षेपवक्र का पालन करती है।

हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रकार

- ✦ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स (HGV): इन्हें रॉकेट से लॉन्च किया जाता है और यह लक्ष्य तक ग्लाइड (फिसलते हुए) करती हैं।
- ✦ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल (HCM): ये एयर-ब्रीदिंग हाई-स्पीड इंजन या स्कैमजेट्स द्वारा संचालित होती हैं और लक्ष्य को हासिल करने के बाद अपनी गति बनाए रखती हैं।

हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियतें

- ✓ तेज स्पीड और लो ट्रैजेक्टरी: हाइपरसोनिक मिसाइलें तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ान भरती हैं।
इन्हें दुनिया के किसी भी रडार से पकड़ पाना लगभग असंभव है।
- ✓ मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा: दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन्हें मार गिराने में सक्षम नहीं है।
- ✓ भारी हथियार ले जाने की क्षमता: ये मिसाइलें 480 किलोग्राम तक परमाणु या ट्रेडिशनल हथियार ले जा सकती हैं।
परमाणु हथियार रखने वाले देशों के लिए यह बेहद अहम है।
- ✓ घातक प्रभाव: अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को तबाह करने में ये सबसोनिक क्रूज मिसाइलों से अधिक घातक होती हैं।
- ✓ हाई स्पीड के कारण इनका विनाशकारी प्रभाव अधिक होता है।
- ✓ मेनुरेबल टैक्नोलॉजी: हाइपरसोनिक मिसाइलें हवा में रास्ता बदलने में सक्षम हैं।
- ✓ ये चलते-फिरते टारगेट को भी सटीकता से निशाना बना सकती हैं, जिससे बच पाना बेहद कठिन है।

हाइपरसोनिक मिसाइलों के फायदे

लंबी दूरी और तेज़ प्रतिक्रिया:

- ✓ इनसे दूर और सुरक्षित ठिकानों पर मौजूद समय-संवेदनशील लक्ष्यों (जैसे सड़क पर चलने वाले मोबाइल मिसाइल सिस्टम) पर हमला किया जा सकता है।
- ✓ जब अन्य साधन उपलब्ध नहीं हों या उनका उपयोग संभव न हो, तब ये महत्वपूर्ण विकल्प बन जाती हैं।

केवल गतिज ऊर्जा का उपयोग:

- ✓ ये मिसाइलें लक्ष्य को नष्ट करने के लिए केवल अपनी गति से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करती हैं, जिससे जमीन के नीचे बने ठिकानों को भी क्षति पहुंचाई जा सकती है।

कम ऊंचाई पर उड़ान: ये मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, खासकर सतह-आधारित रडार के माध्यम से।

हाइपरसोनिक मिसाइलों की चुनौतियां

इंजीनियरिंग और भौतिकी की कठिनाइयां:

- ✦ इतनी तेज गति के कारण घर्षण और वायुरोधी (एयर रेजिस्टेंस) से अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होती है।
- ✦ इन्हें बेहद सटीकता के साथ नियंत्रित करना आवश्यक है।

संचार प्रणाली में परेशानी:

- ✦ इतनी तेज गति पर मिसाइल को संचालित करने के लिए ऑपरेटर और निर्णायकता के बीच संपर्क बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है।

उच्च लागत:

- ✦ इनका विकास और निर्माण बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक महंगा है।

हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में देशों की स्थिति

रूस और चीन:

- ✓ ये दोनों देश इस तकनीक में सबसे आगे हैं।
- ✓ रूस ने 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान "किनझाल" हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे एक बड़े भूमिगत गोदाम को नष्ट किया गया।

अमेरिका:

- ✓ अमेरिका भी इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के तहत कई हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है।
- ✓ मई 2023 में, अमेरिकी सेना ने लॉकहीड मार्टिन को \$756 मिलियन का अनुबंध दिया है, ताकि "लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन (LRHW)" विकसित किया जा सके।

अन्य देश:

- ✓ ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और जापान भी हाइपरसोनिक हथियार के विकास पर काम कर रहे हैं।



सुप्रीम कोर्ट का नया सर्कुलर / Supreme Court's new circular

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को एक नया सर्कुलर जारी किया, जिसके अनुसार बुधवार और गुरुवार को रेगुलर सुनवाई वाले मामले सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।

मुख्य बिंदु

- ✓ मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ट्रांसफर याचिकाएं, बेल के मामले और अन्य केस सूचीबद्ध होंगे।
- ✓ रेगुलर सुनवाई वाले मामले इन दिनों लिस्ट नहीं किए जाएंगे। बल्कि इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे।
- ✓ स्पेशल बेंच या आंशिक सुनवाई वाले मामले, चाहे वो मिसलेनियस हों या रेगुलर, इन तीनों दिनों में सूचीबद्ध किए जाएंगे।
- ✓ इन मामलों को लंच के बाद या संबंधित अर्थॉरिटी के निर्देशों के अनुसार लिस्ट किया जाएगा।

वर्तमान प्रैक्टिस:

- ✓ नए मामले सोमवार और शुक्रवार को सूचीबद्ध होते हैं, जिन्हें मिसलेनियस डे कहा जाता है।
- ✓ मंगलवार-गुरुवार को रेगुलर सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें मामलों की अंतिम सुनवाई होती है।

सुप्रीम कोर्ट:

भारत के सुप्रीम कोर्ट से जुड़े संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 124-147)

- भारत के संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं।
- इनमें सुप्रीम कोर्ट की संरचना, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है। साथ ही, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह इन प्रावधानों को व्यवस्थित कर सके।

सुप्रीम कोर्ट की संरचना

- सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती संरचना में कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (चीफ जस्टिस) शामिल थे।
- अनुच्छेद 124 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा या घटा सकती है।
- संसद ने कई कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है।
- वर्तमान में, सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति

- ✓ सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी मुहर और हस्ताक्षर के साथ की जाती है।
- ✓ नियुक्ति से पहले, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेते हैं।
- ✓ एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है।
- ✓ मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अनिवार्य है।
- दूसरा जज केस (1993): इसमें यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह बाध्यकारी होगी।
- तीसरा जज केस (1998): इसमें यह तय किया गया कि मुख्य न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ सलाह-मशविरा करना चाहिए।
- ✓ इस प्रक्रिया को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है।
- ✓ यदि मुख्य न्यायाधीश बिना कोलेजियम से सलाह लिए सिफारिश करते हैं, तो राष्ट्रपति उस सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होते।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता

अनुच्छेद 124(3):

- ✓ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा:
- ✓ व्यक्ति ने किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल न्यायाधीश के रूप में काम किया हो (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार)।
- ✓ व्यक्ति ने किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल वकील के रूप में प्रैक्टिस की हो (या दो या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार)।
- ✓ राष्ट्रपति की राय में वह व्यक्ति कानून का विशिष्ट ज्ञाता (distinguished jurist) होना चाहिए।

PM मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला / PM Modi receives Nigeria's second highest honour

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान 'द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' से सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर' प्रदान किया गया। नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू ने सम्मानित किया।
- इससे पहले 1969 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को इस सम्मान से नवाजा गया था।
- पीएम मोदी ने यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों और भारत-नाइजीरिया की मित्रता को समर्पित किया। उन्होंने नाइजीरिया सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में नाइजीरियाई राष्ट्रपति के साथ बैठक की।
- द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई।
- पीएम मोदी ने नाइजीरिया में रह रहे 60,000 से अधिक भारतीयों को दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी बताया।
- उन्होंने भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए नाइजीरिया का धन्यवाद किया।
- सम्मान समारोह के बाद पीएम मोदी ने भारतीय डायसपोरा को संबोधित किया।

भारत के लिए नाइजीरिया का दौरा अहम है क्योंकि:

- ✓ पहली यात्रा: भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में नाइजीरिया का दौरा किया था।
- ✓ रणनीतिक साझेदारी: पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में भारत और नाइजीरिया के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा मिला।
- ✓ ऊर्जा की अहमियत: नाइजीरिया का विशाल तेल और गैस भंडार भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।
- ✓ वृद्धि होते व्यापारिक संबंध: 2023-24 में दोनों देशों के बीच 2 लाख करोड़ रुपये का व्यापार हुआ।
- ✓ भारतीय समुदाय: नाइजीरिया में करीब 60,000 भारतीय हैं, जो पश्चिम अफ्रीका में भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा केंद्र हैं।
- ✓ निवेश बढ़ते क्षेत्र: भारत का अफ्रीका में निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी में बढ़ रहा है।

भारत और नाइजीरिया के बीच ट्रेड में गिरावट:

- ✓ 2023-24 में ट्रेड: भारत और नाइजीरिया का ट्रेड वित्त वर्ष 2023-24 में 7.89 बिलियन डॉलर रहा।
- ✓ पिछला वर्ष (2022-23): यह ट्रेड 11.8 अरब डॉलर था।
- ✓ 2021-22 में ट्रेड: दोनों देशों के बीच ट्रेड 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचा था।
- ✓ गिरावट: पिछले दो वर्षों में ट्रेड में लगभग 47% की गिरावट आई है।
- ✓ 2020-21 में ट्रेड: भारत और नाइजीरिया के बीच ट्रेड 8.80 बिलियन डॉलर था, जिसमें अगले साल 66% का इजाफा हुआ था।

नाइजीरिया के बारे में:

स्थान: नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे "अफ्रीका का दैत्य" कहा जाता है।

सीमाएं:

- उत्तर: नाइजर
- पूर्व: चाड और कैमरून
- दक्षिण: गिनी की खाड़ी (अटलांटिक महासागर)
- पश्चिम: बेनिन

स्वतंत्रता: नाइजीरिया ने 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की।

क्षेत्रफल: नाइजीरिया का क्षेत्रफल लगभग 9.24 लाख वर्ग किलोमीटर है।

जनसंख्या: नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।

राजधानी: अबुजा

भाषा: अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन यहाँ पर हौसा, योरुबा, इग्बो और इजाव जैसी स्थानीय भाषाएँ भी बोली जाती हैं।

मुद्रा: नाइरा (NGN)

राष्ट्रपति: नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति, श्री Bola Ahmed Tinubu हैं।

भौगोलिक विविधता: नाइजीरिया में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो शुष्क से लेकर उमस भरी समृद्ध उष्णकटिबंधीय तक होती है।

जलविकास:

- प्रमुख बेसिन: नाइजर-बेनी, लेक चाड और गिनी की खाड़ी
- प्रमुख नदियाँ: नाइजर नदी (जिससे देश का नाम पड़ा) और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी बेनी नदी।

पहाड़ी श्रृंखला: कैमरून हाइलैंड्स।

प्राकृतिक संसाधन: नाइजीरिया में विशाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार हैं।



घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) / Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs)

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक और ICICI बैंक को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (D-SIBs) के रूप में बनाए रखा है।

- ✓ RBI ने SBI और ICICI बैंक को 2015 और 2016 में D-SIB के रूप में नामित किया था, और HDFC बैंक 2017 में इनके साथ जुड़ा था।

D-SIBs के बारे में मुख्य बिंदु

परिभाषा:

D-SIBs वे बैंक हैं जिन्हें घरेलू अर्थव्यवस्था में उनके आकार, जटिलता और वित्तीय प्रणाली से उनके जुड़ाव के कारण 'बहुत बड़े होने के कारण असफल नहीं हो सकते' (Too Big to Fail, TBTF) माना जाता है।

D-SIBs क्यों बनाए गए हैं?

- ✓ कुछ बैंक अपने आकार, जटिलता, प्रतिस्थापन की कमी और वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बन जाते हैं।
- ✓ यदि ये बैंक असफल होते हैं, तो यह बैंकिंग प्रणाली और अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे बैंकों को 'बहुत बड़े होने के कारण असफल नहीं हो सकते' (Too Big to Fail - TBTF) माना जाता है।
- ✓ इन बैंकों से यह उम्मीद होती है कि संकट के समय सरकार उन्हें समर्थन देगी। लेकिन यह उम्मीद जोखिम लेने को बढ़ावा देती है, बाजार अनुशासन को कम करती है, और भविष्य में संकट आने की संभावना बढ़ाती है।
- ✓ इसलिए, RBI ने इन बैंकों पर अतिरिक्त नियम लागू किए हैं ताकि जोखिमों को कम किया जा सके।



महत्व:

इन बैंकों को अतिरिक्त नियामक उपायों के तहत रखा जाता है जस एक पूंजी बफर, तनाव परीक्षण, और रिकवरी और रेज़ोल्यूशन योजना, ताकि वे वित्तीय संकटों का सामना कर सकें।

बकेट संरचना:

D-SIBs को उनके प्रणालीगत महत्व के आधार पर विभिन्न बकेटों में वर्गीकृत किया जाता है।

- बकेट 1 सबसे कम जोखिम वाला होता है, जबकि बकेट 4 उच्चतम जोखिम वाला होता है।
- RBI ने SBI को बकेट 4, HDFC बैंक को बकेट 3, और ICICI बैंक को बकेट 1 में रखा है।

पूंजी आवश्यकताएं:

D-SIBs को उनके बकेट के आधार पर अतिरिक्त सामान्य इक्विटी पूंजी (CET1) रखने की आवश्यकता होती है।

- SBI को अतिरिक्त 0.80% CET1 की आवश्यकता है,
- HDFC बैंक को 0.40%,
- और ICICI बैंक को 0.20% की आवश्यकता है।

चयन प्रक्रिया:

RBI D-SIBs की पहचान करने के लिए दो चरणों में प्रक्रिया अपनाता है।

- नमूना चयन: केवल वे बैंक जो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और जिनकी संपत्तियाँ GDP के 2% से अधिक होती हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है।
- सिस्टम की महत्वपूर्णता का आकलन: कई संकेतकों जैसे कि प्रतिस्थापन की कमी, आपसी संबंध आदि के आधार पर प्रत्येक बैंक का एक समग्र स्कोर तैयार किया जाता है, और जो बैंकों का स्कोर एक निश्चित सीमा से अधिक होता है, उन्हें D-SIB के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

D-SIBs के लिए रूपरेखा:

RBI ने जुलाई 2014 में D-SIBs को अच्छे पूंजीकरण के लिए एक रूपरेखा जारी की थी ताकि वे नुकसान सहन कर सकें और असफल होने पर प्रणालीगत व्यवधान को रोक सकें।

वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक (G-SIBs):

G-SIBs वे बड़े अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं जिनकी असफलता का वैश्विक प्रभाव हो सकता है।

- G-SIBs की पहचान करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) और बेसल समिति (BCBS) राष्ट्रीय अधिकारियों के साथ काम करते हैं।
- 2023 तक, 29 G-SIBs की पहचान की गई है जिनमें JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, HSBC, Agricultural Bank of China, Bank of China, Barclays, और BNP Paribas शामिल हैं।

अमेरिका ने भारत को लौटाई 1,440 प्राचीन धरोहरें / America returned 1,440 ancient heritages to India

अमेरिका ने भारत को 1,440 प्राचीन वस्तुएं वापस लौटाई हैं, जिनकी कुल कीमत 84 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। इनमें राजस्थान की तनेसर माता और मध्य प्रदेश से लूटी गई देव नर्तकी की दुर्लभ मूर्तियां भी शामिल हैं।

मुख्य बिंदु: प्राचीन मूर्तियों की वापसी

1. भारत को लौटी सांस्कृतिक धरोहर:

- ✓ अमेरिका ने 1,440 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाईं, जिनकी कीमत 84 करोड़ रुपये से अधिक है।
- ✓ इनमें मध्य प्रदेश के मंदिर से लूटी गई बलुआ पत्थर की देव नर्तकी की मूर्ति और राजस्थान के तनेसरा-महादेव गांव से तनेसर देवी की मूर्ति शामिल हैं।

2. विशेष विवरण:

- ✓ **देव नर्तकी की मूर्ति:** 1980 के दशक में लूटी गई, चोरों ने इसे दो हिस्सों में बांटकर लंदन तस्करी की।
- ✓ **तनेसर देवी की मूर्ति:** 1960 के दशक में राजस्थान से तस्करी की गई।

3. जुलाई में शुरू हुई पहल:

- ✓ भारत-अमेरिका ने जुलाई 2024 में अवैध व्यापार रोकने और चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं की वापसी के लिए सहयोग शुरू किया।

4. सितंबर 2024 में वापस की गई वस्तुएं:

- ✓ अमेरिका ने 297 प्राचीन वस्तुएं लौटाईं, जिनमें से कुछ 4,000 साल पुरानी हैं।

5. मैनहट्टन जिला अटॉर्नी की भूमिका:

- ✓ अटॉर्नी एल्विन एल. ब्रैग के कार्यकाल में 30 से अधिक देशों से 2,100 पुरावशेष बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 23 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
- ✓ उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बचाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

भारत-अमेरिका सांस्कृतिक सहयोग: सांस्कृतिक धरोहर की वापसी

1. सांस्कृतिक समझ और आदान-प्रदान:

- विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत-अमेरिका संबंधों में सांस्कृतिक धरोहर की वापसी एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है।

2. तस्करी और चोरी की गई वस्तुओं की वापसी:

- 2016 से अमेरिकी सरकार ने बड़ी संख्या में तस्करी या चोरी हुई भारतीय पुरावशेषों की वापसी में मदद की है।

3. प्रमुख घटनाएं:

- **जून 2016:** प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 पुरावशेष लौटाए गए।
- **सितंबर 2021:** 157 पुरावशेष लौटाए गए।
- **जून 2023:** 105 पुरावशेष भारत को वापस किए गए।



संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): एक परिचय

1. स्थान और क्षेत्रफल

संयुक्त राज्य अमेरिका (United States of America) उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है।

2. राजनैतिक व्यवस्था

- यह एक संघीय गणराज्य (Federal Republic) है।
- इसमें 50 राज्य (States) और एक संघीय जिला (Federal District) है, जिसे वाशिंगटन, डी.सी. कहते हैं।

3. राजधानी और प्रमुख शहर

- राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.
- प्रमुख शहर: न्यूयॉर्क, लॉस एंजेलिस, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को।

4. जनसंख्या

- अमेरिका की जनसंख्या लगभग 386,118,741 करोड़ (2024 तक) है, जो इसे जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा देश बनाती है।

5. अर्थव्यवस्था

- अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- यह मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology), वित्त (Finance), और विनिर्माण (Manufacturing) में अग्रणी है।

COP29 में जलवायु वित्त और शमन कार्य में विकसित देशों की अनिच्छा पर असंतोष / Dissatisfaction over reluctance of developed countries on climate finance and mitigation action at COP29

अजरबैजान की राजधानी बाकू में जारी कॉप-29 सम्मेलन में भारत ने विकसित देशों पर गंभीरता की कमी का आरोप लगाते हुए विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय और तकनीकी मदद की आवश्यकता पर जोर दिया।

COP29: भारत ने कहा कि जिन विकसित देशों के पास जलवायु कार्रवाई करने की सबसे बड़ी क्षमता है, उन्होंने लगातार अपने लक्ष्य बदले, जलवायु कार्रवाई में देरी की और वैश्विक कार्बन बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए इस्तेमाल किया।



कॉप-29 सम्मेलन में भारत के मुख्य बिंदु:

- **विकसित देशों पर नाराजगी:** भारत ने आरोप लगाया कि विकसित देश जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा से बच रहे हैं और बार-बार अपने लक्ष्यों को बदलते रहे हैं।
- **विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकता:** भारत ने जोर देकर कहा कि बिना वित्तीय और तकनीकी सहायता के, विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना असंभव है।
- **मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम का उद्देश्य:** भारत ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशों की मदद करना है, न कि उन्हें दंडित करना। यह हर देश की विशेष परिस्थितियों और जरूरतों का सम्मान करना चाहिए।
- **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर फोकस:** भारत ने विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उनके पास अधिक संसाधन और क्षमता है, फिर भी वे कार्रवाई में देरी कर रहे हैं।
- **विकासशील देशों की सीमित क्षमता:** भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना विकासशील देश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास उबरने या अनुकूलित होने की पर्याप्त क्षमता नहीं है।
- **कार्यवाही में रुकावट:** भारत ने शिकायत की कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई प्रगति नहीं हुई है और विकासशील देशों को पर्याप्त चर्चा और कार्रवाई का अवसर नहीं मिल रहा है।
- **वैश्विक कार्बन बजट:** भारत ने आरोप लगाया कि विकसित देशों ने वैश्विक कार्बन बजट का बड़ा हिस्सा अपने लिए उपयोग कर लिया है, जिससे अन्य देशों के लिए सीमित विकल्प बचे हैं।

कार्बन बजट (Carbon Budget)

कार्बन बजट का परिचय

कार्बन बजट वह सीमा है, जिसके तहत पूरी मानवता को ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करना चाहिए, ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को प्री-इंडस्ट्रियल स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके।

- ✓ महत्व: यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत निर्धारित किया गया है।

कार्बन बजट कैसे काम करता है?

- ✈ कुल उत्सर्जन सीमा तय की जाती है, जैसे एक साल या एक दशक के लिए।
- ✈ इस सीमा को देशों या क्षेत्रों में बाँटा जाता है।
- ✈ ऐतिहासिक उत्सर्जन
- ✈ जनसंख्या
- ✈ आर्थिक गतिविधियों के आधार पर।



भारत का योगदान और स्थिति:

- ✓ वार्षिक उत्सर्जन: भारत का वार्षिक उत्सर्जन चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देशों से काफी कम है।
- ✓ वैश्विक उत्सर्जन में हिस्सा: 1850 से 2019 तक, भारत का हिस्सा कुल वैश्विक उत्सर्जन में 4% से कम है।
- ✓ प्रति व्यक्ति उत्सर्जन (Per Capita Emission): भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन: 2.4 tCO₂e (टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष)।
- ✓ वैश्विक औसत: 6.3 tCO₂e।

भारत की रणनीति (भारत का INDC - Intended Nationally Determined Contribution):

- ✈ उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी।
- ✈ स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य: 2030 तक कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना।
- ✈ पेरिस जलवायु समझौता (2015): वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर सहमति।
- ✈ कोपेनहेगन जलवायु वार्ता (2009): विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का वादा किया था।

73वीं मिस यूनिवर्स / 73rd Miss Universe

73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 17 नवंबर को समाप्त हुई, जिसमें 21 वर्षीय विक्टोरिया क्जेयर थ्रेडलविग ने डेनमार्क के लिए ताज जीता। यह पहली बार है जब किसी डेनिश प्रतियोगी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है।

- ✓ प्रतियोगिता में 130 कंटेस्टेंट्स ने 125 देशों से हिस्सा लिया था।
- ✓ भारत की रिया सिंघा टॉप 12 में जगह नहीं बना पाई।
- ✓ रिया सिंह इससे पहले इसी साल मिस यूनिवर्स इंडिया ब्यूटी पेजेंट की भी विजेता रहीं थीं।

✦ आयोजन: मेक्सिको

✦ संस्करण: 73 वीं

✦ विजेता: क्जेयर थ्रेडलविग



मिस यूनिवर्स 2024: शीर्ष 5 फाइनलिस्ट

मेक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शीर्ष 5 फाइनलिस्टों की घोषणा की गई। ये देश मेक्सिको, नाइजीरिया, थाईलैंड, वेनेजुएला, और डेनमार्क थे।

विक्टोरिया केया थ्रीलविग कौन हैं?

जीवन परिचय:

- ✓ विक्टोरिया केया थ्रीलविग का जन्म 2003 में डेनमार्क के हेरलेव क्षेत्र में हुआ।
- ✓ वह कोपेनहेगन के एक शांत उपनगर में पली-बढ़ीं।
- ✓ उन्होंने लिंग्वी हैंडल्सजिम्नैजियम से व्यवसाय और विपणन में बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की।
- ✓ विक्टोरिया एक पेशेवर डांसर भी हैं।

करियर:

शुरुआत:

- ✓ विक्टोरिया ने 2021 में पहली बार मिस डेनमार्क प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।
- ✓ 32 प्रतियोगियों के बीच वह तीसरे स्थान पर रहीं।
- ✓ इसके बावजूद उन्हें मिस ग्रैंड डेनमार्क का खिताब दिया गया।
- ✓ विक्टोरिया ने इंडोनेशिया में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2022 में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।
- ✓ 67 प्रतियोगियों को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने 19 साल की उम्र में यह खिताब जीता।
- ✓ इसके बाद उन्हें मिस यूनिवर्स में डेनमार्क का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया।

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हर साल होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है। इसे "बिग फोर" अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं में गिना जाता है, जिनमें मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल, और मिस अर्थ भी शामिल हैं।

मुख्य बातें:

आयोजनकर्ता:

यह प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन (MUO) द्वारा आयोजित की जाती है, जो विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और धर्मों का सम्मान करती है।

महिलाओं के लिए मंच:

यह महिलाओं को अपनी कहानियां साझा करने और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने का एक सुरक्षित और सशक्त मंच प्रदान करती है।

उद्देश्य:

यह प्रतियोगिता केवल शारीरिक सुंदरता पर नहीं, बल्कि महिलाओं की बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर देती है।

पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब हुई?

- ✦ पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 1952 में हुई थी। इसे लेकर कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

सौंदर्य प्रतियोगिताओं का इतिहास:

सौंदर्य प्रतियोगिताएं लंबे समय से होती आ रही हैं, लेकिन 1900 के दशक में अमेरिका में औपचारिक और बड़े पैमाने पर ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू हुईं।

मिस यूनिवर्स की शुरुआत:

मिस यूनिवर्स की शुरुआत मिस अमेरिका और उसके स्पॉन्सर पैसिफिक निटिंग मिल्स के बीच हुए विवाद से हुई।

विवाद की वजह:

1951 में मिस अमेरिका विजेता योलांडे बेटबीज ने धार्मिक मान्यताओं के कारण स्विससूट पहनकर फोटो खिंचवाने से मना कर दिया।

नया रास्ता:

पैसिफिक निटिंग मिल्स ने इस घटना के बाद मिस अमेरिका को स्पॉन्सर करना बंद कर दिया और 1952 में नई प्रतियोगिताएं मिस यूनिवर्स और मिस यूएसए की स्पॉन्सरशिप शुरू की।

भारतीय ग्रिड के जरिये नेपाल से बांग्लादेश को बिजली निर्यात शुरू

भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने भारतीय ग्रिड के माध्यम से पहली बार त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन की शुरुआत की। यह कदम दक्षिण एशिया में एकीकृत बिजली बाजार बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

समझौते के बारे में

बिजली समझौता:

- ✓ अक्टूबर 2024 में, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (NVTN), नेपाल विद्युत प्राधिकरण और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच बिजली विक्री समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

बिजली निर्यात का विवरण:

- ✓ यह लेन-देन नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात करता है।
- ✓ बिजली भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश भेजी जा रही है।

महत्व:

- ✓ यह पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन-देन है जो भारतीय ग्रिड के माध्यम से हुआ।
- ✓ यह क्षेत्रीय बिजली कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और सभी देशों को लाभ देगा।
- ✓ यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा।

भारत की ऊर्जा व्यापार महत्वाकांक्षाएं

ऊर्जा व्यापार का केंद्र:

- ✦ भारत का लक्ष्य दक्षिण एशिया में बिजली और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख व्यापार केंद्र बनना है।
- ✦ इसमें श्रीलंका को LNG (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) की आपूर्ति और समुद्र के नीचे बिजली ट्रांसमिशन लाइन पर काम शामिल है।

द्विपक्षीय समझौते:

- ✦ भारत और पड़ोसी देशों के बीच बिजली व्यापार 2014 के SAARC ऊर्जा सहयोग फ्रेमवर्क के तहत द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से हो रहा है।

प्रमुख एजेंसियां:

- ✦ एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (NVTN) और PTC इंडिया इस क्रॉस-बॉर्डर बिजली व्यापार की देखरेख कर रहे हैं।
- ✦ 2021 से, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) नेपाल के साथ बिजली व्यापार की सुविधा प्रदान कर रहा है।

नीति और पहल

नीतियों में सुधार:

- ✦ 2023 में, भारत ने स्पॉट पावर ट्रेडिंग के लिए मार्केट कपलिंग और बिजली के आयात/निर्यात के लिए नई गाइडलाइंस जारी कीं।
- ✦ यह क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और ग्रिड की स्थिरता को बढ़ाने के लिए है।

OSOWOG पहल:

- ✦ भारत OSOWOG (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड) परियोजना को बढ़ावा दे रहा है।
- ✦ इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया से यूरोप तक एक विशाल ग्रिड बनाकर नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार करना है।
- ✦ भारत सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर के साथ मिलकर इस ग्रिड ढांचे पर काम कर रहा है।
- ✦ यह भाग लेने वाले देशों को कम लागत पर नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा।

"कोइमा" नामक की मछली की प्रजाति की खोज

हाल ही में एक शोध में "कोइमा" नामक एक नई मीठे पानी की मछली की प्रजाति की खोज हुई है, जो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यह खोज इस क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और नए शोध की आवश्यकता को दर्शाती है। यह अध्ययन केरल विश्वविद्यालय ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के वैज्ञानिकों ने किया। उनकी रिपोर्ट जर्नल जूटाक्स में प्रकाशित हुई है।

नाम "कोइमा" का महत्व

स्थानीय भाषा से प्रेरित:

- ✓ "कोइमा" नाम मलयालम भाषा से लिया गया है, जिसमें इसका मतलब लोचेस है।
- ✓ यह नाम स्थानीय संस्कृति और ज्ञान को सम्मान देता है।
- ✓ यह खोज पश्चिमी घाट की जलीय जैव विविधता को बेहतर तरीके से समझने और संरक्षित करने की अपील करती है।

कोइमा की विशेषताएं

अनूठा रंग:

- ✓ कोइमा का शरीर पीले-भूरे रंग का होता है।
- ✓ इसकी पार्श्व रेखा (lateral line) पर काले धब्बों की एक पंक्ति होती है।
- ✓ इसके पंख पारदर्शी (hyaline) होते हैं और इसकी पीठ पर कोई स्थायी धारियां नहीं होतीं।
- ✓ ये गुण इसे नेमाचिलिडाई परिवार की अन्य मछलियों से अलग बनाते हैं।

पश्चिमी घाट का महत्व

जैव विविधता का केंद्र:

- ✦ पश्चिमी घाट को जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, जहां कई स्थानीय प्रजातियां पाई जाती हैं।
- विशेष रूप से मीठे पानी की मछलियां इस क्षेत्र की जैव विविधता का अहम हिस्सा हैं।
- "कोइमा" की खोज से पता चलता है कि इस क्षेत्र की जलीय जीवन को और गहराई से समझने और संरक्षित करने की जरूरत है।

टैक्सोनोमिक पुनर्विचार की आवश्यकता

प्रजातियों का पुनर्मूल्यांकन:

- ✓ शोधकर्ताओं ने बताया कि मीठे पानी की कई मछलियों की सही पहचान के लिए टैक्सोनोमिक पुनरीक्षण बेहद जरूरी है।
- छोटी प्रजातियों और उनके शरीर की भिन्नताओं को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।
- नेमाचिलिड लोचेस जैसी प्रजातियों की सही पहचान जरूरी है।

कोइमा का आवास

कोइमा रेमादेवी:

- ✦ यह तेज बहाव वाले नदियों में चट्टानी सतहों के बीच रहती है।
- ✦ इसे अब तक सिर्फ साइलेंट वैली नेशनल पार्क की कुंती नदी में पाया गया है।


कोइमा मोनिलिस:

- ✦ यह कावेरी नदी की कई सहायक नदियों में पाई जाती है।
- ✦ यह 350 से 800 मीटर ऊंचाई के बीच विभिन्न माइक्रो-हैबिटेट्स में रहती है।

शोध की प्रक्रिया

- ✓ शोधकर्ताओं ने कुंती, भवानी, मोयर, काबिनी और पांबर नदियों से मछलियों के नमूने एकत्र किए।
- ✓ उन्होंने आकृतिक (morphological) और आनुवंशिक (genetic) गुणों का गहराई से अध्ययन किया।





Pathshala

एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर



"GET READY FOR A WILD RIDE OF KNOWLEDGE !"

SUBSCRIBE OUR NEW YOUTUBE CHANNEL

ANKIT AVASTHI

Video will be upload soon !



ANKIT AVASTHI




RRB NTPC

TEST SERIES

- ✓ 100+ Mock Test
- ✓ 78 Sectional Test
- ✓ 40+ years PYPs
- ✓ 60+ Current affairs

TEST



Only

99 *Per Year*

Buy Now



GA FOUNDATION







Hand Written
Notes


Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर


Ani
Ankit Inspires India

₹ **Only**
1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट



अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

 **7878158882**



APNI PATHSHALA

UPPSC, RO/ARO, BPSC, UP

TEST SERIES

UPPSC

(TEST SERIES)

- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

RO/ARO

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299/-
YEAR

BPSC

(TEST SERIES)

- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

299
YEAR

SSC

(TEST SERIES)

- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR

RPF

(TEST SERIES)

- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

99/-
YEAR



Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

▶ POLITY ▶ ECONOMICS
▶ HISTORY ▶ GEOGRAPHY

FOR ALL

LIVE DAILY LIVE CLASSES

WEEKLY TEST

CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)

LIVE DOUBT SESSIONS

DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs

4999/-



Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

ONLY POLITY



1499
RS

DAILY LIVE CLASSES

-  WEEKLY TEST
-  CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
-  LIVE DOUBT SESSIONS
-  DAILY PRACTISE PROBLEM

Apni Pathshala



7878158882



Apni.Pathshala



kaankit



AnkitAvasthiSir



Avasthiankit

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,
Stenographer (Grades C & D)



Only at

99/- Year

Enroll Now!

